चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Thursday, 21 March, 1968

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

विषय-सूची/Contents

अंक 21 गुरुवार, 21 मार्च, 1968/1 चैत्र 1890 (शक)

No. 21 Thursday, March 21, 1968/Chaitra 1, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWER TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
748.	ग्रामीण युवक कार्यक्रम	Rural Youth Programmes	879
749.	खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Foodgrains	883
755.	उपज बढ़ाने वाले राग तैयार करना	Evolution of High Yielding Strains	883
756.	अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने का कायक्रम	High Yielding Varieties Programmes	884
750.	दिल्ली में क्रास बार टेली-फोन एक्सचेंज के लिये उपकरणों का आयात	Import of Equipment for Cross bar Telephone Exchange in Delhi.	892
753.	खाद्यान्नों पर राज सहायत.	Subsidy on Foodgrains	895

नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न — Q. under Rules 40

2.	राज्य व्यापार निगम द्वारा गंधक के आयात के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई	Action taken on the Fifth Report of the Committee on P.U. regarding Import of Sulphur by STC.	898

प्रश्नों के लिखित उत्तर — Written Answers to Questions.

ता० प्र० संख्या Starred Qo. Nos.			
751.	अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains	
752.	आटा मिलों में रासायनिक विश्लेषण	Chemical Analysis in Flour Mills	899

*किसी नाम पर अंकित + यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign +marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या Starred Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
754.	बिक्री योग्य फालतू अनाज	Marketable Surplus of Foodgrains	900
757.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खालों की लागत तथा मजूरी ढांचे पर मजूरी बोर्ड के पंचाट का प्रभाव	Impact of Wage Board's Award on cost and wage structure of N.C.D.C. Mines.	900
758.	पश्चिमी बंगाल की कोयला खानों के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना	Dismissal of Workers in West Bengal Colleries	901
759.	गन्ने की अधिक पैदावार देने वाली किस्में	High Yielding varieties of Sugarcane	901
760.	हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	Purchase of Foodgrains by Food Corporation of India in Haryana	902
761.	किसानों को फसल ऋण	Crop Loans to Farmers	902
762.	उर्वरकों पर राजसहायता	Subsidy on Fertilizers.	903
763.	गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threatned Strike by Dock Workers	903
764.	टैक्समैको वर्क्स, बलघारिया	Texamcao Works, Balgharis	904
765.	असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों पर राजसहायता	Subsidy on Fertilizers for Unirrigated Areas .	904
766.	हरियाणा में मध्यावधि चुनाव	Mid-Term Elections in Haryana	905
767.	भारतीय कृषि का औद्योगीकरण	Industrialization of Indian Agriculture	905
768.	राजस्थान में भूमि की नीलामी	Auctioning of land in Rajasthan	906
769.	न्यायालय शुल्क का समाप्त करना	Abolition of Court Fees	907
770.	राष्ट्रीय बचत संगठन में गोलमाल	Fraud in National Savings Organisation	907
771.	ग्रामोद्योगों का विकास	Development of Village Industries	907
772.	श्री लंका को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Ceylon	908

ता० प्र० संख्या Starred Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
773.	खाद्यान्नों के आयात लक्ष्य में कटौती	Reduction in Import Target of Foodgrains	908
774.	ग्राम्य क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधायें	Telephone facilities in Rural Areas	909
775.	उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार लाइन्स स्टाफ द्वारा हड़ताल	Strike by P & T Lines Staff in U.P.	909
766.	फर्मों को काली सूची में रखा जाना	Black listing of Firms	910
777.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	910

अता० प्र० संख्या

Unstarred Question No

4576.	बिहार में खाद्य तथा अचार के डिब्बों में पैक करने वाली कम्पनियां	Food and Pickle Units in Bihar	911
4577.	नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	National Iron & Steel Co. Ltd.	911
4578.	खानों में दुर्घटनायें	Mine Disasters	911
4579.	डाक घर बचत बैंक के लखे	Post Office Savings Bank Accounts	912
4580.	आटा मिल	Flour Mills	913
4581.	मध्य प्रदेश में तारघर	Telegraph Offices in M.P.	913
4582.	मछली का निर्यात	Export of Fish .	913
4583.	टेलीफोन कनैक्शन	Telephone Connections	915
4584.	टेलीफोन उपकरण	Telephone Equipment	915
4585.	श्रम विधियों का लागू करना	Implementation of Labour Laws	916
4586.	मछली उद्योग का विकास	Development in Fisheries	916
4587.	विशाखापत्तनम में मछली पालन परियोजना	Fisheries Project at Visakhapatnam	917
4588.	भिंड और ग्वालियर स्टेशनों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में लेटर बक्सों की सुविधायें ।	Letter Box facilities in Trains running between Bhind and Gwalior Stations	917

अता० प्र० संख्या starred No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4589. महाकाली कोयला खानें	Mahakali Coal Mines	917
4591. मूंगफली की फसल तथा तेल को बढ़ाना	Promotion of Ground nut crop and Oil	918
4592. मध्य प्रदेश में तारघर	Telegraph Offices in Madhya Pradesh	919
4593. तमिलनाड में तमिल भाषा में तार भेजना	Despatch of Telegrams to Tamilnad in Tamil.	919
4594. चीनी का उत्पादन	Sugar Production	920
4595. संकर बीजों की खरीद के लिये राजस्थान को ऋण	Loan to Rajasthan for Purchasing Hybrid Seeds	920
4596. राजस्थान में हिन्दी में टेलीफोन निर्देशिका	Hindi Telephone Directory in Rajasthan	920
4597. राजस्थान में चावल मिल	Rice Mills in Rajasthan	921
4598. राजस्थान में खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट	Fall in prices of Foodgrains in Rajasthan	921
4599. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	I.C.A.R. Publications	921
4600. क्षेत्रीय डाक व तार सलाहकार समिति, तितलागढ़	Regional P. and T. Advisory Committee	922
4601. चीनी का उत्पादन	Sugar Production	922
4602. चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य	International Price of Sugar	923
4603. आन्ध्र प्रदेश को बोरिंग मशीनों की सप्लाई	Supply of Boring machines to Andhra Pradesh	923
4604. दिल्ली में श्रमिकों के लिये रिहायशी मकान	Residential Houses for Labourers in Delhi	924
4605. उड़ीसा में भूमिहीन कृषि मजदूरों का पुनर्वास	Resettlement of Landless Agricultural Labourers in Orissa	925
4606. अकार्बनिक नमकों के साथ उर्वरक कणों का प्रयोग	Use of Fertilizer Crystals with Inorganic Salts	925
4607. किसानों के लिये पास बुक	Pass books for farmers	926
4608. धान और गेहूं की छोटी पौध	Dwarf variety of paddy and wheat	926
4609. पशु संख्या	Cattle Population	927

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
Unstrred Q. No.	SUBJECT	PAGES
4610. उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन	Sugar Production in U.P.	928
4612. उत्तर प्रदेश में परती भूमि का आवंटन	Allotment of fallow land in U.P.	928
4613. डबलरोटी बनाने के लिये उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को वित्तीय सहायता	Assistance to consumer cooperatives for manufacture of Bread.	929
4614. बिहार में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in Gram Panchyat Area of Bihar	929
4615. बिहार में डाक सुविधाएं	Postal Facilities	930
4616. अन्नपूर्ण फ्लोर मिल्स, वाराणसी	Annapurana Flour Mills, Varanasi	930
4617. कोविलपट्टी (मद्रास) डाक तथा तार विभाग की इमारतें	P. & T. buildings in Kovilpatti (Madras) .	931
4618. कोविलपट्टी (मद्रास) में डाक तथा तार विभाग की इमारत	P. & T. buildings in Kovilpatti (Madras) .	931
4619. दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons in Delhi.	932
4620. पंजाब तथा हरियाणा में समाहार दरें	Procurement rate s in Punjab and Haryana.	932
4621. भूमि अर्जन विभाग सम्बंधी समिति	Committee on Land Acquisition Legislation.	933
4622. चूहों का आतंक	Rodent Menace	934
4623. बम्बई के मुख्य डाकघर की कोषागार शाखा	Treasury Branch of Bombay GPO	934
4624. दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन घर	Public Call Offices in Delhi.	935
4625. कृषकों के लिए ऋण की सुविधायें	Credit facilities for Agriculturists	935
4626. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	Industrial Training Institutes .	936
4627. राज्यों को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to States . . .	936
4628. समस्तीपुर चीनी मिल	Samastipur Sugar Mills. . . .	937

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4629. एर्नाकुलम जिला टेलीफोन सलाहकार समिति	Ernakulam District Telephone Advisory Committee	937
4630. स्वचालित बेकरियाँ	Automatic Bakeries	937
4631. मजूरी बोर्डों को समाप्त किया जाना	Abolition of Wage Boards	938
4632. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अंशदान	Contributions under Employees State Insurance Act.	938
4633. मुनाफे में से लाभांश	Profit Sharing Bonus	939
4634. बिहार में कृषि विकास कार्यक्रम	Agricultural Development Programme in Bihar	939
4635. कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान	Agricultural Research	939
4636. खाद्यान्नों की अधिक उपज वाली किस्मों की उपज	Yield from High Yielding Varieties of Foodgrains	940
4637. अदालती विवाह (सिविल मैरिज)	Civil Marriages	941
4638. मैक्सिम गोर्की स्मारक डाक टिकट	Maxim Gorky Memorial Postal Stamps	941
4639. अखिल भारतीय श्रम अर्थ व्यवस्था सम्मेलन	All India Labour Economics Conference	942
4640. खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री	Sale of Food grains in Open Market.	942
4641. एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग. द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन	Study of Community Development programmes by Economic Commission for Asia and Far East	942
4642. अनेक फसलें उगाने की प्रणाली	Multi cropping System	943
4643. कृषि के लिये ऋण की सुविधायें	Credit Facilities in Agriculture	944
4644. नगालैंड में फलों की खेती	Fruit Cultivation in Nagaland	944
4645. खाद्यान्न को स्टोर करने की सुविधायें	Storage Facilities for Foodgrains	945

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4646.	वकील परिषद् की परीक्षा	Bar Council Examination . .	945
4647.	डाक व तार विभाग में विभागीय परीक्षा	Departmental Examination in P & T Department	945
4648.	खाद्यान्न सम्बन्धी विचार गोष्ठी	Symposium on Foodgrains	946
4649.	अस्थि चूर्ण संयंत्र	Bone Meal Plant . .	946
4650.	बर्मा द्वारा चावल देने का प्रस्ताव	Burma's offer to Supply Rice	947
4651.	द्वितीय सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिश	Recommendations of Second Wage Board for Cement	94
4652.	टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges . . .	947
4653.	मक्सिकन किस्म के गेहूं का बोना	Sowing of Maxican Variety of Wheat	949
4654.	रेडियो सेटों की लाइसेंस फीस की बकाया राशि के भुगतान की छूट	Exemption from payment of arrears of licence Fee of Radio Sets. . . .	950
4655.	जल वितरण के लिये रूस में बनी मशीन	Soviet designed Machine for Water Distribution	950
4646.	मध्य प्रदेश में मछली पालन कार्य-क्रम	Fisheries Programme in Madhya Pradesh .	950
4657.	मध्य प्रदेश में फसलों को हानि	Damage to Crops in M.P. . .	951
4658.	मध्य प्रदेश में भूमि की नमी और भूमि का कटाव	Land Moisture and Land Erosion in Madhya Pradesh.	951
4659.	खरता रोग का उन्मूलन	Eradication of Kharta Disease . .	951
4660.	फ्रीज ड्राईंग मशीन	Freeze Drying Machine	952
4661.	विदर्भ क्षेत्र में भारी वर्षा से हुई हानि	Damage caused by Heavy Rains in Vidarbha Area	952
4662.	दुग्धशाला तथा मुर्गीपालन योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance for Dairy and Poultry Schemes	952
4663.	खाद्य उत्पादों की मूल्य सूची	Price List of Food Products . .	954
4664.	कृषि प्रक्षेत्र	Agricultural Farms	954

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4665.	कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Coal Mines . .	954
4666.	मजूरी बोर्डों की सिफारिशें	Recommendations of Wage Boards . .	955
4667.	कोयला मजूरी बोर्ड का पंचाट	Coal Wage Board's Award . .	955
4668.	फिल्म उद्योग में मजूरी ढाचा तथा काम की शर्तें	Wage structure and conditions of work in Film Industry	956
4669.	चीनी के दाम	Price of Sugar	956
4670.	दिल्ली के सुपर बाजारों में अधिकारी।	Officers in Super Bazars, Delhi.	956
4671.	लौह अयस्क खान मजूरी बोर्ड	Iron Ore Mines Wage Board . . .	957
4672.	बनस्पति तेल में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati .	957
4673.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index . .	958
4674.	तिलहन सुधार परियोजना	Oilseeds Improvement Project . .	958
4675.	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains .	959
4676.	त्रिचूर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff Quarters for P & T Employees in Trichur.	959
4677.	केरल में मछली उद्योग का विकास	Development of Fishing Industry in Kerala	960
4678.	रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के कर्मचारी	Employees of River Steam Navigation Co.	960
4679.	कृषि जिनसों की उत्पादन लागत के आंकडे	Cost Data for Agricultural Products .	961
4680.	सघन कृषि विकास कार्यक्रम की योजनाएं	L.A.D.P. Schemes . .	962
4681.	मौसम के बारे में पूर्वानुमान	Weather Forecasts	962
4682.	दिल्ली में राशनिंग विभाग	Rationing Department in Delhi. . .	964
4683.	केन्द्रीय फल उत्पादन आदेश	Central Fruit Products Order . . .	964
4684.	रोजगार दिलाऊ कार्यालयों से भिन्न साधनों से रिक्त पदों पर नियुक्तियां	Filling of vacancies from outside Employment Exchanges	965
4685.	पौधापरिरक्षण निदेशालय	Plant Protection Directorate . . .	965

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4686.	डाक व तार विभाग में चीफ इंजीनियरों की सेवा-निवृति Retirement of Chief Engineers in P & T. Department	965
4687.	कोयला खान मजदूरों की छंटनी Retrenchment of Coal Mine Workers	966
4688.	कोयला खानों द्वारा खान अधिनियम का उल्लंघन Violation of Mines Act by Coal Mines	967
4689.	डाक्टरी परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये कोयला खान मजदूर Coal Mines Workers declared Medically Unfit	967
4690.	न्यू जमेहारी खाश कोयला खान New Jemehari Khash Colliery	967
4691.	कोयलाखानों द्वारा अनियमितताय Irregularities by Collieries	968
4692.	टपिओका का विकास Development of Tapioca	969
4693.	दिल्ली दुग्ध योजना Delhi Milk Scheme.	969
4694.	नहरों और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र Area under Irrigation through Canals and Tube Wells	970
4695.	बुलन्दशहर के जिला पंचायत अधिकारी पर आरोप Charge against district panchayat Officer, Bulandshahr	970
4696.	खाद्य पदार्थ तथा अचार बनाने के कारखाने Food and Pickle Units	971
4697.	पश्चिम बंगाल में खाद्य पदार्थ तथा अचार बनाने के कारखाने Food and pickle Unit in West Bengal	971
4698.	कृषि विकास परियोजना के लिये पश्चिमी जर्मनी से सहायता West German Aid for Agricultural Development Project.	971
4699.	चीनी का उत्पादन Sugar Production	972
4700.	ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता Rural Indebtedness	972
4701.	मनीपुर में चावल मिल Rice Mills in Manipur	973
4702.	भारत सेवक समाज (मनीपुरशाखा) Bharat Sewak Samaj (Manipur Branch)	973
4703.	उर्वरको का नियतन Allotment of Fertilizers	973

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4704.	खान सुरक्षा उपकरण Mines Safety Equipment	974
4705.	असमर्थ हो गये खनिको को रोजगार दिलाना Rehabilitation of Disabled Miners	974
4706.	श्रव्य मीन (आडिबल फिश) Audible Fish	975
4707.	चीनी का आंशिक विनियंत्रण Partial Decontrol of Sugar	975
4708.	मैसूर में सहकारी चीनी कारखाना Cooperative Sugar Factory in Mysore	976
4709.	कर्मचारी भविष्य निधि योजना Employees Provident Fund Scheme	976
4710.	अनाज के समहार के लिये लाभांश Bonus for Procurement of Foodgrains	977
4712.	उड़ीसा में डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र Post Offices, Savaings Banks, Telegraphs Offices and Telephone Exchanges in Orissa.	978
4713.	दिल्ली में मकान निर्माण सहकारी समितियां House Building Cooperative Societies Delhi.	978
4714.	रत्न चीनी मिल (उत्तर प्रदेश) Ratna Sugar Mills (U.P.).	979
4715.	गैर सरकारी मोटरकार ड्राइवर Private Motor Car Drivers.	980
4716.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की पत्रिका पशुपालन I.C.A.R.'s Journal Pashupalan	980
4717.	सहकारी चीनी मिल Cooperative Sugar Mills	980
4717-क.	जम्मू में चनाव नदी पर बांध Dam on River Chenab in Jammu	981
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	981
	18 मार्च, 1968 को दिल्ली में शांतिपूर्ण जलूस पर लाठी चार्ज करना तथा अश्रुगैस छोड़ना Lathi charge and tear gassing on peaceful Procession in Delhi on 18th March.	981

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	985
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	986
बावनवां प्रतिवेदन	Fifty second Report	986
पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में संकल्प तथा पश्चिमी बंगाल राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Resolution *re.* Proclamation in relation to West Bengal and West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Bill.	987
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	987
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	987
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar	988
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	991
श्री बेणीशंकर शर्मा	Shri Beni Shankar Sharma	991
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterje	992
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri	993
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	993
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan. .	994
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha .	995
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	995
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar lal Bhohara	997
श्री देवेन सेन	Shri Devan Sen .	998
श्री चितरंजन राय	Shri Chitaranjan Roy	999
पंजाब में संविधानिक घटनाओं के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा	Discussion on statement made by Home Minister *re.* Constitutional Development in Punjab.	999
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	999
श्री आ० ना० मुल्ला	Shri A.N. Mulla .	1000
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushilla Rohtagi	1001
श्री रंगा	Shri Ranga	1002
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J.B. Kripalani	1004
श्री गु० सिं० ढिल्लो	Shri G.S. Dhillon	1005
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan .	1006
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	1007

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar.	1007
श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye	1007
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur.	1008
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma	1009
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	1010
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1011
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y.B. Chavan.	1011

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 21 मार्च, 1968/1 चैत्र, 1890 (शक)
Thursday, March 21, 1968/Chaitra 1, 1890 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR SPEEKER *in the chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rural Youth Programmes

*748. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a new scheme with regard to rural youth programme;

(b) if so, the details thereof and the expenditure to be incurred thereon; and

(c) the names of places where this programme would be introduced and the dates on which it would be introduced there ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) अभी तक कोई नई योजना नहीं बनाई गयी है ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Deorao Patil: Mr. Speaker, the number of educated unemployed youngmen is increasing and very little has been done for them. I want to know whether the Government is considering certain plan to strengthen this programme and give necessary financial help?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इसी के लिए, विभिन्न खंडों में बहुत सी युवक क्लबें स्थापित का गई हैं । इन की संख्या लगभग 1,70,000 है तथा औसत से प्रत्येक खंड में 26 युवक मंडल हैं । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में युवक कार्यकर्त्ताओं तथा नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हमारे पास हैं । परन्तु मुझे ज्ञात है कि युवकों के कार्यकर्त्ताओं के लिए दी जाने वाली धन-राशि बहुत अप्राप्य है । प्रशिक्षण अथवा आर्थिक व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए हम उपयुक्त स्रोत नहीं जुटा पाये हैं ।

Shri D. R. Patil: The Hon. Minister has convened at meeting on 28th February, 1968 in which Minister for Food; Defence as also the Members of Parliament, the representatives of training institutes were present, Was it proposed there that the plan for the development of rural youth should be dealt with priority and the Government should provide the funds essential for preparing a strong rural youth programme ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सत्य है कि मैंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी; हमने कई सम्मेलन किये तथा अन्त में कार्यक्रम ग्रामीण युवकों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय युवक विकास कार्यक्रम बनाने के लिए ग्रामीण युवकों की एक उप-समिति स्थापित करने का निर्णय किया । स्थिति यह है कि केन्द्र व राज्यों के स्तर पर अनेक मंत्रालय युवक कार्यक्रमों पर कार्यवाही कर रहे हैं :

श्री रंगा : क्या वे समन्वय चाहते हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं उसके बारे में भी साफ-साफ बताऊंगा। बहुत से मंत्रालय तथा विभाग इस समय इन युवक कार्यक्रमों के बारे में केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इन मंत्रालयों तथा विभागों में परस्पर कोई समन्वय नहीं है । फिर इन युवक कार्यक्रमों म कोई सुनिश्चित प्रकार विषय अथवा निदेश भी नहीं हैं । मैंने अनुभव किया कि युवक कार्यक्रम की पिछली दो दशाब्दियों से उपेक्षा होती आ रही है और मैंने सोचा कि यह आवश्यक होगा कि. . .

अध्यक्ष महोदय : वह केवल प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। मैंने सोचा कि कार्यक्रम का आयोजन होना ही चाहिये। प्रारम्भिक समिति की बैठक पहले ही हो चुकी है तथा वे शीघ्र ही कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे देंगे ।

Shri Balwant: Mr. Speaker, the youths Clubs have been established by the Panchayat Committees but have those Panchayat Committees formulated some programme or they were to establish only ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैंने पहले ही आंकड़े दे दिये, हैं हमने 1,17,000 युवक-क्लब स्थापित किये हैं तथा वे . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पंचायत समितियां अब भी साथ हैं या आपने उन्हें छोड़ दिया है । यह प्रश्न नहीं है कि कितने हजार हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : खंडों तथा पंचायत समितियों का भी इस में हाथ है। हमने कार्यक्रम की न्यूनतम सीमा भी निश्चित की है तथा उसमें परिवर्तन भी किया है अर्थात् हमने कृषि पर अधिक जोर दिया है ।

श्री दिनकर देसाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि युवक कार्यक्रमों की प्रमुख क्रियाएं क्या हैं जिनको उन्होंने गठित किया है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय खंडीय स्तर पर हमारे कार्य-क्रमों से है, तो उसकी प्रमुख क्रिया है कि हम सुधरी हुई कृषि संबंधी रीतियां प्रदान कर रहे हैं तथा युवकों तथा युवक क्लबों को इन रीतियों को अपनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को राज्य सरकारों से यह ब्यौरा प्राप्त हुआ है कि आजकल कितने ग्रामीण युवक बेरोजगार हैं तथा युवकों में व्याप्त असन्तोष की भावना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के पास कोई कार्यक्रम है जिससे कि इन युवकों, जो कि भूमिहीन भी हैं, को पुनर्स्थापित किया जाये ताकि उन सघन क्षेत्रों में वे खाद्य उत्पादन बढ़ा सकें जहां विभिन्न राज्यों में काफी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है ।?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : भूमिहीन युवकों के लिए हमारे पास सांझी खेती का कार्यक्रम है। वे उसे चला सकते हैं । जो युवक कृषक नहीं हैं उनके लिए स्थानीय उद्योग का प्रशिक्षण देने की योजना है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : बेरोजगार ग्रामीण युवकों की संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय के पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री शिवप्पा : इस तथ्य की दृष्टि से कि संविधान के भाग 3 के तथा विभिन्न केन्द्रीय व राज्य नियमों के अन्तर्गत, भूमि बहुत से अनुसूचित जाति के तथा हरिजन लोगों को बाँट दी गई है, परन्तु राजनयिक नेताओं द्वारा तथा बीच के लोगों को हस्तान्तरित हो गई है, क्या मैं जान सकता हूं इस चीज को रोकने के लिए तथा कार्यक्रम को समुचित ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : साँझी का विशेष अभिप्राय तो हरिजन तथा आदिम जातियों को लाभ पहुंचाने का ही है । अब हम इस कार्यक्रम का भारत भर में विस्तार कर रहे हैं, और यदि भूमि के हस्तान्तरण आदि जैसी कोई चीज होती है तथा यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी हमें देते हैं तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

Shri Chandrika Prasad : I want to know whether financial assistance will be given to the Block's Youth Clubs so as to make them realy active ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जैसा कि मैंने पहले कहा, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिये हमारे पास स्रोतों की कमी है । अभी हाल ही में, खंडों में आर्थिक कार्यक्रमों को उठाने वाली कुछ युवक-क्लबों के लिए फोर्ड फाउन्डेशन तथा यू० एस० ए० आइ० इ० जैसी अन्तर्राष्ट्रीय माध्यमों द्वारा सहायता प्राप्त की हैं ।

श्री सम्बन्धन : मंत्री महोदय ने कहा है कि युवक-कार्यक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्यों के मध्य समन्वय नहीं है । युवक-कार्यक्रम राज्यों की सूची के अन्तर्गत आता है। केन्द्र तथा राज्यों में फिर दोहरा काम क्यों होता है ? क्या यह मान्य नहीं है कि केन्द्र इस कार्य को छोड़कर राज्य सरकारों को केवल अपनी सलाह तथा धनराशि प्रदान करे ?

श्री विश्वनाथन : हमें सलाह नहीं चाहिये परन्तु वे पैसा दे दें।

श्री सम्बन्धन : विशेषकर तमिलनाड में राज्य सरकार ने एक संरतनि प्पादाई, आरम्भ की है जो कि गाँवों में स्वयंसेवा के रूप में सामाजिक कार्य तथा ग्राम-कल्याण के लिए न्यूनाधिक

एक युवक कार्यक्रम है। केन्द्रीय स्तर पर संगठन कार्यों में धन नष्ट करने की बजाय ऐसे संगठनों को धन वितरित किया जा सकता है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सत्य है कि राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाएं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चला रहे हैं। राज्य सरकारें तथा स्वयंसेवी निकायों द्वारा किये गये काम को दोबारा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारा प्रयत्न तो इन कार्य-कलापों को केवल समन्वित करने का है. . .

श्री रंगा : उन्हें धन दीजिये।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : तथा भविष्य में इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त धनराशि देने का है।

श्री अनन्तराव पाटिल : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय श्री देवराव पाटिल द्वारा रखे गये मूल प्रश्न का अर्थ नहीं समझे क्योंकि कई वर्षों से उनका ग्रामीण युवकों तथा देहातों से उनका सम्पर्क नहीं रहा है। इस देश में जब हम कृषि-उद्योग अथवा कृषि पर आधारित उद्योग की बात करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम देहाती शिक्षित युवकों के लिए रोजगार का कोई रास्ता खोल रहे हैं अथवा कृषि या कृषि प्रधान उद्योग में अधिक उत्पादन में सहायता मिलती है। इस युवक कार्यक्रम के पृष्ठ में तो यह उद्देश्य है कि अमरीका जैसे विदेशों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को प्रशिक्षण दिया जाये। अतः हमें तो उन्हें कृषि-उद्योग का ज्ञान कराना है तथा उनके लिए ऐसे उद्योग में मार्ग बनाने हैं। परन्तु मंत्री महोदय ने न तो इस पर प्रकाश डाला है और नहीं कोई निदेश दिये हैं। वह तो केवल कहते हैं कि सरकार के पास ऐसी कोई परियोजना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस नई परियोजना को कभी अपनाएगी तथा कब क्रियान्वित करेगी ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं ने यह नहीं कहा कि ऐसी परियोजना है ही नहीं। मैंने कहा है कि ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास परियोजनायें हैं। वास्तव में तो एक केन्द्रीय परियोजना है जो कि वर्ष 1962 में अस्तित्व में आई है। विभिन्न कैम्पों में 22,000 युवकों को हम पहले ही प्रशिक्षित कर चुके हैं।

Shri Jharkhande Rai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether the fallow barren lands *e.g.* 25 lakh (acres) in U.P., will be included in this rural youth-Programme and utilised for this purpose ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : ग्रामीण युवकों द्वारा उठाई गई बागबानी, मछली-पालन, कुक्कुट-पालन तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यकलाप हैं, जिनकी कि बड़ी सूची है।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, the reply given is different from the question asked.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं उस तक भी आ रहा हूं। उन्होंने पड़ती जमीन के उपयोग का प्रश्न उठाया है तथा उस सम्बन्ध में कार्यकलापों के बारे में पूछा है। इनकी एक बड़ी सूची है।

Shri Robi Ray : You have not understood the question.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : पड़ती भूमि को अंकित कर लिया गया है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे । श्री रविराय द्वारा रखा गया, संख्या 749। मंत्री महोदय इसके साथ ही प्रश्न संख्या 755 तथा 756 का भी उत्तर दे दें क्योंकि वे भी उस से सम्बन्धित हैं ।

Shri Jharkhande Rai: Mr. Speaker, I had asked whether that waste & barren land has been included in the list of the lands meant making fertile?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : वह भी शामिल की गई है ।

खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता

+

*749. **श्री रवि राय :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 फरवरी, 1968 को "हिंदुस्तान टाइम्स" में छपे समाचार के अनुसार कृषि में वैज्ञानिकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि देश में 1975 तक की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगेगा ।

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हाँ । पेनल के सदस्यों ने "क्या 1975 में अकाल पड़ेगा" विषय संगोष्ठी में यह विचार व्यक्त किया था ।

(ख) और (ग) केवल कुछ विचार ही व्यक्त किये गये थे और कोई विशेष सिफारिशें नहीं की गई थीं । भारत सरकार 1971 तक खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु पहले ही कटिबद्ध है ।

उपज बढ़ाने वाले राग तैयार करना

*755. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उपज बढ़ाने वाले राग तैयार करने के सम्बन्ध में बहुत धीमी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपज बढ़ाने वाले रागों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) देश में विभिन्न फसलों के अधिक उपज बढ़ाने वाले रागों पर अनुसंधान की गति को तीव्र करने हेतु, यह आवश्यक समझा गया है कि उपबन्ध संसाधनों को पूल करके अखिल भारतीय आधार पर अनुसंधान किये जायें । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कई सम्भन्वित परियोजनायें बनाई हैं, इनमें से कुछ परियोजनायें भारत सरकार द्वारा पहले ही से स्वीकृत की जा चुकी हैं और उन पर कार्य हो रहा है तथा अन्य परियोजनाओं को शीघ्र ही कार्यान्वित करने की सम्भावना है ।

अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम

*756. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी खरीफ मौसम में राज्यों में अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत और अधिक भूमि में इन किस्मों की फसलों की खेती कराने के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में कितनी अधिक भूमि में ऐसी खेती कराने की योजना तैयार की गई है ; और

(ग) इस योजना के फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, hon. Minister has stated that after a few years country will be self-sufficient in foodgrains and Shri Morarji Desai also assured the House while replying to the general budget debate that country will be self-sufficient in foodgrains by 1970-71, I would like to know from the hon. Minister to tell the House what steps are being taken to achieve the target ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : यह प्रश्न बड़ा व्यापक है ; फिर भी मैं यह कहना चहता हूं कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अच्छे बीजों, अनुसंधान की उपलब्धियों को व्यवहारिक रूप देने तथा पर्याप्त रसायनिक खाद, जल आदि पर निर्भर कर रहे हैं ।

श्री रंगा : क्या कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग भी किया जा रहा है ?

श्री अन्ना साहब शिन्दे : हाँ, इनका प्रयोग भी किया जा रहा है ।

Shri Rabi Ray: I want to remind the hon. Minister that Shri Gadgil, the Deputy Chairman of the Planning Commission made a statement a month ago that the programme for the research which is being made is only meant for irrigated lands or there is

26 crore acres of cultivable land in the country out of which only 5 acres of land is irrigated in view of this whether the Government are implementing the special measures pointed out by Shri Gadgil for the irrigation of 26 crore acres of land in the coming three four years?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि हमारी योजनायें केवल सींची गई भूमि तक ही सीमित हैं जो लगभग 20 प्रतिशत है। कृषि सम्बन्धी योजना की व्यापक परिधि में वह भूमि भी आ जाती है जिसकी सिंचाई न हुई हो। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सिंचाई के छोटे साधनों अथवा अन्य साधनों के विकास के लिये कोई योजना है। वास्तव में यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इस कार्य के लिये योजनायें हैं और हम सिंचाई की सुविधाओं पर पर्याप्त बल दे रहे हैं।

श्री बी० चं० शर्मा : विश्व के सभी देशों में प्रयोग करके यह मालूम किया गया है कि अधिक उपज देने वाले बीज किसी एक सीमा तक ही अधिक उपज देते हैं और उस सीमा के बाद ह्रासमान प्रतिफल प्रारम्भ हो जाता है। ये बीजों की किस्में न केवल रसायनिक खाद आदि पर बल्कि भूमि पर भी बहुत अधिक दबाव डालती है। मैं जानना चाहता हूं कि ये अधिक उपज देने वाले बीज कब तक उपज को अधिक प्रति शत देते रहेंगे यदि भूमि की शक्ति में कब ह्रास होने लगेगा जिस से कि यह पहले से कम उपज उत्पन्न करना आरम्भ कर देगी?

श्री अन्नासाहब शिन्दे: विज्ञान के विकास की कोई सीमा नहीं है, वास्तव में जहाँ तक उपज की क्षमता का सम्बन्ध है हमने एक हैक्टेयर में 5 टन अनाज की उपलब्धि कर ली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में जो अनुसंधान कार्य किए गये उस से उपज की क्षमता को प्रति हैक्टर 10 टन तक बढ़ाना सम्भव हो सकेगा, इस ओर हम प्रगति कर रहे हैं माननीय सदस्य की इस प्रकार की आशंका अकारण है कि एक विशेष सीमा के बाद उपज में वृद्धि नहीं होगी।

Shri Beni Shanker Sharma So far as I remember the hon. Food Minister has many times stated in this House that by 1971 we will have self-sufficiency in foodgrains. Now the prediction of the agricultural scientists is creating a sort of fear in our hearts, will the hon. Minister be pleased to state whom should we belive the scientists or the hon. Minister?

May I request the hon. Minister that so far as the question of self-sufficiency in foodgrains is concerned there is a prime necessity of water in our country. In Bihar, irrigation facilities have not yet been given in many places, keeping this in view together the hon. Minister will give an assurance that adequate irrigation facilities will be made available to Bihar as well as to every field in the country in the coming two or three years?

श्री अन्नासाहब शिन्दे: जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है सरकार अगामी थोड़े वर्षों के दौरान खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए बड़ी निष्ठा से प्रयत्न कर रही है। जहां तक प्रत्येक खेत को सिंचाई करने का प्रश्न है, ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकेगा। लेकिन जैसा कि मैं स्वीकार कर चुका हूं छोटे तथा बड़े सिंचाई साधनों की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त जोर दिया जा रहा है।

Shri Ramavatar Shastri Hon. Minister has mentioned about research stations in connection with the evolution of high-yielding strains in the country, may I know how many research staions have been opened in the country, what are the states in which these stations have been opened and whether there is any programme under consideration to open such research stations in the undeveloped States where the production is very low, if so, what are the outlines of the programme?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : हम मुख्यतः धान तथा गेहू के उत्कृष्ट तथा नये रागों पर निर्भर कर रहे हैं। सारे देश में इन पर परीक्षण हो रहा है जिसमें बिहार भी सम्मिलित है जहां के माननीय

सदस्य प्रतिनिधि हैं। जहां तक उपज की क्षमता का सम्बन्ध है पिछले दो वर्षों के अनुभव के अनुसार हमारे अधिकतर अनुमान सफल साबित हुए और हमारी योजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक चल रही हैं। हमारे सम्पूर्ण देश में पहले ही काफी संख्या में अनुसंधान केन्द्र विद्यमान हैं।

श्री को० सूर्यनारायण : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार किसानों की उन कठिनाइयों से अवगत है जो उन्हें अधिक उपज देने वाली फसलों के द्वारा कृषि के विकास करने में उठानी पड़ती हैं? देश में कृषकों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसके पास छोटी जोत (कम भूमि) है तथा जो सुविधाओं के अभाव में नये तरीकों का प्रयोग नहीं कर पाए, दूसरे क्या सरकार राज्यों को छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? कई राज्यों ने जिस में आंध्र प्रदेश भी सम्मिलित है बहुत सी छोटी सिंचाई योजनाओं को प्रस्तुत किया है, लेकिन यहाँ तक कि बजट में भी उनके लिए पर्याप्त निधि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है हालांकि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को अपने धान के अतिरिक्त भाग को अन्य राज्यों को देने के लिए कहा जाता है।

श्री अन्नासाहब शिन्दे : जहा तक छोटी जोत वाले किसानों के लिए पर्याप्त साख की सुविधाओं की व्यवस्था का प्रश्न है यह समस्या बनी हुई है, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि यह समस्या व्यापक रूप लिए हुए है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि जहां तक अधिक उपज देने वाली फसलों का सम्बन्ध है इस बात का ध्यान रखा जाए कि छोटी जोत वाले किसानों को भी खाद की सुविधाएं उपलब्ध हों और उसके साथ ही सारी कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने के यत्न भी किये जा रहे हैं। जहाँ तक छोटे सिंचाई-साधनों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का सम्बन्ध हैं इस समय ऐसी व्यवस्था है कि 60 प्रतिशत ऋण के तौर पर दिया जाता है। 15 प्रतिशत अनुदान के तौर पर और राज्य सरकारों को केवल 25 प्रतिशत की व्यवस्था करनी होती है। राज्य सरकारों को सहायता देने के हेतु केन्द्रीय बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : हाल ही में रिजर्व बैंक ने एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार सन् 1975 तक हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता 15.20 करोड़ टन हो जायेगी तथा जनसंख्या 63 करोड़ से अधिक हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार के अनुसार, हम 1975 तक 15.20 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेंगे, दूसरे, इस उत्पादन लक्ष्य के लिये कितनी क्षमता की रसायनिक खाद तथा सिंचाई की आवश्यकता होगी और क्या हम इन आवश्यकताओं को उपलब्ध कर सकेंगे?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले विशेषज्ञों के विभिन्न दल भिन्न-भिन्न आंकड़े बता रहे हैं, हम इसको आधार बना कर चल रहे हैं कि 1970–1971 तक 12 करोड़ टन का उत्पादन हो जाना चाहिये। जो विभिन्न आंकड़े दिये गये हैं उनमे काफी अन्तर है और उस विवाद को मैं सभा में नहीं लाना चाहता हूं। उन आंकड़ों के अनुसार जिन पर कि बहुत से विशेषज्ञ लगभग सहमत हैं हमें 1970–71 तक यथासम्भव 12 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन कर देना चाहिये तथा इसके लिये 40 लाख टन रसायनिक खाद का प्रयोग हो। यही इसकी विशेषज्ञों द्वारा दी गयी रूपरेखा है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : 1975 तक कितने उत्पादन की आशा की जाती है?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : कभी-कभी विशेषज्ञ इसको आधार मान कर चलते हैं कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितनी आवश्यकता होगी तथा क्या यह खाद्यान्न और दालों की

मदों में होगी अथवा कितनी कैलोरी वे लेते हैं इसमें। कुछ विशेषज्ञों ने 1975 तक के लिये 13.30 करोड़ टन खाद्यान्न के आंकड़े दिये हैं।

श्री रा० बरुआ : मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार विभिन्न राज्यों में सिंचाई योजनाओं के संगठन और उनकी कार्यान्विति के लिये तथा अधिक उपज देने वाली फसलों और रसायनिक खण्ड के अच्छे उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये एक दल भेज रही है ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : समय-समय पर केन्द्रीय दल राज्यों का दौरा करते हैं और ये सब कार्यकलाप समन्वित हैं। जहां तक क्रियान्विति का सम्बन्ध है यह पूर्णत: राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

Shri Sharda Nand : I would like to know from the hon. Minister that when they have provided credit facilities to the farmers through land mortgage banks then whether the Government will prepare any assessment booklet so that the Agriculturist may have convenience in getting the credit? The present position is that they have to face difficulties in getting the credit; they waste money in other things and spend more than the credit they receive. Whether the Government will make any such programme. So that the assessment of the lands of the agricultiriusts may be made and the assessment booklet may be handed over to the farmers and they should directly deal with the Co-operative Banks ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : केन्द्रीय सरकार की ओर से नीति विषयक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वास्तव में, कुछ भूमि-बंधक बैंक, उदारणार्थ जैसे कि आंध्र और गुजरात में, बिल्कुल ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार माननीय सदस्य के राज्य के भूमि-बंधक बैंक भी कार्य कर सकते हैं।

श्री प० वेंकटासुब्बया : सरकार को यह आशा है कि अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने के कार्यक्रम को जोर-शोर से चलाने पर वे कृषि-उत्पादन में वृद्धि कर पायेंगे। कृषि-उत्पादन और खाद्यान्न म आत्म-निर्भरता केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब इसे लाभकारी कीमतें, ऋण की सुविधाएं, माल को प्रणोपयोगी बनाने तथा विपणन (क्रय-विक्रय) द्वारा पैकेज ढंग पर छल किया जाय। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न कर रही है और रायल कृषि आयोग के आधार पर एक कृषि आयोग की नियुक्ति कर रही है जिससे कि यह कार्यक्रम खण्डश: न चले ? कृषकों में प्रोत्साहन पैदा करना बहुत आवश्यक है। सरकार की खण्डश: (थोड़ा-थोड़ा करके कार्य करने वाली) नीतियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि कीमतें गिर जायें तो पूरी सम्भावना है कि आत्म-निर्भरता प्राप्त न हो सके, क्या सरकार मे विषय के इस पहलू पर विचार किया है ?

श्री रणधीर सिंह : श्रीमन्, जो प्रश्न मैं करना चाहता था वह उन्होंने पूछ लिया है।

श्री अन्नासाहब शिन्दे : सरकार की वर्तमान नीति वैसी ही है जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। जहां तक कृषि आयोग की नियुक्ति का प्रश्न है सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि 1929 के कृषि आयोग के आधार पर एक कृषि आयोग की नियुक्ति की जाय अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही इस प्रश्न पर 15 मिनट खर्च कर दिये ह और अभी कम से कम 20 सदस्य ऐसे हैं जो प्रश्न करना चाहते हैं। मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। यदि सदस्य चाहें तो हम पूरे समय तक इसे ही जारी रख सकते हैं। लेकिन शीघ्र ही खाद्यान्न पर चर्चा होनी है, और स्वयं आज के लिये खाद्य सम्बन्धी कुछ और प्रश्न भी हैं। तो क्या हम दूसरे प्रश्न पर चलें ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा की यही राय है तो मैं इसके लिये 5 मिनट और देता हूं तथा उसके बाद हम दूसरा प्रश्न आरम्भ करेंगे।

श्री कन्डप्पन : भारत का एक छोटा सा किसान होने के नाते मुझे ग्लानि होती है कि हम अभी भी खाद्यान्न के लिये विदेशों पर निर्भर करते हैं और इसका मुख्य उत्तरदायित्व सरकार पर है वह भी केन्द्रीय सरकार पर। सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार, मद्रास सरकार ने अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उपज दोनों दृष्टि से शानदार कार्य किया है। उन्होंने इस वर्ष के लिये छोटे सिंचाई साधनों के लिये 25 करोड़ रुपये की मांग की है और मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए कहा कि छोटे सिंचाई साधनों के लिये राज्य सरकारों की सारी मांगें पूरी की जायेंगी तथा पूर्ण आबंटन का केवल 25 प्रतिशत राज्य को देना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास के शानदार कार्य को देखते हुए क्या 25 करोड़ की यह राशि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमति प्रकट करता हूं कि हमारे देश को यथा सम्भव शीघ्र खाद्यान्न के आयात को समाप्त करना चाहिये। लेकिन उन्होंने कहा कि कृषि के असंतोषजनक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कृषि पूर्णरूपेण राज्य का विषय है। इसलिये जब तक राज्य इस कृषि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये भरसक प्रयत्न नहीं करते तब तक कृषि-उत्पादन को बढ़ाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री कन्डप्पन : राज्य सरकारों की यही कठिनाई है कि नासिक [प्रैस केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है।

श्री अन्नासाहब शिन्दे : छोटे सिंचाई कार्यक्रमों के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देने का जहां तक सम्बन्ध है उसमें योजना की अधिकतम सीमा का 60 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है; और शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है; 25 करोड़ रुपये नहीं प्रत्युत 25 प्रतिशत।

श्री कन्डप्पन : बजट में योजना आवंटन से अलग 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी और हम समझे थे कि यह धन सिंचाई कार्यों के लिये उपयोग किया जायेगा। मंत्री महोदय कम से कम यह तो बतायें कि छोटी सिंचाई के लिये हमें कितना धन मिल रहा है।

श्री अन्नासाहब शिन्दे : प्रत्येक राज्य के आंकड़े देने के लिये मुझे समय चाहिये।

Shri K. N. Tiwary : It is very essential to examine the quantity of the water and soil since more water is required where synthetic fertilizer is applied. There is great paucity of funds in every Province where there exist Central Government Schemes for constructing dams. Have you talked about or given recommendations in regard to the schemes by which the production of foodgrains can be increased; if so, what are the results?

You are introducing new varieties of wheat, maize and rice seeds. I want to know whether your department is examining the other varieties of seeds and whether some research is being undertaken in regard to these seeds?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का जहां तक सम्बन्ध है, वह उन्हें सिंचाई व बिजली मंत्रालय से करना चाहिये। प्रश्न के दूसरे भाग में के संदर्भ में मैं निश्चय के साथ कहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को अनुसन्धान के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। अपने ही देश में, मकई, धान, बाजरा तथा गेहूं आदि के महत्वपूर्ण प्रभेदों को निकालने में या हम सफल रहे ह। परन्तु इसके साथ-साथ हम विश्व म ऐसी ही वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ भी समुचित समन्वय बनाये हुए हैं। हमारे वैज्ञानिकों तथा विश्व के अन्य विज्ञान-सम्बन्धी कार्यकलापों के मध्य समन्वय में कमी नहीं है।

Shri Shinkre : It is a matter of satisfaction that new lands are being prepared in order to achieve self-sufficiency in food grains as also that efforts are being made to launch experiments in regard to increasing the production of improved seeds and fertilizers. But in Goa we find that the cultivable land where, by the grace of nature, we always have enough production, is getting destroyed owing to defective planning. Much of the land in Goa is beside the banks of the rivers. It remains below the sea-level even at the time of high tides. There are dams of sand to protect this land. But the bargees who transport Mangnese and Iron Ores through these rivers, destroy these dams, and water comes down in the fields. May I know whether some steps would be taken to stop this destruction?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : केन्द्र बड़े खुले दिल से गोआ की सहायता कर रहा है। परन्तु क्या मैं यह कह सकता हूं कि गोआ में बहुत सारी भूमि बेकार पड़ी है तथा माननीय सदस्य यदि अपना प्रभाव प्रयोग में लायें तो उस सारी भूमि में खेती की जा सकती है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय ने कहा है कि खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार उत्पादन बढ़ा रही है परन्तु अन्य दोष तो रहते हैं जैसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों में एवम् सरकार के बिजली, सिंचाई, कृषि व खाद्य सम्बन्धी विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोग तथा समन्वय नहीं है। क्या सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के उपाय किये हैं ताकि वर्ष 1975 तक खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये केन्द्र व राज्य सरकारों में समुचित सहयोग हो ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : सुधार के लिये तो सदा गुंजाइश रहती है परन्तु अधिक उत्पादन देने वाले प्रभेदों के प्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रमों में राज्यों और केन्द्र में पूर्ण समन्वय है तथा हम अपने लक्ष्यानुसार अग्रसर हो रहे हैं। पिछले वर्ष नियत किये गये प्रायः सभी लक्ष्यों को हमने पूरा कर लिया है तथा किसानों और राज्य सरकारों से उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिल रही है।

श्री रंगा : अपने प्रश्न में उन्होंने राज्य-स्तर पर बिजली, सिंचाई तथा कृषि विभागों के मध्य समन्वय के विषय में पूछा था। उसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं तो कह ही चुका हूं कि राज्य समन्वय प्रबन्धों में सुधार की गुंजाइश हो सकती है परन्तु केन्द्र के दल जब राज्य सरकारों के दौरे पर आते हैं तो उसमें उन सब विभागों के प्रतिनिधि होते हैं जिनके नाम माननीय सदस्य ने लिये हैं। समुचित समन्वय तो किसी मामले को उठाकर उसे हल करने के प्रयत्नों में ही सिद्ध होता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : ये लक्ष्य तो पहले भी नियत किये गये थे परन्तु विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी के कारण ये पूरे न हुए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने भी आगे बढ़कर अपने लक्ष्य नियत किये हैं? क्या केन्द्र सरकार को कोई जानकारी है कि उनकी कठिनाइयां दूर हुईं अथवा नहीं?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ग्रामों में बिजली पहुंचाने तथा अधिक उत्पादन के प्रक्षेत्रों के कार्यक्रमों के लक्ष्य हमने पा लिये हैं तथा यही कारण है कि कृषि उत्पादन के लिये देश में इतना अच्छा वातावरण है।

Shri Shiva Chandra Jha : May I know whether or not, it is also one of the recommendations of the Agricultural Institute that land ownership relations should be changed. There are many landless people in our country. Until they get lands, they cannot be encouraged to enhance production. I want to know whether the Agricultural Institute has laid down any recommendations in regard to the allotment of lands to the landless people; if so, what are those recommendations and if not, whether Government is formulating any plan to do so,, so that our production might increase and we might become self-sufficient in food grains by 1971?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भूमि सुधार कानूनों को अपने राज्यों में लागू करने की ओर हमने राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है ताकि जहां भी फालतू भूमि उपलब्ध है वह प्राथमिकता के आधार पर भूमिहीन मजदूरों को बांट दी जाये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : किसानों के लिये इतना असमंजस उत्पन्न कर देने के पिछले अनुभवों तथा कृषि-कार्यक्रमों को उत्तमतर एवम् समुचित ढंग से क्रियान्वित करने की दृष्टि से, क्या सरकार सामुदायिक विकास विभाग को भंग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह मेरे अधिकारों से बाहर है। मुख्यत: यह एक प्रादेशिक विषय है और मैं समझता हूं कि केन्द्र और राज्य इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्रों के समक्ष की गई घोषणा कि वर्ष 1971 तक हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेंगे, के अतिरिक्त क्या सरकार को यह सत्य मालूम है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों ने वर्तमान भारी फसल के भिन्न-भिन्न अनुमान दिये हैं? उदाहरणार्थ : भारत सरकार का खाद्य विभाग इसे 9 करोड़ 20 लाख टन बताता है तो कृषि विभाग 9 करोड़ 50 लाख टन बताता है और आयोजना आयोग इसे दस करोड़ टन बताता है। वर्तमान भारी फसल के अनुमानों में ही इतना अन्तर है जबकि सरकार इन पर इतनी आश्रित है। इस संदर्भ में जबकि सरकार कहती है कि वर्ष 1971 तक हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे तथा वर्ष 1975 तक हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न होगा, तो क्या सरकार की आशाएं ऐसे ही अनिश्चित अनुमानों पर आधारित हैं या फिर उनके पास कोई निश्चित अनुमान है? क्या उनके पास कोई ज्योतिषि हैं जो उन्हें खाद्य आदि के भविष्य के बारे में बता देते हैं?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य कदाचित उन विभिन्न अनुमानों के बारे में कह रहे हैं जो कि समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न स्थानों पर प्रकाशित होते रहे हैं। क्या मैं सदन के सूचनार्थ निवेदन करूं कि यह तो प्रायः पूर्व अनुमान होते हैं तथा उत्पादन सम्बन्धी अन्तिम आंकड़े तो इनसे पूर्णतया भिन्न होते हैं ? पूर्व अनुमान तो पहले प्रति एकड़ की बुआई के हिसाब से निर्धारित किये जाते हैं तथा प्रति एकड़ की पैदावार के आधार पर हिसाब-किताब लगाया जाता है। तदुपरान्त, दो मास बाद, फ़सल की हालत देखकर, कुछ अनुमान लगाये जाते हैं। अनुमानों के बारे में कभी-कभी राज्य स्तर पर तथा केन्द्रीय-स्तर पर भिन्नता अवश्य उत्पन्न हो जाती है। परन्तु अमुक वर्ष में देश की भारी फ़सल तथा अच्छी स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी सदा ठीक ही होती है। सामान्य अनुमान की बात में कोई ग़लती नहीं है।

श्री हेम बरुआ : वे कहते हैं कि राज्यों तथा केन्द्र के अनुमानों में प्रायः भिन्नता रहती है। मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार के ही विभागों के अनुमानों में भी भिन्नता होती है। जैसा कि मैंने कहा खाद्य-विभाग तथा कृषि-विभाग के अनुमानों में भी अन्तर होता है।

श्री बेदब्रत बरुआ : जिस तथाकथित लाभप्रद कृषि को हमने वर्ष 1967 में आरम्भ करना था उसमें कुछ मुसीबतें आगई हैं। परन्तु लाभप्रद-कृषि अथवा वैज्ञानिक ढंग से की गई सघन-कृषि से कुछ फ़सली बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रत्येक परम्परागत प्रभेद के बहु-उपज देने वाले प्रभेदों से फ़सली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे सारी की सारी फ़सल नष्ट हो जाती है। क्या सरकार आगामी वर्षों में कृषि-विज्ञान को अधिक महत्व देने के उपायों पर विचार कर रही है क्योंकि हम सघन खेती करने जा रहे हैं तथा अब तक हमने कृषि-विज्ञान को बहुत कम महत्व दिया है अर्थात् कुल बजट का केवल 10 प्रतिशत ही इस पर व्यय किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन कर दिया है। पहले यह सीधे मंत्रालय के नियंत्रण में था लेकिन अब इसको स्वायत्त-निकाय बना दिया गया है। वैज्ञानिकों को और अधिक स्वायत्तता दी जा रही है तथा समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों की योजना हो रही है। पहले कुछ राज्यों तथा केन्द्र में पृथक-पृथक कार्यक्रम हो रहे थे। अब अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित किया जा रहा है तथा साथ ही यह प्रयत्न भी किये जा रहे हैं कि कृषकों को रसायनिक खाद, बीज आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

श्री रा० कृ० बिड़ला : इस समय मूंगफली को तेल निकालने के लिये पेरा जाता है इसके बाद इसे पशुओं के चारे या खाद के लिये प्रयोग में लाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि अमेरिका ने एक प्रक्रिया तैयार कर ली है जिसके द्वारा मूंगफली का तेल निकाल लिया जाता है जबकि मूंगफली का बीज अपना आकार बनाये रखता है और उसको ज्वार या बाजरा या गेहूं आदि के साथ मिलाकर खाद्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : श्रीमन्, मैं आपकी मदद चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओंकारलाल बेरवा।

Shri Onkar Lal Berwa : More than half of the Rajasthan is a desert area. Our Experts signed an agreement with Israel Government to make the desert fertile. May I know how far our agricultural experts have been successful in making the arid land cultivable and how much land have been made cultivable ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : हमारे देश में जिला गंगानगर कृषि-उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अग्रणी जिला हो गया है। जब ये क्षेत्र राजस्थान नहर के अन्तर्गत आ जायेंगे, शायद तब राजस्थान की कुछ समस्याएं हल हो जायेंगी। (व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : राजस्थान के कृषि मंत्री तथा इजराइल सरकार के बीच अल्पजलित भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिये एक करार हुआ था उसका क्या हुआ ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

दिल्ली में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज के लिये उपकरणों का आयात

+

*750. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्थापित किये गये नये क्रास-बार टेलीफ़ोन एक्सचेंज के लिये बेल्जियम से उपकरणों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आई है;

(ग) इस बारे में बेल्जियम की फर्म के साथ हुए करार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि ये उपकरण पुराने उपकरणों से महंगे हैं और यदि हां, तो पुराने और नये उपकरणों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) उपस्कर का एफ० ओ० बी० (फ्री आन बोर्ड अर्थात जहाज तक निःशुल्क) मूल्य 41,586,384 बेल्जियम फ्रेंक था जो कि 39,60,608 रुपये (अवमूल्यन से पहले) के बराबर होता है।

(ग) क्रासबार ढंग के 7000 लाइनों के स्वचल टेलीफोन केन्द्र के लिये आर्डर दिया गया था। यह टेलीफ़ोन केन्द्र करौलबाग में स्थापित किया जाना था और यह सामान डाक-तार विभाग द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टताओं के अनुसार सप्लाई किया जाना था। स्थापना का कार्य डाक-तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाना था।

(घ) जी नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, before asking supplementary questions I would like to say that part (d) of my question was like this.

"क्या यह भी सच है कि यह उपकरण पुराने उपकरण की तुलना में महंगा है और यदि हां, तो पुराने तथा नये उपकरण की तुलनात्मक कीमत क्या है।"

The hon. Minister has said only "No" in his reply. He should atleast tell the comparative cost.

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक तुलनात्मक कीमत का प्रश्न है पुराने उपकरण के लिए हम लगभग 1150 रुपये प्रति लाइन के हिसाब से खर्च कर रहे थे और नये आय तित उपकरण पर, जिसे हमने करौल बाग में स्थापित किया है लगभग 1100 रुपये प्रति लाइन लागत आती है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Just the hon. Minister told that the expenditure in the installation of cross-bar type-telephone exchange is many times more.

Shri I. K. Gujral : I told that this is cheaper and its cost is less by Rs. 50.

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know the advantages achieved by replacing the old equipment.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं दो बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली तो यह है कि हम उपकरणों को नहीं बदल रहे हैं। यह योजना भारत में नये एक्सचेंजों के अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए है। अपनी प्रगति के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से हम अधिक नई और सबसे नयी प्रौद्योगिकी (टैक-नोलौजी) का उपयोग कर रहे हैं और सबसे नयी प्रौद्योगिकी क्रासबार है क्योंकि इसमें गतिमान हिस्से (पार्ट्स) कम है, संधारण लागत कम है, यह अधिक संगठित है, इसकी देखभाल करना सरल है, तथा इसे चलाना भी सरल है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have got the information that in addition to Karol Bagh, Exchanges have been installed in Madras and other places also. I would like to know the amount of foreign exchange involved in the Cross-bar exchanges installed. Whether it is also a fact that there was no foreign exchange or little foreign exchange involved in the previous exchanges. Keeping in view the position of foreign exchange whether the Government will make any such programme so that the indigenous material may be used.

श्री इ० कु० गुजराल : जब हमने क्रासबार के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग का कार्यक्रम बनाया तो इसमें विदेशी सहयोग के दो भाग थे। पहला तो यह है कि हमें छः एक्सचेंजों के लिए 48,000 लाइनें आयात करनी थीं, लेकिन इसमें यहां पर निर्माण के लिए सहयोग की बात भी शामिल थी, हमने भारत में क्रासबार का निर्माण करना आरम्भ कर दिया और हम लगभग अगले वर्ष के अन्त तक 100,000 लाइनें पूरी कर लेंगे यहां तक कि इस समय जैसे कि हम दिल्ली में एक आयातित क्रासबार स्थापित कर रहे हैं, इरनाकुलम तथा शिलांग में हमने भारत द्वारा निर्मित क्रासबार स्थापित करने पहले ही आरम्भ कर दिए हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : इन तीन एक्सचेंजों में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ? यही मेरा प्रश्न था। मैं भविष्य के बारे में नहीं पूछ रहा था।

श्री इ० कु० गुजराल : जब हमने आन्तरिक केन्द्रों के लिए 48,000 लाइनों तथा ट्रंक केन्दों (एक्सचेंजों) के लिए 6500 लाइनों की सप्लाई के लिए टेंडर मांगे तो उस समय कुल टेंडर लगभग 464 लाख रुपये के थे जिसमें भारत में निर्माण के लिए सहयोग का करार भी शामिल है।

Shri R. S. Vidyarthi : Whether it is not a fact that Belgian cross-bar has been a failure in other countries and in its comparison the cross bars of Switzerland, Germany and Norway have proved better ? Whether it is also not a fact that we could have purchased better equipments from the soft currency area and the experts also wanted to buy from there but the ministry did not agree to that keeping some considerations in view ?

श्री इ० कु० गुजराल : पहले 1964 में जब यह करार किया गया था हमने विश्व के सारे देशों से टेंडर मांगे थे और जापान, स्वीडन तथा बेलजियम के तीन टेंडरों पर विचार किया था। जब कि जापान का टेंडर सबसे सस्ता था और स्वीडन बेलजियम की अपेक्षा महंगा था। प्रौद्योगिकी (टैक्नोलौजी) तथा अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा यह महसूस किया गया कि हमें बेलजियम क्रासबार खरीदने चाहिएं, जहां दूसरे देशों में इसकी सफलता अथवा असफलता का सम्बन्ध है मैं उसके बारे में वक्तव्य नहीं दे सकता लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इसका परीक्षण और अनुभव यहां अच्छा रहा है ।

Shri R. S. Vidyarthi : My second question has not been answered. Whether it is not a fact that we could have better equipments from the countries whose currency is soft currency for us and the experts also approved it but the Ministry did not agree to it?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं नहीं जानता कि सुलभ मुद्रा वे किसे समझते हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूं बेलजियम मुद्रा हमारे लिए सुलभ मुद्रा है ।

श्री लोबो प्रभु : क्रासबार योजना, कोअक्शियल (समाक्ष) योजना तथा माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंग) योजना आदि सब नवीनतम हैं जिनकी आवश्यकता बड़े बड़े व्यापारियों को होती है और उन लोगों को होती है जो सीधे (डाइरैक्ट) टेलीफोन की सुविधाएं चाहते हैं तथा वे साधारण जनता के लिए किसी महत्व के नहीं हैं। हमें टेलीफोनों पर काफी घाटा हो रहा है जबकि डाक व्यय में 15 पैसे टिकटों पर वास्तव में 8 करोड़ रुपये का लाभ है । सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या सरकार इन नवीनतम टेलीफोनों को स्थापित करना उस समय तक के लिए स्थगित कर देगी जब तक कि टेलफोनों से अधिक धन प्राप्त न होने लगे और लोग इस कष्टदायक अधिक व्यय को देने के लिए तैयार न हों।

श्री कु० इ० गुजराल : माननीय सदस्य विद्वान पुरुष हैं। उनका यह अनुमान गलत है कि टेलीफोनों पर हम घाटा उठा रहे हैं। टेलफोनों पर हमें घाटा नहीं हो रहा है बल्कि हम लाभ कमा रहे हैं ।

श्री लोबो प्रभु : तब दरें क्यों न कम कर दी जाएं ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक नवीनतम यंत्रों का सम्बन्ध है हम इन यंत्रों तथा टैक्नोलौजी (प्रोद्योगिकी) का प्रयोग इसके उपहास के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि इसलिए कि हम उपभोक्ता को अधिक अच्छी और विस्तृत सेवा देना चाहते हैं।

Shri A. S. Saigal : Just you stated that we called for tenders from three countries. Whose tender was the lowest of the three?

Shri I. K. Gujral : I requested that Japanese tender was the lowest.

Shri A. S. Saigal : What was the reason of not accepting the lowest tender?

श्री इ० कु० गुजराल : यह चार वर्ष पुरानी बात है उस समय इस पर यहां काफी चर्चा हुई थी। बात यह है कि उस समय तीन टेंडर थे और यह स्वाभाविक है कि जो टेंडरों का मूल्यांकन करते हैं वे मूल्य और प्रौद्योगिक सुविधाओं का मूल्यांकन भी करते हैं तथा उसके बाद निर्णय पर पहुंचते हैं।

श्री किरुतिनन : मैं मंत्री महोदय से देश के उन नगरों का नाम जहां क्रास बार प्रणाली लागू की जा चुकी है और बेल्जियम को छोड़कर उन दूसरे देशों का नाम पूछना चाहता हूं जिनके साथ भारत ने क्रास-बार उपकरण आयात करने के लिए समझौता किया है। जहां तक मुझे पता है मद्रास और दिल्ली में क्रासबार प्रणाली लागू की जा चुकी है। इसलिए मद्रास और दिल्ली के बीच सीधी डायलिंग प्रणाली शुरू करना बहुत आसान है। इसमें देरी का क्या कारण है और यह कब तक शुरू हो जाएगी।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक सीधी ट्रंक डायलिंग प्रणाली का सम्बन्ध है, हम वर्ष के अन्त तक मद्रास सहित 17 नगरों को सीधी ट्रंक डायलिंग प्रणाली से जोड़ लेंगे। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है हमने मद्रास, बम्बई और दिल्ली में क्रास बार प्रणाली लागू कर दी है। अब हम दिल्ली, बम्बई, एर्नाकुलम और शिलांग में अधिक क्रासबार एक्सचेंज स्थापित कर रहे हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव : मन्त्री महोदय ने बताया है कि आयातित क्रासबार उपकरण की लागत 4.64 करोड़ रुपये होती है। क्या इन आयातित उपकरणों में से दिल्ली के लिए एक उपकरण 1965 के दौरान पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था और वह अब इस्लामाबाद में लगाया जा चुका है? सरकार ने इसे वापस लेने के लिए क्या कार्रवाई की है?

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर, कि पाकिस्तान ने उपकरण पर कब्जा कर लिया है, सकारात्मक है। जहाँ तक उसकी वापसी के लिए कार्रवाई का प्रश्न है, वह वृहत् नीति का अंश है।

खाद्यान्नों पर राजसहायता

+

*753. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता समूचे देश में समाप्त कर दी गई है और यदि हाँ, तो कब से;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों को अभी तक खाद्यान्नों पर राजसहायता दी जा रही है और प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राजसहायता दी जा रही है; और

(ग) सरकार इस समय कितनी वार्षिक राजसहायता दे रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भण्डार से सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में पहली जनवरी से वृद्धि करने के बाद, केवल आयातित गेहूं और देसी मोटे चावल पर दी जाने वाली राज सहायता बन्द कर दी गयी है। जबकि आयातित माइलो और आयातित चावल पर कुछ हद तक कम कर दी गयी है।

(ख) खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में राज सहायता की राशि शामिल होती है और किसी राज्य सरकार को अलग से कोई राज सहायता नहीं दी जाती है। तथापि सभी राज्यों के लिये निर्गम मूल्य एक से हैं। अतः निर्गम मूल्यों में शामिल राज सहायता भी सभी राज्यों के लिये समान है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1967-68 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से बेचे जाने वाले खाद्यान्नों पर दी जाने वाली वार्षिक राज सहायता का अनुमान लगभग 106 करोड़ रुपये है।

Shri Prem Chand Verma : I would like to know the amount of subsidy of foodgrains granted to different States during 1965-67 and specific amount given to the Government of Jammu and Kashmir out of the said amount.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही बता चुका हूं कि राज्य सरकारों को हम कोई राशि नहीं देते। जैसा मैंने बताया है, जम्मू और कश्मीर सहित सारे देश में निर्गम मूल्य एक ही हैं। हम जिस कीमत पर और राज्यों को अनाज देते हैं उसी कीमत पर जम्मू और कश्मीर को भी देते हैं।

Shri Prem Chand Verma : Honourable Speaker, this question has been raised twice earlier also but the Honourable Minister evades the reply. My clear question is whether the price of rice sold in Jammu & Kashmir is not 50% less than prevailing in other States and it is because of the fact that the Central Government gives subsidy for this purpose. If so, why? I Would like to know whether an amount of Rs. 10 crores was not paid to the Government of Jammu & Kashmir last year. Whether it has come to the notice of the Honourable Minister that the Honourable Members have stated in the Jammu & Kashmir Assembly that the foodgrains is being smuggled to Pakistan and that some responsible persons have hand in it? Whether the Government will keep this in view while giving subsidy to the Government of Jammu & Kashmir and the action proposed to be taken in this regard?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम जम्मू और कश्मीर को दूसरे राज्यों से कम कीमत पर अनाज नहीं दे रहे हैं। शायद जम्मू और कश्मीर सरकार अपने बजट में से सहायता दे रही हो।

श्री स० चं० सामन्त : जब देश में अनाज पर राज सहायता देना शुरू किया गया था उस समय क्या कठिनाइयाँ थीं और क्या वे कठिनाइयाँ अब दूर हो चुकी हैं?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अनाज पर राज सहायता हटाने के प्रश्न पर खाद्यान्न नीति समिति और कृषि-पदार्थ मूल्य आयोग जैसे विशेष समितियों ने विचार किया था, उन्होंने भारत सरकार को राज सहायता हटाने के लिए परामर्श दिया था। तदुपरान्त इस विषय पर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी और कई मुख्य मन्त्रियों का विचार था कि राज सहायता हटा देनी चाहिए। सरकार के पास भी राज सहायता देने के लिए साधन नहीं थे, इसलिए राज सहायता हटा दी गई।

श्री श्रीधरन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर सरकार अपने धन में से चावल पर राज सहायता दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार को चावल पर राज सहायता देने के लिए भारी संख्या में ऋण और अनुदान दे रही है? यदि हाँ, तो दूसरे राज्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर सरकार को इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि के ऋण और अनुदान दिए गए थे और कितनी राशि के ऋण वापस किए जा चुके हैं?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक खाद्य मन्त्रालय का सम्बन्ध है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि हम जम्मू और कश्मीर सरकार को दूसरी राज्य सरकारों से कम कीमत पर अनाज नहीं दे रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न यह है कि क्या जम्मू और कश्मीर सरकार को अनाज पर राज सहायता देने के लिए ऋण दिया जा रहा है ? चाहे कोई भी मन्त्रालय ऋण दे, यह जनता का धन है, सदन को इस तरह गुमराह क्यों किया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर स्पष्ट है । आप भले ही यह स्वीकार न करें । मन्त्री महोदय ने कहा है कि राज सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है । ऋणों की बात दूसरी है । ऋण हरेक राज्य को दिये जाते हैं । वह दूसरी बात है । मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री बलराज मधोक : ऋण केवल इसी प्रयोजन से लिए दिया जाता है ।

Shri Prem Chand Verma: Speaker Sir, is being sold there at the rate of 6 annas per kilogram whereas it is Rs 1·50 per kilogram in other places.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार राज सहायता दे रही है । विवादास्पद बात यह है कि क्या राज सहायता केन्द्रीय सरकार दे रही है । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज सहायता नहीं दे रही है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या मन्त्री महोदय केरल के प्रश्न पर विचार करेंगे जो कि 145 करोड़ रुपये की आय में से 19 करोड़ रुपया राज सहायता के रूप में दे रही है । सरकार को या तो राज सहायता देनी पड़ती है या चावल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी । हम केवल 3 औंस चावल ही दे रहे हैं । यदि चावल की कीमत बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से खुले बाजार में चावल महंगा हो जाएगा और इसका भार आम जनता पर पड़ेगा । इसलिए या तो केन्द्रीय सरकार को पूरी राज सहायता देनी चाहिए या चावल का पूरा कोटा देना चाहिए । यदि सरकार केरल की जनता पर कांग्रेस को हरा कर गैर-कांग्रेसी सरकार को सत्तारूढ़ करने का बदला नहीं लेना चाहती, तो क्या सरकार इसका स्पष्ट उत्तर देगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : केरल में अनाज किस भाव बेचा जाय, इस बात पर केरल सरकार को विचार करना चाहिए । जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं हम किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं । हम चावल सहित सब राज्यों को अनाज रियायती 'पूज' मूल्य पर दे रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है । आपने राज सहायता वापस ले ली है । इसके परिणामस्वरूप हमें 19 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है जिसका मतलब विकास कार्यों को रोकना है । यदि आप हमें 75,000 मेट्रिक टन चावल दें तो हम प्रति व्यक्ति को 6 औंस चावल दे सकते हैं तो हम चावल का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं । यदि आप चावल की इतनी मात्रा देने को तैयार न हों तो आप हमें चावल का मूल्य बढ़ाने के लिए कह रहे हैं । मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या केरल को चावल की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं या राज सहायता देना चाहते हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम अभी भी केरल को चावल की पूर्ति पर $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की राज सहायता दे रहे हैं ।

नियम 40 के अन्तर्गत

प्रश्न संख्या 2

राज्य व्यापार निगम द्वारा गंधक के आयात के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

श्री मधु लिमये : क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुये कि गंधक के आयात के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किये गये करार के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का पाँचवाँ प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा दिये गये विशेष निर्देश पर दिया गया विशेष प्रतिवेदन था, क्या समिति ने अपनी सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये कहा गया है, तो उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति (श्री द्वा० ना० तिवारी) : (क) और (ख) महोदय, सामान्य पद्धति यह है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का उत्तर 6 महीने के अन्दर दिया जाना है । इस मामले में सरकार को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के पाँचवें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों का उत्तर पहली मार्च, 1968 तक देने को कहा गया था ।

(ग) 19 मार्च, 1968 को प्रतिवेदन में की गई 24 में से 19 सिफारिशों का उत्तर सरकार से प्राप्त हो गया है । बाकी 5 सिफारिशों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Shri Madhu Limaye: Speaker Sir, though it was a special report, yet it has been replied to after 19 days and even then no reply has been given to five recommendations. I want to know through your Honour from the chairman the remarks made about "Amar Jyoti" on 26th page of his report. I read out a sentence:

"सब पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति का मत है कि सारा मामला श्री एन० आर० दत्त और मेजर विपिन खन्ना के सहयोग से बनाया गया और मेसर्ज़ अमर ज्योति नामक फर्म की स्थापना की गई क्योंकि गन्धक के ठेके में 11 लाख से ऊपर कमीशन मिलने की सम्भावना थी ।"

There was no other purpose of the firm. This firm did not do any job. It was set up only to earn commission of Rs. 11 lakhs. This is the finding of the Public Undertakings Committee. What is the reaction of the Government thereto and action proposed to be taken by the Government to penalise the defaulters—the Government officials or the officers of the firm ?

Shri D. N. Tewari: The reply to this has not been received so far and will be received in the replies of the remaining five recommendations.

Shri Madhu Limaye: Does this mean that these recommendations are not important ?

Shri D. N. Tiwari: It does not mean that these are unimportant. Every recommendation is important.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। आम तौर पर यह होता है कि जब समिति किन्हीं विशेष उद्योगों को लेती है तो नियमित रिपोर्ट मन्त्रालय को भेजी जाती है और वह कुछ उत्तर देती है। फिर समिति उस पर विचार करती है और फिर वह रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट होती है। लेकिन इस मामले में, विशेषकर मन्धक सौदे या राउरकेला के मामले में, आपने मामला विशेष रूप से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपा। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब कभी कोई विशेष मामला ऐसी समितियों को सौंपा जाता है तो उनके प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इन मामलों से सदन सम्बन्धित होता है। यह नहीं होना चाहिए कि सरकार कुछ उत्तर दे और समिति निर्णय कर ले। अध्यक्ष महोदय ऐसी वित्तीय समितियों को विशेष रूप से जो प्रश्न सौंपते हैं, उन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। इस समय मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Procurement of Foodgrains

*751. **Shri K. M. Madhukar:**
Shri Bhogendra Jha:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have ascertained the reasons of slow progress in the procurement of foodgrains in some States; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government so that the target could be achieved?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) The State Governments concerned are trying to remedy the defects, but some damage to crops in some States will make it difficult to achieve the targets in these States.

आटा मिलों में रासायनिक विश्लेषण

*752. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की अधिसूचना में यह उपबन्ध है कि गेहूं के उत्पादों की आटा मिलों से सम्बद्ध प्रयोगशालाओं में आसुत जल से रासायनिक विश्लेषण किया जाना चाहिये न कि सादे भारी जल से;

(ख) क्या यह सच है कि भारी जल से किया गया विश्लेषण आटा, सूजी आदि गेहूं के उत्पादनों में गेहूं के सत की मात्रा अधिक अनुपात में दिखाता है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अन्नपूर्णा फ्लोर मिल्स, वाराणसी तथा कुछ अन्य आटा मिल रसायनज्ञों को बाध्य करके भारी सादे पानी का जिसमें नमक होता है, प्रयोग कराकर रासायनिक विश्लेषण के परिणामों को बदल देते हैं; और

(ग) क्या अचानक छापे मारकर और पकड़े जाने वाले नमूनों का अपनी प्रयोगशालाओं में विश्लेषण कराने का सरकार का विचार है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या अमुक आटा मिल मिलावट कर रहा है या नहीं और यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। वस्तुतः भारत सरकार ने आटा मिलों में गेहूं के उत्पादों का रासायनिक विश्लेषण के सम्बन्ध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है।

(ख) भारी पानी के प्रयोग से ग्लूटेन की प्रतिशतता में स्पष्ट वृद्धि बहुत ही नगण्य है।

(ग) केवल अन्नपूर्णा आटा मिल्स, वाराणसी के भूतपूर्व रासायनज्ञ से प्राप्त पत्र में इस प्रकार का आरोप लगाया गया है।

(घ) आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे।

बिक्री योग्य फालतू अनाज

*754. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अनाज के वास्तविक उत्पादन तथा उसकी बिक्री योग्य फालतू मात्रा के बारे में आँकड़े एकत्रित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने राज्यों ने ऐसा सर्वेक्षण किया है और केन्द्र को कब तक सब राज्यों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) ये आँकड़े एकत्रित कर लेने के बाद क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) फसल कटाई सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर राज्य सरकारें अनाज के उत्पादन के आँकड़े पहले ही एकत्र कर रही हैं। 1967 के अन्तिम भाग में राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे अन्य बातों के साथ साथ अनुमानित बिक्री योग्य फालतू मात्रा का अध्ययन करें। अर्थात उत्पादकों ने एक वर्ष में कितनी मात्रा की बिक्री की है ? महाराष्ट्र में ऐसा अध्ययन करने के लिये इस राज्य की 1968-69 की वार्षिक योजना में एक प्रस्ताव शामिल किया गया है।

(ग) अध्ययन से उपलब्ध हुए आँकड़े खाद्य नीति निर्धारित करने तथा उसका पुनर्विलोकन करने में उपयोगी होंगे।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों की लागत तथा मजूरी ढांचे पर मजूरी बोर्ड के पंचाट का प्रभाव

*757. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों की लागत तथा मजूरी ढांचे पर कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट के प्रभाव का अनुमान लगाया है;

(ख) खनन मशीनों का औसत पूंजी परिव्यय और उनकी निर्माण लागत कितनी है ; और

(ग) बढ़ती हुई लागत के अनुसार बिक्री से आय को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के प्रभाव का अन्दाजा लेने के लिये सरकार ने सभी कोयला क्षेत्रों की चुनी हुई प्रतिनिधि कोयला खानों के व्यय की जांच की लेकिन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की किसी भी कोयला खान में व्यय जांच नहीं की गई ।

(ख) और (ग) इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल की कोयला खानों के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना

*758. **डा० रामन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ कोयला खानों जैसे रतीबाती कुमार्डी और बाबीसोल कोयला खानों में बड़े पमाने पर कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) कर्मचारियों की बरखास्तगी को रोकने के लिये क्या कर्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

High Yielding Varieties of Sugarcane

*759. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether farmers are not fully acquainted with the cultivation of high-yielding varieties of sugarcane in the country with the result that such varieties of sugarcane are produced on a very small scale;

(b) the details regarding the research being undertaken by Government organisations on high-yielding varieties of sugarcane; and

(c) the action taken by Government to popularise and promote the cultivation of high-yielding varieties of sugarcane with a view to boost the production of sugar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Attempts are made to acquaint the farmers with high-yielding varieties of sugarcane;

(b) Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, is evolving varieties for different agro-climatic regions in the country. These are tested under local conditions by the State Research Stations and only those which are found promising and superior in performance are released for commercial cultivation. Fluff is also being supplied by the Sugarcane Breeding Institute to the selected Research Stations for raising the varieties in the particular regions.

(c) Healthy seed raised in the nurseries is recommended for cultivation. Crop competitions are also organised to demonstrate the high yielding qualities of improved varietites.

हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद

*760. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम हरियाणा में किस दर पर खाद्यान्नों का समाहार कर रहा है;

(ख) सीधे किसानों से अनाज खरीदने में निगम को क्या अनुभव हुआ है ;

(ग) किसानों से अनाज खरीदने के लिये कितने केन्द्र खोले गये हैं ; और

(घ) क्या समाहार कार्य संतोष-जनक ढंग से हो रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) भारतीय खाद्य निगम हरियाणा में खाद्यान्नों की खरीदारी जिस प्रति क्विंटल के भाव पर कर रहा है इस प्रकार हैं :—

गेहूं (बढिया)	रु० 77 से रु० 83
गेहूं (साधारण और मेडिसकम)	रु० 72 से रु० 77
मकई	रु० 55 से रु० 58
बाजरा	रु० 54 से रु० 57
जौ	रु० 50 से रु० 55

(ख) उत्पादक मंडियों में अपना खाद्यान्नों का स्टाक लाते हैं, वहां खुली नीलामी द्वारा स्टाक बेचा जाता है । निगम नीलामी में भाग लेकर बोली पर खरीदारी करता है । मकई और बाजरे की खरीदारी के बारे में कोई कठिनाई नहीं हुई है लेकिन गेहूं और जौ का स्टाक सामान्यतया बहुत ही घुला हुआ और दूषित होता है और निगम ऐसे स्टाक की खरीदारी नहीं करता है ।

(ग) आरम्भ में निगम ने 62 केन्द्रों पर खरीदारी शुरू की थी लेकिन वह घटकर 14 केन्द्रों तक रह गयी क्योंकि अन्य 48 केन्द्रों पर आमद बहुत ही कम थी ।

(घ) यह विचार करते हुए कि निगम केवल दिसम्बर, 1967 के अन्त में मंडी में खरीदारी करने लगा था और यह समय वस्तुत : रबी के मौसम की समाप्ति के समय होता है, इस अधिप्राप्ति को असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है ।

किसानों को फसल ऋण

*761. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयम्बटूर में बैंकों के जरिये किसानों को फसल ऋण देने की योजना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को प्रोत्साहन देने में उपयोगी पाया गया है और

(ग) क्या समूचे देश में किसानों के हित के लिये मध्य प्रदेश तथा भारत में अन्यत्र इस प्रकार की योजना लागू करने का विचार है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) कोयम्बटूर सहित मद्रास राज्य के सभी जिलों की सहकारी संस्थाओं ने काश्तकारों को ऋण सुलभ करने के लिए फसल ऋण प्रणाली अपनायी है। केन्द्रीय सरकार ने कोयम्बटूर में वित्त देने की इस प्रणाली के कार्यकरण का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। तथापि, आम अनुभव यह है कि फसल ऋण प्रणाली, उत्पादन के उद्देश्य वाली वित्त प्रणाली होने के कारण, किसानों की आवश्यकताओं के अनुकूल है।

(ग) फसल ऋण प्रणाली सभी राज्यों (नागालैण्ड को छोड़कर) में लागू की गई है।

उर्वरकों पर राज सहायता

*762. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तैयार किये जाने वाले उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता का बड़ा भाग सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश को दृष्टि में रखते हुए पहले से ही हटा दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विद्यमान परिस्थितियों में सघन कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी एक कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया है कि उर्वरकों पर राज सहायता जारी रखी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश में तैयार किये जाने वाले उर्वरकों पर 1966–67 की अवधि में अवमूल्यन के कारण आयात हुई कच्ची सामग्री के मूल्य बढ़ जाने के प्रस्ताव को दूर करने हेतु जो राज सहायता दी जा रही थी उसे 1–4–67 से हटा दिया गया था।

(ख) हाल ही में हुये "की प्रसोनल औन इन्टेन्सिव ऐग्रीकल्चरल प्रोग्राम" के केन्द्रीय सम्मेलन में एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया था परन्तु कार्यकारी दल या सम्मेलन द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

(ग) उर्वरकों पर राज सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

*763. **श्री पी० रामूर्ति** :
श्री रमानी :
श्री नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोदी कर्मचारियों के 10 मार्च, 1968 के पश्चात् किसी समय भी अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने के निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) हड़ताल का इस प्रकार का नोटिस केवल मार्मागोवा पतन के गोदी श्रमिकों के दो मजदूर संघों से प्राप्त हुआ है ।

(ख) मांग गेंगमैनों, विंचमैनों और गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों को 1965–66 और 1966–67 का बोनस देने के बारे में है ।

(ग) गेंगमैनों का विवाद न्यायनिर्णय के लिये भेज दिया गया है । अन्य श्रमिकों से सम्बन्धित विवाद विचाराधीन है ।

टैक्समैको वर्क्स, बलधारिया

*764. **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माईल :
श्री बी० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में टैक्समैको, बलधारिया वर्क्स के बहुत से कर्मचारियों की 12 फरवरी, 1968 से जबरी छुट्टी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों की जबरी छुट्टी की गई है ; और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 19–2–68 से लगभग 3,500 श्रमिकों को जबरी छुट्टी दी गई है । प्रतिष्ठान के विभिन्न अनुभागों में श्रमिकों द्वारा धीमे काम करो की तथाकथित नीति अपनाने के कारण प्रबन्धकों ने जबरी छुट्टी की ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार का श्रम निदेशालय इस मामले में समझौते की कार्यवाही कर रहा है ।

असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों पर राजसहायता

*765. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री नंजा गौडर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी विशेषज्ञों ने असिंचित क्षेत्रों में बेचे गये उर्वरकों पर राज सहायता देने तथा इस व्यय को उर्वरकों की कुल बिक्री पर एक उपकर लगा कर पूरा करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 22 से 24 फरवरी, 1968 को नई दिल्ली में हुए सघन कृषि कार्यक्रमों सम्बन्धी की परसोनल सम्मेलन में असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों पर राज सहायता देने के बारे में विचार-विमर्श हुआ था, किन्तु वर्किंग ग्रुप या सम्मेलन ने ऐसे प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की।

(ख) असिंचित क्षेत्रों में बेचे गए उर्वरकों पर राज सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हरियाणा में मध्यावधि निर्वाचन

*766. **श्री यशपाल सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मतदाताओं के रूप में अपने नाम दर्ज कराने के लिये हजारों व्यक्तियों ने हरियाणा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये मतदाता हरियाणा से बाहर रह रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राजनैतिक दल उपर्युक्त व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूची में शामिल कराने में दिलचस्पी ले रहे है ताकि मध्यावधि निर्वाचन के समय उनके मत डलवाये जा सकें ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयोग को व्यक्तियों और राजनीतिक पार्टियों से शिकायतें मिली हैं जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, पंजाब और राजस्थान के निवासियों को हरियाणा के सीमावर्ती निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों में दर्ज कराने के प्रयास अभिकथित हैं।

(घ) आयोग ने इस विषय में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसरों को यह निदेश देकर समय पर कार्यवाही की है कि, उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, जिनमें नामों के सम्मिलित किए जाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में दावे प्राप्त हुए हों, तत्काल हर दावे की जांच की जाए। ऐसा किया गया है और सभी झूठे दावे खारिज कर दिए गए हैं।

भारतीय कृषि का औद्योगीकरण

*767. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वणी शंकर शर्मा :
श्री शशिभूषण बाजपेयी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि के औद्योगीकरण की आवश्यकता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कृषि-उत्पादन बढ़ाने की नयी नीति में खेती के नये तकनीकों को लागू करना शामिल है। इसके अनुसार किसानों को खेती के लिये आवश्यक सामान दिया जायेगा और उन्हें फार्म मैनेजमेंन्ट के तरीके बताये जायेंगे। खेती के लिए आवश्यक सामान देने के सम्बन्ध में यह प्रयास किया जा रहा है कि उनकी मांग को बढ़ावा दिया जाय और उनकी पूर्ति या तो देश के उत्पादन से या आयात करके की जाय, चूंकि यह देश की औद्योगिक क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए फार्म की मशीनें और उपकरण, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई उपकरण आदि तैयार करने के लिए पर्याप्त क्षमता बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जब कभी देश में इनकी क्षमता कम हो जाती है तब उसे बढ़ाने के सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह बताना भी उचित होगा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि-उद्योग निगमों की स्थापना कर रही है जिनका उद्देश्य कृषि-उद्योग क्षेत्र की गति विधियों को बढ़ाना होगा ताकि कम आमदनी वाले किसान भी फार्म-उपकरण प्राप्त कर सकें।

राजस्थान में भूमि की नीलामी

*768. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का नीलाम करने की नीति के विरुद्ध राजस्थान में किसानों के आन्दोलन की ओर दिलाया गया है और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्थान सरकार को सलाह दी थी कि भूमि की बिक्री से प्राप्त धन को राजस्थान नहर परियोजना के अग्रेतर सुधार और क्रियान्विति के लिये प्रयोग किया जाये क्योंकि यह कार्य धन की कमी के कारण काफी रुका हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं। फिर भी यह मालूम किया गया है कि आन्दोलन की कुछ तैयारी की गई थी, किन्तु राज्य सरकार ने नीलाम को स्थगित कर दिया था।

(ख) जी नहीं।

न्यायालय फीस समाप्त करना

*769. **श्री देवेन सेन** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 मार्च, 1968 को हुए पंजाब और हरियाना राज्यों के वकीलों के सम्मेलन में पास किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है कि जिसमें न्यायालय फीस समाप्त करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्री श्री गोविन्द मेनन (क) और (ख) : इस बाबत जानकारी गृहमंत्रालय द्वारा संग्रहीत की जा रही है जिसने इस प्रश्न का अन्तरण स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय बचत संगठन में गोलमाल

*770. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय बचत संगठन में 6,00,000 रुपये से अधिक राशि के गोलमाल के एक मामले का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) गोलमाल के एक मामले की एक रिपोर्ट मिली है और उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को छानबीन के लिये भेजा गया है। अभी गोलमाल की गई रकम का ठीक ठीक पता नहीं लग सका।

(ख) तथा (ग) गोलमाल के इस मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय बचत संगठन के एक जिला संगठनकर्ता को मुअत्तिल कर दिया गया है और वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाई छानबीन के पूरा होने पर ही की जायगी ।

ग्रामोद्योगों का विकास

*771. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योगों के विकास के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि भूमि पर पड़ रहे अत्यधिक भार को कम किया जा सके तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी बनाया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी) : ग्रामोद्योगों के विकास के लिये जो कार्यवाही की गई है उसका प्रयोजन अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति को न केवल स्थिर करना ही है, बल्कि उसे सुधारना भी है। ग्रामोद्योगों ने बेरोजगार लोगों को पूर्णकालिक रोजगार सुलभ किया है और जब खेती का काम नहीं होता है उस समय आंशिक रोजगार भी उपलब्ध किया है। इससे उनकी कमाने की क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिली है और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने का कार्य समाजार्थिक विकास के एक भाग के के रूप में किया जाना है। ग्रामोद्योग के विकास का एक परिणाम यह भी है कि इससे भूमि पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है।

श्री लंका को चावल की सप्लाई

*772. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका सरकार ने चावल उधार देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चावल उधार देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ग) कितना चावल उधार दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : श्री लंका सरकार के अनुरोध पर सरकार उन्हें 10,000 टन बर्मी चावल उधार देने और 15 मार्च, 1968 को रंगून से 8483 टन चावल लेकर चले एक जहाज से कोलम्बो में चावल उतारने के लिये लिये मान गई थी। तथापि, बाद में लंका सरकार ने सूचित किया कि अब उन्हें उधार वाले चावल की आवश्यकता नहीं है। अतः जहाज को कोचीन की ओर मोड़ दिया गया है।

खाद्यान्नों के आयात लक्ष्य में कटौती

773. **श्री मीठालाल मीना :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में 75 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का आयात करने के मूल लक्ष्यों को सरकार ने हाल में कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम किया है और किन कारणों से यह लक्ष्य कम किया गया है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाशवीर शास्त्री): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Telephone facilities in Rural Areas

***774. Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total expenditure being incurred on the manufacture of articles being utilised in providing means of communications in the country and the extent to which the requirements thereof are met especially in regard to telepones; and

(b) the difficulties coming in the way of expansion of telephone service in the rural areas and the steps proposed to be taken to remove them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The value of articles supplied by the state owned factories and P & T Workshops during 1966-67 to the Department for setting up means of communication in the country is as below:—

	(In crores Rs.
Indian Telephone Industries Ltd.	15·53
Hindustan Cables Ltd.	7 20
Hindustan Teleprinters Ltd.	1.51
P & T Workshops	5·55
TOTAL	29·59

The value of other materials produced indigenously and purchased by the CCTS in the Department is about Rs. 6·25 crores. As on 31-3-67 there were a total of 9·34 lakh telephones in the country. The number of applications pending as on 31-3-67 for telephones was about 3.89 lakhs.

(b) The main problem faced by the Department in the expansion of telephone services including services in rural areas has been the paucity of resources, both in money and in materials. The Departments doing its best to expand services within the available resources. However, with a view to developing telecommuncation services in rural areas the Government have laid down a policy of providing Public Call Offices even on loss basis.

उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार लाइन्स स्टाफ द्वारा हड़ताल

***775. श्री मुहम्मद इमाम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार विभाग के लाइन्स स्टाफ के 1 मार्च, 1968 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने के लिये निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं, और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०क० गुजराल): (क) जी नहीं। वास्तव में 1 मार्च, 1968 को ऐसी कोई हड़ताल हुई ही नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

फर्मों को काली सूची में रखा जाना

*776. **श्री मधु लिमये**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों तथा मंत्रियों के समक्ष फर्मों को काली सूची में रखने से सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत करना विभिन्न विभागों से सम्बन्धित सतर्कता अधिकारियों का काम है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्य विभाग के सतर्कता अधिकारी द्वारा 1962–63 में अमीचन्द प्यारेलाल ग्रुप की फर्मों को काली सूची में रखे जाने की सूचना महानिदेशक तथा अन्य उच्च अधिकारियों के न दी जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या उस सतर्कता अधिकारी द्वारा ऐसा न किये जाने के कारण उसके विरुद्ध सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अप्पासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी का उत्पादन

777. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सम्भावना है कि चालू मौसम में चीनी का उत्पादन देश की सामान्य खपत से कम होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जायेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अप्पासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1967–68 के चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 22 लाख मीटरी टन के आस पास होने की सम्भावना है। हालांकि यह देश की आम खपत से कम है लेकिन चालू दरों पर शेष महीनों की निकासी के लिये पर्याप्त होगी।

बिहार में खाद्य तथा अचार के डिब्बों में पैक करने वाली कम्पनियां

4576. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खाद्य तथा अचार को डिब्बों में पैक करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां हैं और 1965, 1966 और 1967 में प्रत्येक कम्पनी की कितने मूल्य की बिक्री हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, तथा कृषि, सामुदायिकविकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड

4577. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और उसी क्षेत्र में अनेक अन्य कारखाने जिनमें लगभग 3,000 कर्मचारी काम करते थे, इस वर्ष बन्द हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कम्पनियों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि जिससे कि ये कम्पनियां शीघ्रातिशीघ्र फिर खुल सकें ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से मंगवाई गई है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

खानों में दुर्घटनायें

4578. श्री बाबूराव पटेल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् अब तक खानों में राज्यवार कितनी दुर्घटनायें हुईं तथा कुल कतने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ;

(ख) प्रत्येक विस्फोट के कारण क्या थे ;

(ग) ऐसे विस्फोटों के कारण कितनी क्षति पहुंची, रुपयों में ;

(घ) मृत तथा घायल हुए व्यक्तियों के मामले में उत्तरजीवियों को कितना प्रतिकर दिया गया ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अगस्त 1947 से हुई खान दुर्घटनाओं अर्थात ऐसी घातक दुर्घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है, जिनमें 10 या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । इन दुर्घटनाओं के कारण भी दिये गये हैं । **[पुस्तकायलय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 530/68]।**

(ग) मालूम नहीं ।

(घ) कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अन्तर्गत मृत्यु की सूरत में दी जाने वाली मुआवज़े की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये और अधिकतम राशि 10,000 रुपये तथा स्थायी पूर्ण विकलांकता की दशा में मुआवजे की न्यूनतम राशि 1,400 रु० और अधिकतम राशि 14,000 रुपये है। मुआवज़े की यह राशि श्रमिक की मासिक मजदूरी पर निर्भर करती है ।

(ङ) इस समस्या के हल के लिये हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं—खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के सुरक्षा उपबन्धों की बेहतर क्रियान्वित, प्रबन्धकों और श्रमिकों में सुरक्षा चेतना का प्रसार करना, श्रमिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण, इत्यादि, इत्यादि ।

Post Office Savings Bank Accounts

4579. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of persons who are operating their Savings Bank Accounts in the Post Offices in the Country at present;

(b) the number of persons who have purchased 10 or 15 years National Defence Certificates,so far; and

(c) the names of Banks with which this amount has been deposited and the rate of interest charged from them?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) On 31-3-1967 the number of Post Office Savings Bank accounts stood at 1,51,85,604 (excluding Cumulative time Deposit Accounts whose figure stood at 36,31,035).

(b) There are no 10 year or 15 year National Defence Certificates. 12 Year National Defence Certifiates are, however, on sale. The total number of such certificates sold till the end of March, 1967 was 1,52,92,155.

(c) The money in deposit in Post Office Savings Bank and that realised from the sale of certificates forms part of cash balance of the Govt. of India. No investment is made by the Post Offices.

Flour Mills

4580. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of flour mills in the country with the names of places where they are located;

(b) whether it is a fact that 55 percent maida is prepared in the Annapurna Flour Mills, Varanasi (Uttar Pradesh) against the orders of Government to prepare maida to the extent of only 40 per cent;

(c) whether similar complaints have been received by Government in respect of other flour mills also and if so, the action taken by Government against those mills; and

(d) the monthly quota of wheat given to these flour mills for the purpose of producing into atta, suji and maida?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) A Statement is attached. [Placed in Library *See* No. LT-531/68]

(b) No, Sir.

(c) A complaint about milling fines in excess of permitted limit has been received in respect of one mill and action against the mill is under consideration.

(d) The basic monthly quota of the mill is 1650 tonnes but allotment is much less and varies from month to month depending on availability of wheat with Government.

Telegraph Offices in M.P.

4581. Shr. Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Telegraph Offices opened in Madhya Pradesh, District-wise, during the year 1966-67; and

(b) the number of Telegraph Offices proposed to be opened in Madhya Pradesh, district-wise, during the years 1968 and 1969?

The Minister of State in the Departments of parliamentary Affiairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b) The information is furnished in the attached statement. [Placed in Library *See* No. LT-532/68]

मछली का निर्यात

4582. श्री बाबूराव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मछली का कितना निर्यात किया गया तथा सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ;

(ख) क्या यह सच है कि मछली पकड़ने की पुरानी किस्म की नावों तथा उपकरणों के कारण हिन्द महासागर में पकड़ी जाने वाली कुल मछलियों की भारतीय मछेरे केवल 20 प्रतिशत पकड़ सके हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1966 में मैसूर राज्य में पकड़ी गई 86,000 टन मछलियों में से, परिरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण 25,000 टन से अधिक मछलियों की खाद बनाई गई;

(घ) प्रत्येक राज्य में मछलियों के रक्षित रखने के लिये कितने शीतागार तथा शीघ्र जमाने वाले संयंत्र हैं, और

(ङ) मछली पकने के तरीकों को सुधारने के लिये किस प्रकार का सहयोग लिया गया है और किन-किन देशों से तथा माल पे और कारबार में विदेशी सहयोग कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965, 1966 तथा 1967 (नवम्बर तक) के दौरान मछली का कुल निर्यात तथा कमाई गई विदेशी मुद्रा (निर्यात का मूल्य) निम्न प्रकार है :—

1965, 1966 तथा 1967 (नवम्बर तक) के दौरान मछली का कुल निर्यात तथा कमाई गई विदेशी मुद्रा

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य (रुपयों में)
1965	1,46,50,131	6,46,33,442
1966	1,83,69,645	13,12,45,197
1967	18,68,48,78	16,90,42,247

प्रथम ग्यारह महीनों के आँकड़े प्रदर्शित हैं।

(ख) वर्ष 1966 में भारतीय मछेरों द्वारा हिन्द महासागर में पकड़ी जाने वाली सामुद्री मछली 8.90 लाख मैट्रिक टन थी, जो कि हिन्द महासागर में 1966 में विश्व द्वारा पकड़ी जाने वाली कुल 22 लाख मैट्रिक टन (जीवन्त भार) का लगभग 40 प्रतिशत है।

(ग) मैसूर में 1966 में पकड़ी गयी मत्स्य 105630 मैट्रिक टन था (65,630 मैट्रिक टन सामुद्रिक तथा 40,000 मैट्रिक टन अन्तर्देशीय) मछली पकड़ी गई। मछली की उस मात्रा की जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो खाद्य के रूप में प्रयोग ही होती है। यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) एक विवरण, जिसमें शीतागार फार्नी भण्डार तथा शीघ्र जमाने वाले संयंत्रों का राज्य-वार वितरण दर्शाया गया है, [**पुस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 533/68**]

(ङ) कारबार में इण्डो-नार्वेजियन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एक मछली केन्द्र की स्थापना की जा रही है और इसमें एक आइस-कम-फ्रीजिंग प्लान्ट, एक आधुनिक समुद्री घर, एक संसर्पिका तथा एक मात्स्यकीय बन्दरगाह की स्थापना करना शामिल है। इस उद्देश्य के लिये । अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु नार्वेजियन एजेंसी द्वारा सामग्री

तथा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इस उद्देश्य के लिये 1965–66 तक प्राप्त हुई सामग्री तथा उपकरणों का मूल्य लगभग 6 लाख रूपये होता है। कारबार में इण्डो-नार्वेजियन प्रोजोक्ट के लिये कितने मूल्य की सहायता प्राप्त हुई तथा इस परियोजना पर मैसूर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया, दोनों के बारे में जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेलीफोन कनैक्शन

4583. श्री बाबूराव पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक राज्यवार कितने कितने व्यक्तियों ने नये टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त करने के लिये अपने नाम दर्ज करवाये हैं,

(ख) आगामी बारह महीनों में विभाग द्वारा राज्यवार कितने-कितने कनेक्शन दिये जाने की संभावना है; और

(ग) देश में टलीफोनों की लगातार बढ़ती माँग की पूर्ति करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). आवश्यक सूचना अनुबंध में दी गई है ? **[पुस्तकालय में रखा गयी। देखिये संख्या एल० टी० 534/68]।**

(ग) उपलब्ध सीमित साधनों के द्वारा मौजूदा एक्चेंजों का विस्तार करके और नई एक्सचेंजों की स्थापना करके मांग पूरी करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। आशा है कि 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के दौरान 6.5 लाख टेलीफोनों की व्यवस्था कर दी जायगी।

टेलीफोन उपकरण

4584. श्री बाबूराव पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारों तथा अन्य उपकरणों का देश में उत्पादन होने के बावजूद उनकी सप्लाई कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस माँग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) (i) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास में उपस्कर के उत्पादन में विस्तार के अतिरिक्त लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये एक अन्य कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ii) विभाग के बम्बई टेलीफोन कारखाने को बम्बई स्थित देवनार में नई इमारतों में स्थानान्तरित किया जा रहा है जहाँ करचल एक्सचेंज के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी।

(iii) रूपनारायणपुर स्थित मौजूदा हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की क्षमता में विस्तार के अतिरिक्त हैदराबाद में एक अन्य केबल कारखाने की स्थापना की योजना बनाई गई है।

श्रम विधियों का लागू करना

4585. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोजकों तथा कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता लागू करने के लिये सरकार ने, राज्य-वार, क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) सरकार ने किन-किन राज्यों की श्रम विधियों को पूरी तरह लागू करने तथा श्रमिकों को उनकी बकाया राशियों का तुरन्त भुगतान कराने की मंत्रणा दी है और इस सम्बन्ध में उन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई कि वे नियोजकों और श्रमिकों द्वारा अनुशासन संहिता का पालन कराने के लिये अपने अपने राज्यों में क्रियान्वित मशीनरी को सुदृढ़ बनायें।

(ख) लगभग सभी राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे श्रम कानूनों की क्रियान्विति और श्रमिकों के वैध देय रकम की शीघ्र अदायगी सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्विति मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है। इस मामले पर 19 अप्रैल, 1968 को होने वाली श्रम मंत्री सम्मेलन के आगामी अधिवेशन में भी विचार विमर्श किये जाने का विचार है।

मछली उद्योग का विकास

4586. **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर मछली पालन योजनाओं के विकास के लिए ऋण देने के हेतु भारत के रिजर्व बैंक को हिदायतें जारी करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या मछली-पालन सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रभावी प्रोत्साहन देने का भी सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट बैंक आफ इंडिया आस्थगित अदायगी आधार पर देशीय मशीनरी की बिक्री पर धन लगाने के लिए एक डिस्काउन्टिंग स्कीम चला रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष सुविधाओं को उदार किया गया था और देश में बने फिशिंग ट्रालरों की खरीद के लिए सुविधायें उपलब्ध है।

(ख) मैकेनाइज्ड फिशिंग, ऋण-एवं साहाय्य आधार पर यंत्रीकृत नौकाओं की सप्लाई के लिए और मछली-पालन के लिए अन्तर्देशीय जल को पट्टे पर देने में प्रशिक्षण देने के लिए उम्मीदवारों के चयन में राज्यों द्वारा मछली-पालन सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। एग्रीकल्चरल रिफाइनैन्स कारपोरेशन ने बड़े पैमाने की मात्स्यकी परियोजनाओं हेतु कुछ मछली-पालन सहकारी

समितियों के लिए सहायता बढ़ा दी है और अन्य सहकारी समितियों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

विशाखापत्तनम में मछलीपालन परियोजना

4587. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के उत्तर में बड़ी मात्रा में मछलियां पालने के साधन उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वाधिक वरीयता के आधार पर गोदावरी नदी के दक्षिण भाग से पुलिकर झील तक मछलियां पालने के साधनों के बारे मे सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि विशाखापत्तनम के उत्तर में मछली पालने के संसाधन उपलब्ध है ।

(ख) गोदावरी नदी के दक्षिण भाग से पुलिकाट झील तक मीन क्षेत्रों के सर्वेक्षण और चार्टिंग करने का एक कार्यक्रम मौजूद है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र के बेड़े का उचित विस्तार होते ही इसे शुरू कर दिया जायेगा ।

Letter Box facilities in Trains running between Bhind and Gwalior Stations

4588. **Shri Y. S. Kushwah:**
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the facility of letter box has been provided in the trains running between Bhind and Gwalior stations on the Central Railway; and

(b) if not, when this facility is likely to be provided for the convenience of public?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No.

(b) As the Travelling Mail Peon working in trains 657/658 C.R. travels in a third class compartment of a bogie which is not earmarked for use every day, no letter box is provided in the train. However, he accepts late fee prepaid articles when handed over by the public.

महाकाली कोयला खानें

4589. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के चान्दा जिले में महाकाली कोयला खान का दिवाला निकल गया है ;

(ख) नियोजकों से भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है ;

(ग) श्रमिकों से वसूल की गई भविष्य निधि की कितनी राशि दिवाला निकलने की तिथि तक भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं की गई ; और

(घ) श्रमिकों को हुई इस हानि के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) 3,31,394.42 रु० (नियोजक और कर्मचारियों का हिस्सा) ।

(ग) 1,65,697.21 रु० (कर्मचारियों का हिस्सा) ।

(घ) भविष्य निधि की बकाया रकम के लिए एक दावा परिसमापक के पास दर्ज करा दिया गया है, परन्तु श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं होगा, यद्यपि नियोजक ने बकाया रकम को जमा नहीं किया है क्योंकि श्रमिकों को पूरी वापसी (कर्मचारियों और नियोजक दोनों के अंशदान तथा उन पर ब्याज) कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत स्थापित विशेष आरक्षित निधि में से की जायेगी ।

मूंगफली की फसल तथा तेल को बढ़ाना

4591. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूंगफली की फसल तथा तेल के उत्पादन को बढ़ाने से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ख) क्या इस समिति की एक बैठक हाल में हैदराबाद में हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो भारत के दक्षिणी भागों में इस फसल की उपज बढ़ाने के सम्बन्ध में इस समिति ने क्या प्रस्ताव पेश किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस काम के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनाई गई है । फिर भी भारतीय तिलहन विकास परिषद है जिसमे तिलहन फसलों तथा उसकी उपज की देखभाल करने के लिए विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं । भारतीय तिलहन विकास परिषद् के सदस्यों की सूची संलग्न है [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 535/68] । परिषद् पुनः बनाई जा रही है । नई परिषद् के सदस्यों के सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय किया जाएगा ।

(ख) परिषद् की अन्तिम बैठक हैदराबाद में 23-10-67 को हुई ।

(ग) दक्षिण राज्यों से सम्बन्धित सिफारिशें थीं:—

1. एक सम्पूर्ण सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । इस महामारी को उन्मूलित करने के लिए भूमि तथा हवाई अभियान आयोजित किए जाने चाहिए । आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां महामारी प्रायः होती है । इन दोनों राज्यों की महामारी नियंत्रित करने के लिए अपने अभियान उपायों में समन्वित करना चाहिए । दक्षिण राज्यों को, यदि उपलब्ध हुए तो फ़िक्स विंग प्लेनों के स्थान पर हेलीकोप्टर दिए जा ंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में खजूर के वृक्ष होते हैं जो रुकावट बनते हैं ।

3. दक्षिणी राज्यों को अभियान आधार पर लीफ माइनर तथा एफिड्स के मुकाबले नियंत्रण उपाय आयोजित करने चाहिए ।

4. मद्रास में चालू पौद रक्षा के उपायों के लिए ऋण पद्धति को अपनाने की सम्भाव्यता पर आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्य विचार कर सकते हैं ताकि अभियान चलाने में समय नष्ट न हो ।

५. आन्ध्र प्रदेश को सन् 1970–71 के अन्त तक नागार्जुनसागर परियोजना क्षेत्र में कम से कम 2 लाख एकड़ में मूंगफली की डबल क्रोपिंग करनी चाहिए । मैसूर राज्य को सन् 1970–71 तक 2.5 लाख एकड़ तक में बुवाई करनी चाहिए ।

6. आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की गुंजाइश बढ़नी चाहिए जिसमें राज्य द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त लक्ष्यों के अनुसार नागार्जुनसागर परियोजना और कृष्णा डेल्टा-क्षेत्रों में मूंगफली उत्पादन को बढ़ाया जाना है ।

7. विशेष कार्यक्रम के असर का अनुमान लगाने के लिए परियोजना तथा गैर-परियोजना क्षेत्रों में फसल कटाई प्रयोग शुरू किए जाने चाहिए ।

Telegraph Offices in Madhya Pradesh

4592. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Telegraph Offices in Madhya Pradesh, District-wise;

(b) the number of telegraph offices where facilities for sending telegrams in Hindi as well as English have been provided; and

(c) the number of telegraph offices from where telegrams could be sent in English only?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affiairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The information is furnished in the attached statement. [Placed in Library. See No. LT-536/68]

(b) 270

(c) 287.

तमिलनाड में तमिल भाषा में तार भेजना

4593. श्री चित्ति बाबू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तामिलनाड में तामिल भाषा में तार भेजने की अनुमति दिये जाने की मद्रास सरकार की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि विभिन्न भाषाओं की लिपियों को बिल्कुल ठीक ध्वनियों में परिवर्तित करने के लिए अलग-अलग किस्म के मोर्स कोड की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक भाषा में अभ्यास और गति को बनाये रखने के लिये विशेष विस्तृत प्रशिक्षण की आवश्यकता है । न तो यह व्यावहारिक है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक है कि सभी या कई क्षेत्रीय भाषाओं के लिए इस प्रकार के अलग-अलग कोड बनाये जायें ।

चीनी का उत्पादन

4594. **श्री रामचन्द्र बोरप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 की विभिन्न तिमाहियों के लिये चीनी के उत्पादन के लक्ष्य क्या थे ;

(ख) क्या पहली तिमाही का लक्ष्य पूरा हो चुका है ; और

(ग) क्या पूरे वर्ष का उत्पादन लक्ष्य पूरा हो गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967 में चीनी के उत्पादन के लिए कोई त्रैमासिक अथवा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये थे ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

संकर बीजों की खरीद के लिये राजस्थान को ऋण

4595. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान तथा मोटे अनाज के संकर-बीजों को खरीदने के लिए राजस्थान सरकार को इस वर्ष कोई ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) जी हां। 1967–68 की अवधि में सुधरे बीजों के क्रय के लिये राजस्थान सरकार के लिए 210 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया गया है ।

साधारणतः ये ऋण राज्य सरकार द्वारा बीजों के क्रय और वितरण पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत भाग के आधार पर दिये जाते हैं। उपरोक्त 210 लाख राशि में से 115 लाख रुपये की रकम राजस्थान सरकार को 100 प्रतिशत सहायता के आधार पर दी गई ताकि राज्य सरकार को उस वर्ष भारी बाढ़ों के समय कृषकों को मदद देने के समय संसाधन विषयक कठिनाई पर काबू पाने में सहायता उपलब्ध हो सके ।

Hindi Telephone Directory in Rajasthan

4596. Shri Meetha Lal Meena: Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Communications** be pleaased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme was drawn to print Telephone Directory in Hindi on a demand being made by the subscribers in Rajasthan;

(b) if so, the time by which it is likely to be printed;

(c) the amount likely to be spent thereon; and

(d) if not, the reasons thereof?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) A scheme to produce a Telephone Directory in Hindi in Rajasthan Circle was drawn up on the initiative of the P&T Department.

(b) The directory is under print and is expected to be out by June'68.

(c) Approximately Rs. 21,000/-

(d) Does not arise.

Rice Mills in Rajasthan

4597. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large stocks of paddy are lying in Punjab and U.P. because of its good crops, whereas rice mills in Rajasthan are being closed due to shortage of paddy; and

(b) if so, the steps taken in the matter?

The Minister for State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashib Shinde) (a): No, Sir.

(b) Does not arise.

Fall in Prices of Foodgrains in Rajasthan

4598. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the prices of all kinds of foodgrains have fallen in Rajasthan and there is a likelihood of the foodgrains going rot due to their large stock;

(b) whether Government propose to adopt measures to remedy the situation; and

(c) if so, the measures proposed to be adopted in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The prices of foodgrains have shown a downward trend since September, 1967. There is, however, no likelihood of the foodgrains rotting.

(b) and (c) Do not arise.

L.C.A.R. Publications

4599. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of Hindi and English publications brought out by the Indian Council of Agricultural Research during the last two years;

(b) whether the Hindi versions of all books booklets, Reports and journals published in English are also brought out and if not, the reasons therefor; and

(c) the percentage of farmers who are being benefited by English publications?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) 169 publications (128 English and 41 Hindi).

(b) Hindi versions of books, bulletins, reports etc. published in English are being brought out by the Council. Publications of basic, scientific and practical value are selected for this purpose. The Hindi journal 'Kheti', corresponding to 'Indian Farming', (English monthly) is also issued monthly.

(c) I.C.A.R. publications except the two popular journals 'Indian Farming' and 'Kheti' are meant primarily for use by research workers, college students and progressive farmers and others interested in scientific agriculture. It is not possible to readily assess the percentage of farmers being benefited by English publications.

क्षेत्रीय डाक व तार सलाहकार समिति, तितलागढ़

4600. श्री अ० दीपा:
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तितलागढ़ व्यापारी संघ ने व्यापारी संघ के एक प्रतिनिधि को क्षेत्रीय डाक व तार सलाहकार समिति में शामिल किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री. (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां। इस प्रकार का एक अभ्यावेदन 19 फरवरी, 1968 को प्राप्त हुआ था।

(ख) इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले तरीके के अनुसार उनका अभ्यावेदन उड़ीसा की राज्य सरकार को विचारार्थ भेजा जा रहा है उनके वाणिज्यिक और व्यापारिक हितों के लिए आरक्षित तीन स्थानों के लिए नामों की सिफारिश करने पर।

चीनी का उत्पादन

4601. श्री नारायण रेड्डी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष फरवरी, 1968 के अन्त तक देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) 60 प्रतिशत उगाही के अन्तर्गत कितनी चीनी वसूल की गई और 40 प्रतिशत खुली बिक्री के लिए कितनी चीनी दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 17.74 लाख मीटर टन।

(ख) 23 दिसम्बर, 1967 से 29 फरवरी, 1968 तक 1967–68 के उत्पादन से निर्मुक्त लेवी चीनी	3.02 लाख मीटरी टन
23 नवम्बर, 1967 से 23 फरवरी, 1968 तक खुले बाजार में बिक्री के लिए निर्मुक्त चीनी	2.64 लाख मीटरी टन

चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य

4602. श्री नारायण रेड्डी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चीनी का प्रति क्विंटल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है ; और

(ख) चीनी के निर्यात के लिये प्रति क्विंटल कितनी राज सहायता देनी पड़ेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1968 के लंदन के दैनिक औसत भाव (जोकि चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय भाव का सूचकांक है) इस प्रकार है :—

	पौण्ड प्रति टन लागत भाड़ा सहित यू० के० 96° आधार
जनवरी . . .	23.92
फरवरी . . .	23.50
मार्च (10–3–68 तक) .	22.29

(ख) इस वर्ष चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन चीनी का निर्यात किया जा रहा है । अतः 1968 में चीनी के निर्यात पर कोई राज-सहायता नहीं दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश को बोरिंग मशीनों की सप्लाई

4603. श्री नारायण रेड्डी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रिंग बोरिंग मशीनों और लोहे के पाइपों की सप्लाई न होने के कारण आन्ध्र प्रदेश में छिद्रण कार्य काफी समय से रुका पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) रिंग बोरिंग मशीनों और लोहे के पाइपों की उपलब्धि के कारण आन्ध्र

प्रदेश में बोरिंग कार्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई ज्ञान नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य सरकार के पास निम्नलिखित छिद्रण मशीनें थीं :—

	संख्या
1. हैंड बोरिंग सैट्स	12
2. लाइट पर्कुशन रिग्स	23
3. मीडियम पर्कुशन रिग्स	3
4. लाइट डाइरेक्ट रोटरी रिग्स	8
5. मीडियम डारेक्ट रोटरी रिग्स . . .	1
6. काल रिग्स . . .	3
कुल . . :	130

भारत सरकार विदेशी मुद्रा देकर राज्य सरकार की सहायता करती रही है । 1965–66 की अवधि में 9 मीडियम पर्कुशन रिगों के आयात के लिये राज्य सरकार को 16.94 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई । राज्य सरकार पहले ही दो ऐसी रिग प्राप्त कर चुकी है और उसने 5 और रिगों की सप्लाई के लिए संभरण और निपटान के महानिदेशक के पास इन्डेन्ट भेज दिया है । 1966–67 की अवधि में 4 मीडियम पर्कुशन रिगों और 2 मीडियम डारेक्ट रोटरी रिगों के आयात के लिये 20 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है । राज्य सरकार ने केवल 2 डारेक्ट रोटरी रिगों के लिए इन्डेन्ट भेजा है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1968–69 की अवधि में उन्हें 10 रिगों की आवश्यकता पड़ेगी । राज्य सरकार से अन्तिम प्रस्तावों की प्रतीक्षा है ।

राज्य सरकार की ओर से स्थगित अदायगी के आधार पर पोलैंड से 200 मीडियम पर्कुशन रिगों के आयात का प्रस्ताव था । प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

Residential Houses for Labourers in Delhi

4604. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of residential houses for labourers in Delhi is inadequate ;

(b) if so, their number and the number of additional houses required for them ;

(c) the number of houses proposed to be constructed in Delhi by Government for the labourers during 1968-69 ;

(d) whether Government propose to bring a Legislation under which it could be made obligatory for mill owners to spend some portion of their profit on the construction of quarters for the labourers ; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefore ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(d) and (e) : The future policy regarding industrial housing is one of the important subjects before the Committee on Labour Welfare which has been set up to examine the functioning of various welfare schemes in industrial undertakings. The recommendations of the Committee are awaited.

उड़ीसा में भूमिहीन कृषि मजदूरों का पुनर्वास

4605. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन वृषि मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजना को उड़ीसा में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी सफलता मिली है और अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और उड़ीसा में भूमिहीन मजदूरों को किन किन क्षेत्रों में बसाया गया है; और

(ग) 1967-68 और 1968-69 के लिये इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि रखी गई है और अब तक क्या सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1,685 एकड़ भूमि को सुधारा गया है और 360 भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को नियत कर दी गई है। तीसरी योजना के अन्त तक 1,70,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को दी गई थी । गंजम, सम्बलपुर, फुलबानी और कटक जिलों में पुनर्वास किया गया है ।

सन् 1967-68 के दौरान 2 लाख रुपये पूर्वानुमानित केन्द्रीय सहायता के रूप में उड़ीसा को दिए जाने हैं । सन् 1968-69 के लिए प्रगति को दृष्टि में रखते हुए 6 लाख रुपये के अस्थायी निर्धारण पर विचार किया जा रहा है । सन् 1967-68 की पुनर्वास की योजनाओं के परिणामों के सम्बन्ध में अभी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ।

अकार्बनिक नमकों के साथ उर्वरक कणों का प्रयोग

4606. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अकार्बनिक नमकों के साथ उर्वरक कणों के प्रयोग की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या रूसी रसायनिक कुकिन सुलेमान कुलोन के दावे के अनुसार ये अच्छे परिणाम देते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । हाल ही में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया गया है ।

(ख) रूसी रसायनिक कुकिन गुलेमान कुलोन के कार्य के उचित संदर्भ की अनुपस्थिति में परिणामों की तुलना करना संभव नहीं हो सका है ।

(ग) उपरोक्त (ख) के होते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

Pass Books for Farmers

4607. Shri Nageshwar Dwivedi: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have advised all the State Governments to issue pass books to farmers containing the details of records of lands owned by them with a view to bring down litigation and land disputes; and

(b) if so, the reaction of State Governments thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashib Shinde): (a) and (b) Yes Sir. On the recommendation of the Land Reforms Implementation Committee of the National Development Council, State Governments were advised in January, 1965 to give certificates or *khata* books to all persons who acquire status of occupancy under the Tenure Abolition Laws or under the provisions of Tenancy Laws.

The replies from the States indicate that provision has been made in Madhya Pradesh and Rajasthan to issue *khata* books. Certificates of ownership are being issued in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Kerala, Madras, Mysore, Orissa, Punjab and Tripura under the relevant Tenancy Acts and Zamindari Abolition Laws, and in U.P. as part of the scheme for consolidation of holdings. The suggestion is under the consideration of the rest of the States.

Dwarf Variety of Paddy and Wheat

4608. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the maximum quantity of fertilizers nitrogen, phosphorous and potash, per aere necessary for obtaining bumper crop of dwarf variety of paddy and wheat and the extent to which this quantity is more than the quantity required for usual variety of wheat and paddy; and

(b) the target of cultivating dwarf variety of wheat and paddy during 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The quantity of fertilisers required varies according to the type of soil, fertility status of soil, availability of irrigation water, crop grown, etc. However, the levels of fertilizers recommended in general for the dwarf varieties of paddy and wheat are as under:—

Crop	Requirement of Fertilizer in Kg. per Hectare		
	Nitrogen	Phosphorous	Potash
Paddy	80—120	45—60	45
Wheat	80—120	50—60	35

The above requirements are higher by about 40—80 kg. of nitrogen, 25—40 kg. of phosphorous and 15—25 kg. of potash, per hectare than the quantities required for the local varieties of wheat and paddy.

(b) It is planned to cover 5·06 million hectares under paddy and 3·24 million hectares under wheat by 1970-71.

Cattle Population

4609. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has 25 percent of total heads of cattle in the world but India is far below in the list of milk-producing countries of the world; and

(b) if so, the steps which are being taken by Government to increase the milk production in the country?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) In 1961 the total world population of cattle and buffaloes was 1087·5 million of which India accounted for 226·7 million or 21%. It is true that milk production in India is very low.

No systematic survey in respect of milk production has been conducted on an all-India basis. However, according to *ad-hoc* estimates made by the Directorate of Marketing and Inspection in the year 1961 and 1956 and the Central Statistical Organisation, for the year 1961, the total milk production in the country is estimated to have increased from 17·4 million tonnes in 1951 to 19·17 million tonnes in 1956 and 20·7 million tonnes in 1961.

(b) Several Schemes for the development of cattle and increasing milk production in the country have been taken up in the Five Year Plans by the Central and State Governments.

These Schemes aim at producion of better quality cattle through scientific breeding, adequate feeding, effective diease control pogramme, proper management practices, and in addition providing ready and remunerative market for milk as an incentive to the farmers towards increasing milk production.

A few of the important schemes are briefly mentioned below:—

479 Key Village Blocks each having an Artificial Insemination Centre and covering a breedable cow/buffalo population of 2,000—10,000 have been set up in the various States. With a view to creating a sizeable impact on cattle development and increasing the production of milk rapidly, 26 Intensive Cattle Development Projects have been established on the lines of the 'Package Programme' for agricultural production. These Projects attend to all aspects of cattle development such as controlled breeding, adequate feeding, effective disease control, mass castration of scrub bulls, sexual health control, feeds and fodder development, dairy extension and marketing facilities. Each Project covers about one lakh breedable cows/buffaloes.

Breeding policies have been recently reviewed to increase milk production rapidly. An extensive programme of cross breeding indigenous cattle with exotic dairy breeds has been drawn up. Apart from two small Jersey Farms of the Central Government, an Indo-Swiss Project at Munnar (Kerala) for Brown Swiss, an Indo-German Project at Mandi (H.P.) for Spotted High-lander and Indo-Danish Project at Hessarghata (Mysore) for Red Dane Cattle have been set up to produce bulls of these breeds in India. Import of cattle of dairy breeds from U.S.A. and Australia has also been arranged.

In order to achieve an assured genetic gain in milk productivity of cattle on Government Farms which supply bulls for upgrading of rural cattle in our cattle development schemes, a coordinated cattle breeding programme has been launched to ensure scientific techniques being adopted. Six Central Farms having breeds of national importance (2 of exotic dairy breeds 1 of Tharparker, 1 of Sindhi Cattle, and 1 each of Murrah and Surti Buffaloes) will be established; of these 3 have already been sanctioned. Likewise, it is proposed to expand selected State Farms so that scientific breeding can be ensured and bulls of proven genetic merit may be produced from generation to generation. Government Livestock Farm Hissar, has taken up progeny testing of Haryana and Murrah Bulls. Selected Gaushalas have been assisted to rear productive herds separately from unproductive herds and improved cattle husbandry and management practices have been introduced so that these institutions could also play a part in making available improved bulls.

Mass castration of scubrs bulls, extensive disease prevention and control measures, as also feed and fodder development programmes have been put into effect. These too will help increase milk production.

Sugar Production in U.P.

4610. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of sugar produced annually in each sugar factory of Uttar Pradesh during the last three years;

(b) the quantity of sugar supplied by the Government of U.P. to the Centre and other States separately during the abov period; and

(c) the quantity of sugar consumed annually in Uttar Pradesh during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) A statement giving the required information is attached as annexure I. [*placed in Library . See No. LT/537/68*]

(b) and (c). The supply of sugar from sugar mills to various States was regulated by the Central Government. The quantity of sugar supplied to each State including Uttar Pradesh by sugar mills in Uttar Pradesh in pursuance of directions issued by the Central Government is given in the Statement attached as annexure II. [*placed in Library. See No. LT/537/68.*]

Allotment of Fallow Land in U.P.

4612. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Uttar Pradesh Government have discontinued the allotment of land (fallow land and the land owned by Panchayats) to landless people and ex-service personnel from November, 1967;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the acreage of land allotted and the number of persons to whom land has been allotted so far?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) Fallow lands can be classified into *usar* lands and other type of wastelands. According to information furnished by the State Government, the allotment of land under the former category has been discontinued for the present for want of adequate water supply from tubewells for reclamation of saline soils. Before the *usar* reclamation scheme was discontinued, 2890 families were settled on 7227 acres of land.

Allotment of other type of fallow lands is, however, still continuing. The State Government expect to complete the resettlement of 304 families on 800 acres of land by the end of 1967-68. During 1966-67, 955 families were allotted 63222 acres of culturable land.

As regards Panchayat lands, the Land Management Committee have been prohibited from letting out land panding amendment in the law which would authorise Tehsildars to have a pre-scrutiny of the resolutions of land manage committees for allotment of land in accordance with prescribed priorities for the landless Scheduled Castes and ex-Servicemen. The necessary bill incorporating this amendment is ready for introduction in the Uttar Pradesh Legislature.

डबल रोटी बनाने के लिये उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को वित्तीय सहायता

4613. **श्री जागेश्वर यादव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ताकि वे डबल रोटी बनाने के लिये छोटे संयंत्र लगा सकें;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता देने का विचार है ; और

(ग) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के अधीन कितने संयत्र लगाये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : (क) जी हां । तथापि, केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी समितियों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है । सहायता तो राज्य सरकारों को दी जाती है, जो वास्तव में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को धन देती है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सहायता का स्वरूप इस प्रकार है :—

(1) राज्य सरकारों को, मंजूरशुदा बेकरी यूनिट के 'ब्लाक केपिटल' व्यय के लिए उपभोक्ता सहकारी समिति को 100 प्रतिशत तक इस दशा में जबकि ऐसा व्यय 1 लाख रुपये से अधिक न हो और जब 1 लाख रुपये से अधिक हो तब 40 प्रतिशत तक सहायता देने के लिए, ऋण ।

(2) राज्य सरकारों को, उपभोक्ता सहकारी समिति को बेकरी यूनिट के लिए पहले वर्ष में अनुमोदित व्यय का 100 प्रतिशत दूसरे वर्ष में $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत और तीसरे वर्ष में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक प्रबन्धीय उपदान देने के लिए, अनुदान ।

(ग) बेकरी संयत्रों की कोई निश्चित संख्या की परिकल्पना नहीं की गई है। यह उपभोक्ता सहकारी समितियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है । अब तक 3 यूनिटों के लिए सहायता मंजूर की गई है ।

Post Offices in Gram Panchayat Area of Bihar

4614. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Commuincation be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that Post Offices have not been provided in every Gram Panchayat area of Bihar;

(b) if so, the number of Gram Panchayat areas provided with Post Offices and the number thereof where there are no Post Office at present ; and

(c) the time by which Government propose to achieve the target of having one Post Office for a population of two thousands ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Gram Panchayat villages :

(i) having post offices	4427
(ii) not having post offices.	4466

(c) The policy of the Department in providing post offices in rural areas is not solely on the basis of population. Post offices are opened in villages or groups of villages within a radious of two miles, with a population of 2,000 or more, provided the distance from the existing post office is not less than 3 miles and the new post offices are expected to work at a loss not exceeding Rs. 750 per annum per office. Post offices can also be opened in groups of villages with a population of less than 2,000 provided the distance from the existing post office is not less than 3 miles and the expected loss does not exceed Rs. 500 per annum per office. The distance limit from the existing post offices reduced to 2 miles in places which are headquarters of Community Projects, NES Blocks or where there are schools run by Zilla Parishads, Local Boards or schools approved by, or receiving aid from, State Governments. In areas treated as 'very backward' by the P & T Department for the purpose of expansion of postal facilities, there is no restriction regarding the minimum population. The opening of new post offices is further subject to the conditions that the loss of the parent offices after opening of the new post offices does not exceed Rs. 500 per annum and that the necessary funds are available.

Postal facilities in Bihar

4515. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the target of new telephone lines, Branch Offices, sub-Post Offices and Telephone Exchanges likely to be opened in Chhapra, Champaran and Muzaffarpur districts of Bihar during the current year;

(b) whether it is a fact that the opening of new Post Offices ; sub-Post Offices and Telephon Exchange s is often delayed ; and

(c) If so, the steps proposed to be taken by Government to open them in time ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a)

Name of Distt.	Branch Post Offices	Sub-Post Offices	Long distance Public Call Offices	Telephone Exchanges
Chhapra .	20	2	1	2
Champaran .	12	3	..	1
Muzaffarpur .	15	1	1	3

(b) In case of opening of new post offices and sub post offices there is no delay once the scheme is sanctioned. However, there is some delay in the opening of telephone exchanges and public call offices etc. because they involve considerable capital investment, construction of lines installation of equipment etc. The capital resources are severely limited. Similarly many of the essential equipment and stores required are in short supply. As regards Motipur exchange, the scheme of opening this exchange has been sacnctioned only on 8-3-68.

(c) All attempts are being made to secure larger capital investments for the telephone exchanges etc., Production of stores and equipment is being expanded. However, with the resources position of the Country being what it is, some delays are in evitable for the time being.

अन्नपूर्ण फलोर मिल्स, वाराणसी

4616. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बारे में सूचना/सूचनाएं प्राप्त हुई थीं कि अन्नपूर्ण फलोर मिल्स वाराणसी के उत्पाद केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नमूने के अनुसार नहीं है ;

(ख) क्या भारत सरकार के खाद्य विभाग द्वारा किसी जांच का आदेश दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस मिल को गेहूं का कितना कोटा दिया था; और

(ङ) क्या मिलावट को दृष्टि में रखते हुए यह कोटा अब बन्द कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच अधिकारी द्वारा लिए गए और खाद्य विभाग की प्रयोगशाला में विश्लेषण किए गए नमूने निर्दिष्टियों के अनुरूप पाए गए थे ।

(घ) फरवरी-मार्च, 1968 के दौरान इस मिल के प्रति मास 611 मीटरी टन आवंटित किया गया था ।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

P & T Buildings in Kovilpatti (Madras)

4617. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are paying Rs. 20 p.m. as rent of P & T Building in Kovilpatti, Madras States;

(b) whether it is also a fact that the Department has purchased land for its own building at the cost of Rs. 3,700 ; and

(c) if so, the reason for the delay in constructing the building there ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The land was purchased at a cost of Rs. 33,090 on 27-7-67.

(c) Schedule of accommodation for construction of building has since been finalised on 21-11-67. Preliminary drawings are now under preparation.

P & T Buildings in Kovilpatti (Madras)

4618. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are constructing quarters at high cost for its staff in cities and towns with a population of less than 50,000 ; and

(b) if not, whether Government propose to grant house rent allowance to the staff working in such cities ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Deparment is constructing quarters for its employees at all places, subject to justification, availability of resources and sites.

(b) Grant of House Rent Allowance to staff not provided with quarters is governed by orders of the Ministry of Finance. The present orders do not cover grant of House Rent Allowance in towns with population less than 50,000 (by 1961 census).

Displaced Persons in Delhi

4619. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri R. S. Vidyarthi :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of displaced persons in Delhi who were entitled for alternative accommodation after migrating from Pakistan but have not so far been allotted any accommodation ;

(b) the persons out of them who are entitled for shops and houses separately ;

(c) whether it is a fact that Government are allotting accommodation to them under Jhuggi-Jhompri Scheme ;

(d) if so, the reasons therefor and the reasons as to why they have not been allotted alternative accommodation accordingly to Government's policy ; and

(e) the time by which Government propose to complete work in regard to their rehabilitation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) to (e) According to a survey conducted in 1952, there were about 22,000 families of squatters in need of residential accommodation and 8,400 squatters in need of business accommodation. The Ministry of Rehabilitation which had already under-taken programmes of construction of houses and shops in Delhi for West Pakistan displaced persons, constructed about 41,000 residential units and 6,500 shops and most of these properties were utilised for accommodating squatters. In addition, the local bodies also constructed markets. When a review was made in June, 1956, it was estimated that out of the families covered by the survey of 1952, only about 8,000 families had been left unprovided for. Most of them were living in Kotla Ferozshah, Purana Quila, Tibbia College Chummeries, Old barracks in Kingsway Camp and Anguri Bagh and Pardah Bagh, which had to be cleared urgently. It was decided by the Government in May, 1957 that priority might be given for alternative accommodation to the displaced persons living in old barracks in Kingsway Camp and Tibbia College Chummeries. The squatters in other areas mentioned above could be dealt with as and when funds were available. The Tibbia College Chummeries were got vacated and the residents were provided with alternative accommodation. Funds were sanctioned to the Delhi Municipal Corporation for construction of tenements for those living in old barracks in Kingsway Camp. These tenements have mostly been constructed and steps are being taken to allot them to the eligible displaced persons. The displaced persons at purana Quila have also been shifted and the displaced persons living in Anguri Bagh and Pardah Bagh have to be provided alternative accommodation as and when the Delhi Municipal Corporation, to whom these areas have been transferred, get them vacated. The displaced persons living in Kotla Ferozshah were proposed to be shifted to an alternative site, but they did not agree to leave that place and the matter is still under consideration. As the residual problem was not quite acute, it was merged into the general question of clearance of squatters in Delhi and the remaining D.P. squatters can get alternative accommodation under various schemes of the Delhi Municipal Corporation or the Delhi Administration for which they may be eligible.

Procurement Rates in Punjab and Haryana

4620. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri R. S. Vidyarthi :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the rates at which the Food Corporation of India purchased Mexican and indigenous wheat in Punjab and Haryana in January and February, 1968 ;

(b) the rates at which the said wheat was sold by Government in Delhi and Uttar Pradesh through ration shops;

(c) whether it is a fact that there is much difference in the purchase and sale price ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) In Punjab the Food Corporation of India is not making any direct purchase of wheat in the market. Wheat is purchased by Apex Marketing Federation. The Food Corporation of India purchases wheat this week from the Market at—

Superior wheat	Rs. 89·92 per quintal exclusive of gunny and sales tax.
Ordinary Mexican . . .	Rs. 84·92 per quintal exclusive of gunny and sales tax.

In addition, the Food Corporation of India has also purchased wheat from the Punjab Government from its provincial reserve at the following rates :—

Superior wheat	Rs. 97·11 per quintal inclusive of gunny and sales tax.
Ordinary-Mexican	Rs. 92·09 per qunital inclusive of gunny and sales tax.

These prices include the procurement price and incidental charges incurred by the Marketing Federation.

In Haryana, the Food Corporation of India purchased wheat in the regulated markets at the following rates :—

Superior wheat	Between Rs. 77 and 83 per quintal.
Ordinary/Mexican	Between Rs. 72 and 77 per quintal.

(b) No wheat was received by the Government of Uttar Pradesh from Punjab and Haryana States in January and February, 1968. The retail issue rates of wheat through ration shops in Delhi have been Rs. 0·98 per kilogram for Mexican/Dara and Rs. 1·03 per kilogram for superior Farm wheat.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भूमि अर्जन विधान सम्बन्धी समिति

4621. श्री श्रद्धाकर सूपकार । क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमि अर्जन विधान का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई समिति के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) समिति की दूसरी बैठकें 14 और 15 सितम्बर, 1967 को हुई थीं और उन में विस्तृत प्रश्नावली को अन्तिम रूप दिया गया । समस्त राज्य सरकारों, प्राईवेट/सरकारी संगठनों, संसद् सदस्यों, राज्यों की विधान सभा के अध्यक्षों तथा इस विषय में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्तियों के पास प्रश्नावली की लगभग 6,000 प्रतियाँ भेजी गईं । अब तक समिति को लगभग 400 उत्तर प्राप्त हुए हैं ।

समिति की बैठकें अहमदाबाद, बम्बई, हैदराबाद, नागार्जुन सागर, बंगलौर, मद्रास, मदुराई तथा त्रिवेन्द्रम में हुई हैं और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों या भूमि अधिग्रहण की कार्य प्रणाली

का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की शहादतें रिकार्ड की गईं । और अधिक शहादतें रिकार्ड करने के लिए समिति की आगामी बैठकें 26 से 29 मार्च तक जयपुर व उदयपुर में होंगी।

(ख) समिति से जुलाई 1968 के अन्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है ।

चूहों का आतंक

4622. श्री भद्राकर सपकार: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी निर्धारित क्षेत्र में चूहों आदि को नष्ट करने की किसी योजना का उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) चूहों आदि के आतंक को दूर करने के हेतु इस योजना को अखिल भारतीय आधार पर अपनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जी हाँ । कानपुर के समीप कल्याणपुर के एक छोटे क्षेत्र को चूहों से मुक्त रखा जा रहा है । इसकी तकनीकी में निम्न वस्तुयें शामिल हैं --जिक फौसफाइड से चारा बनाना, साइनाइड साल्टों से चूहे के बिलों में गैस भरना और वारफराइन जैसे एन्टीकोआगूलैण्ट्स का प्रयोग । इसके लिए सघन सर्वेक्षण तथा नियन्त्रण कार्य की आवश्यकता है जो कि एक सीमित क्षेत्र में ही सम्भव है । चूहों के नियंत्रण करने के लिए क्षेत्र के कार्यकर्त्ता इस तकनीकी को भली भांति जानते हैं, किन्तु अखिल भारतीय आधार पर उसे अपनाने में कुछ कठिनाइयां हैं, क्योंकि इसके लिए स्टाफ तथा धन सम्बन्धी बड़े संसाधनों की आवश्यकता होगी।

बम्बई के मुख्य डाकघर की कोषागार शाखा

4623. श्री म० ला० सोंधी: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के डाक व तार विभाग ने 1 दिसम्बर, 1966 से ठेका समाप्त करके बंबई के मुख्य डाकघर की कोषागार शाखा तथा नगर के अन्य कार्यालयों के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने भूतपूर्व कर्मचारियों को कैसे खपाया हैं ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तों के बारे में संरक्षण दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ,

(ख) उन्हें विभाग में उनकी योग्यता के अनुसार क्लर्क/सराफ/चतुर्थ श्रेणी के रूप में खपा लिया गया है । उन्हें जिस वेतन-मान में खपाया गया है, उसमें उन्हें न्यूनतम वेतन दिया गया है।

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन घर

4624. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की कमी के बारे में बहुत शिकायतें हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो जनता की इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार को दिल्ली और नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की कमी के सम्बन्ध में जानकारी है ।

(ख) उपलब्ध एक्सचेंज क्षमता के 2 प्रतिशत का सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिये उपयोग करने के लिए एक अनुसूची बनाई गई है । यह भी निश्चय किया गया है कि एक वर्ष के भीतर यह संख्या बढ़ा कर 6 प्रतिशत तक कर दी जाय और भविष्य में एक्सचेंज क्षमता के 10 प्रतिशत के मानक के आधार पर योजना बनाई जाये ।

कृषकों के लिये ऋण की सुविधायें

4625. श्री सीताराम केसरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी जोतों वाले काफी संख्या में कृषक ऋण की सुविधाओं के अभाव में नई तकनीकें नहीं अपना सके हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित ऋण की राशि का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण कराने और आवश्यक ऋण की व्यवस्था करने के लिये ग्राम्य बैंकों जैसे अभिकरण स्थापित करने का है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) अधिक उत्पादनशील किस्मों, सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के क्षेत्रों के कृषकों के लिये रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आदानों के संभरण हेतु ऋण की सुविधायें प्रदान की गई हैं । इसके अतिरिक्त आवश्यक आदानों की माँग और विशेषकर बीजों व उर्वरकों की माँग की पूर्ति के लिये राज्य सरकारें भी तकाबी ऋण देती हैं । इस प्रयास में केन्द्रीय सरकार भी योगदान देती है जो बीजों, उर्वरकों व कीटनाशक औषधियों के वितरण के लिये अल्पकालीन ऋण की सुविधायें प्रदान करती है ।

अन्य क्षेत्रों में कृषि तकनीकों को अपनाने के प्रबन्ध अपर्याप्त हैं । परन्तु यहाँ भी सहकारी संस्थायें धीरे-धीरे क्रौप लोन सिस्टम को अपना रही हैं और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऋण की सप्लाई का संबंध उत्पादन संसाधनों से जोड़ा जाये न कि काश्तकार की संपत्ति या उसकी भूमि के आकार से ।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा स्थापित अखिल भारतीय रूरल रिव्यू कमेटी कृषि उत्पादन की नई पद्धति के संबंध में कृषि ऋण विषयक विस्तृत अध्ययन कर रही हैं । पृथक सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

4626. श्री सीताराम केसरी: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं ;

(ख) उनमें प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में सहायता देती है तथा न संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कितने व्यक्ति इस समय बेरोज़गार हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) 31 जनवरी, 1968 को 356 ।

(ख) वर्ष	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले
1963 .	22,001
1964 .	28,382
1965	76,603
1966 . . .	44,407
1967	61,093 (अनन्तिम)

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित लोगों को सामान्य रूप से नियोजन कार्यालयों द्वारा नियुक्ति सहायता दी जाती है।

भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों में बेरोज़गारी से संबंधित यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में सन् 1965 और दिल्ली में सन् 1966 में नमूने के तौर पर सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता चलता है कि प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 90 प्रतिशत लोग काम पर लगे थे।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से अक्तूबर 1965 में प्रशिक्षित हुए भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन स्तर जानने के लिए हाल ही में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया है।

Supply of Rice to States

4627. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1592 on the 22nd February, 1968 and state :

(a) the names of States to which rice was supplied by the Centre during the year 1967 ;

(b) the quantity of rice supplied to the States, State-wise; and

(c) the quantity of rice supplied by the Centre to Bihar during the period from 1957 to 1967 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) and (b). A statement showing the quantities of rice supplied to the different States during 1967 is attached [*Placed in library. See No. LT-538/68.*]

(c) 362·7 thousand tonnes

Samastipur Sugar Mills

4628. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to include a representative of the labour union in the Board of management of the Samastipur Sugar Mills ; and

(b) if so, when and in what capacity and, if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation(Shri Annasahib Shinde):(a)and (b). The Government do not propose to include a representative of the labour union in the Board of Management constituted for the management of the Samastipur Sugar Mills. It has, however, been decided to set up a Committee consisting of 2 members each of cane growers and workmen under the Chairmanship of the General Manager to advise him in the day to day working of the mills. The Board of Management will give due consideration to the suggestions made by the Committee.

एर्नाकुलम जिला टेलीफोन सलाहकार समिति

4629. **श्री अनिरुद्धन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग ने एर्नाकुलम जिला श्रमजीवी पत्रकार संगठन से कहा है कि वह एर्नाकुलम जिला टेलीफोन सलाहकार समिति में सम्मिलित किये जाने के लिये अपने प्रतिनिधि का नाम बताये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संगठन द्वारा नामजद किये गये व्यक्ति को इस समिति में शामिल नहीं किया गया और किसी अन्य व्यक्ति को नामजद किया गया ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के एक प्रतिनिधि को नामजद किया गया था।

(ग) विभिन्न प्रेस संस्थाओं द्वारा सुझाए गए नामजद व्यक्तियों के नामों की सूची पर विचार कर लेने के बाद ही टेलीफोन सलाहकार समिति में प्रेस प्रतिनिधि को नामजद किया गया था।

स्वचालित बेकरियां

4630. **श्री ईश्वर रेड्डी** ।
श्री महाराज सिंह भारती ।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 584 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वचालित बेकरियों की स्थापना में कुल कितना व्यय हुआ है और प्रस्तावित बेकरियों में कितनी पूंजी लगने की संभावना है ; और

(ख) इन बेकरियों की उत्पादन क्षमता कितनी है और शेष प्रस्तावित बेकरियों की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अब तक फरवरी, 1968 के अन्त तक 104 लाख रुपये (अनुमानतः) खर्च हुये थे। 9 बेकरी यूनिटों को लगाने के लिये पूर्वानुमानित कुल पूंजीगत परिव्यय 270 लाख रुपये है। इसमें मशीनों की लागत शामिल नहीं है क्योंकि ये कोलम्बो योजना के अधीन उपहार रूप में प्राप्त हुई हैं।

(ख) बम्बई के यूनिट की दैनिक क्षमता प्रत्येक 400 ग्राम की 72,000 डबल रोटियाँ है जबकि शेष यूनिटों की दैनिक क्षमता प्रत्येक 400 ग्राम की 36,000 डबल रोटियाँ हैं।

मजूरी बोर्डों का समाप्त किया जाना

4631. श्री न० कु० साल्वे:
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी श्रम समिति द्वारा नियुक्त द्विपक्षीय समिति ने वर्तमान मजूरी बोर्डों को समाप्त करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति ने क्या कारण बताये हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं, द्विपक्षीय समिति ने सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट भेजनी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अंशदान

4632. डा० रानेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मालिकों द्वारा देय अंशदान की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय कर्मचारी कितनी राशि देते हैं तथा इसमें कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). 1 अप्रैल, 1968 से कार्यान्वित क्षेत्र में नियोजकों के विशेष अंशदान की दर को कुल मजूरी बिल के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जा रहा है।

मुनाफे में से लाभ

4633. डा० रानेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन स्टेंडर्ड वैगन कम्पनी बर्नपुर आसनसोल के अधिकारियों ने कर्मचारियों को वर्ष 1966-67 के लिये मुनाफे के हिस्से का लाभांश नहीं दिया है और अक्तूबर, 1967 से वर्कशाप बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो नियोजकों द्वारा लाभांश का भुगतान कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

बिहार में कृषि विकास कार्यक्रम

4634. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बिहार में कृषि विकास कार्यक्रम चलाने का ब्रिटिश सहायता संगठन "ओक्सफन" का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उस कार्यक्रम को चलाने के लिये विशेषज्ञ स्वयंसेवकों का कोई दल बिहार में आया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान

4635. श्री शिवचंद्र झा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 फरवरी, 1968 को प्रधान मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के सातवें दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए कृषि संबंधी अनुसन्धान के लिये पाँच सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में सुझाव दिया था कि कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम पर विचार करते समय निम्न बातों पर विचार किया जाये :—

(1) सघन कृषि से प्राप्त होने वाले लाभों को समन्वित किया जाये और वनस्पति रोगों के नियन्त्रण पर विशेष ध्यान देकर संभावित हानि को रोका जाये।

(2) क्वालिटी के साथ ही साथ उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य को दृष्टि में रखा जाये।

(3) सूखी खेती को और लाभप्रद बनाया जाये ताकि सघन कृषि की पद्धति से देहात में विषमता न बढ़ने पाये ; और

(4) औज़ारों व तकनीकों का निर्माण व विकास किया जाये जिस से कृषक की कार्य-कुशलता बढ़े।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित सस्य सुधार परियोजनाओं के अन्तर्गत इन मदों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

खाद्यान्नों की अधिक उपज वाली किस्मों की उपज

4636. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष केरल में धान की तैनान-3 किस्म, मद्रास में धान की ए० डी० टी०-27 किस्म, राजस्थान में गेहूं की मैक्सिकन किस्म और उत्तर प्रदेश में के-68 की उपज 1962—67 की राज्यों की उपज की औसत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत तथा इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या धान अथवा गेहूं की किसी ऐसी किस्म का बिहार में परीक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1967-68 की धान और गेंहूं की इन किस्मों की औसत प्रति एकड़ उपज की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1966-67 म राज्यों की औसत उपज म निम्न प्रकार से प्रति एकड़ प्रतिशत वृद्धि हुई :—

क्रम संख्या	राज्य	फसल-किस्म	प्रतिशत वृद्धि
1.	केरल	धान (टैनन-3)	40
2.	मद्रास	धान (ए०डी०टी०-27)	93
3.	राजस्थान . . .	गेहूं (मैक्सिकन)	254
4.	उत्तर प्रदेश . . .	गेहूं (के-68)	184

इन किस्मों के अधिक उत्पादन का कारण इनकी अधिक उत्पादन क्षमता है और यह तथ्य भी है कि यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों म लागू किया जा रहा है जहां सिंचाई/वर्षा सुनिश्चित है और इसके साथ साथ विभिन्न कृषि आदानों जैसे सुधरे हुए बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों, कृषि ऋण आदि दिये जाने की भी उपयुक्त व्यवस्था है। प्रत्येक फसल का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों के लिये अल्प अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की जाती है। इन पाठ्यक्रमों म विभिन्न फसलों के लिए सिफारिश की गयी पैकेज विधियों को समझा जाता है, जिससे कि किसान इनका अच्छी तरह पालन कर सकें।

(ग) जी हां। 1966-67 और 1967-68 में बिहार के विस्तृत क्षेत्र में कृषि के लिये धान की ताइचुंग नैटिव-1 और गेहूं की मैक्सिकन किस्मों (लर्मो-रोजो) का परीक्षण किया गया।

(घ) राज्य सरकार से उत्पादन के रूप में परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। फिर भी, यह बताया गया है कि ये किस्मे परम्परागत किस्मों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्पादन शील है।

सिविल विवाह

4637. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सिविल विवाह के लिये डाक्टरी प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) विवाह का पक्षकार इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह विवाह के दूसरे पक्षकार की स्वस्थता के बारे मे अपना समाधान कर ले। इस मामले में कोई विधिक अपेक्षा अधिरोपित करना समीचीन नहीं समझा जाता।

मैक्सिम गोर्की स्मारक डाक टिकट

4638. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मैक्सिमो गोर्की स्मारक डाक टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने मूल्य के ;

(ग) क्या रूस ने भारतीय नेताओं की स्मृति में डाक टिकट जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब और किन-किन भारतीय नेताओं के ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) 28 मार्च, 1968 को 15 पैसे के मूल्य-वर्ग में।

(ग) जी हां।

(घ) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा भारतीय नेताओं के सम्मान में निम्न को स्मारक डाक-टिकट जारी किये गए हैं :—

(1) रवीन्द्रनाथ ठाकुर . . . . . 8-5-61 को

(2) जवाहरलाल नेहरू . . . . . 20-8-64 को

All India Labour Economics Conference

4639. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Dr. Baljit Singh in his Presidential address at the Eleventh All India Labour Economics Conference held in Madras during the last week of December, 1967 had said that because wages were not based on production, our economy hd become more wages—more cost—oriented and as a result unemployment has increased in the country;

(b) the other conclusions drawn by the conference; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c). According to the press reports the Conference was held by a non-official body and no official report or recommendations of the conference has been officially received by Government. No further action is called for on such general observations.

Sale of Foodgrains in open market

4640. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether some States have permitted the sale of foodgrains in the open market; and

(b) if so, whether it has in any way affected the procurement of foodgrains by the Food Corporation of India?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) There is no restriction on free sale of foodgrains in the open market within State Zones except in the statutorily rationed areas. Free sale of all foodgrains has been permitted in the statutorily rationed areas of Delhi and Kanpur and of rice in Hyderabad.

(b) No, Sir.

Study of Community Development Programmes by Economic Commission for Asia and Far East

4641. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a 13 member team of the Economic Commission for Asia and the Far East has recently visited India to study the community development programmes in the country;

(b) if so, the main findings thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir. A Study-cum-Fraining Team, on the Role of Community Development, with particular reference to Land Settlement and Land Reform, consisting of 13 members sponsored by ECAFE, Bangkok, visited India from the 16th to 21st February, 1968.

(b) No report has yet been received from ECAFE in this connection.

(c) Does not arise.

Multi-Cropping System

4642. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi have invented a new agricultural system by which it would be possible to have four harvests in a year;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government to popularise this system

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes. The Indian Agricultural Research Institute has developed a new technique termed as "Relay Cropping" by which a farmer can grow 4 food crops or 3 food crops and 1 oilseed crop on the same piece of land in a year.

(b) The main features of this new technique are:

(i) The 4 food crops grown are mung, maize, potato and wheat. *Toria*, an oilseed crop can be grown in place of potato.

(ii) The variety mung 'Baisakhi' which was originally bred as a monsoon season crop has been very successfully grown as a summer crop between the wheat harvest and maize sowing.

(iii) Maize crop is planted in the standing crop of mung a few days before the harvest after applying the recommended fertilizer doses between the mung rows. *Toria* "oilseed crop" is planted in the standing crop of maize around 15th of September with the help of hand tools. Wheat is sown at the end of December or first week of January.

(iv) The total quantity of fertilizers used is the same as recommended for maize and wheat. The total number of preparatory cultivation for all the 4 crops is just equal to what the farmers adopt for wheat alone. This cuts very greatly the cost of cultivation of crops. The cropping system includes 2 crops (Mung and Toria) which are deep rooted and feed mostly on the lower layers of the soil and 2 shallow rooted crops—wheat and maize—which tap the surface layer for their nutrients. The system of cropping is, therefore, scientifically very sound.

(v) The system is ideally suited for small farmers in northern parts of the country and will open up vast employment opportunities on the small farms. No other food crop except mung can be matured with just 2 irrigations during summer months apart from applying protein rich legume fodder for farm cattle. This will partly make up for the fodder scarcity during summer months.

(vi) Since the crops are grown in quick sequence the weeds get suppressed.

(vii) The relay cropping technique can be taken up in the "well irrigated" areas as well as in "canal irrigated" areas where irrigation is assured.

(c) The following steps have been taken:—

(i) The multiple cropping techique referred to above has been given very wide publicity by the Indian Council of Agricultural Research through their Special News Supplements on Agricultural Research in India published on the 29th December, 1967 by 30 Newspapers—English, Hindi and major Indian languages with a total circulation of over 20 lakhs.

(ii) The relay cropping technique has been broadcast from All India Radio and telecast by the Television Centre of the All India Radio to demonstrate the technique to the farmers.

(iii) Details of relay cropping in the form of a cyclostyled note have been supplied to a large number of farmers in response to their requests.

(iv) Samples of seed of Mung Baisakhi which is the linch-pin of the crop sequence have been supplied to over 500 farmers with the necessary instructions to multiply it during the summer months and again during the monsoon season so that they can have their own seed for summer, 1969.

(v) 4-5 pilot demonstrations have been arranged for the Delhi State Territory under direct supervision of the Institute staff.

369 (Ai) LSD--6.

कृषि के लिये ऋण की सुविधायें

4643. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में ऋण के मामले में उदारता से काम लिया गया है परन्तु खाद्यान्न, तिलहन और दालों के बारे में ऐसा नहीं किया गया है जिससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले पर विचार करे; और

(ग) यदि हां, तो रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कतिपय प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण के विषय में उदारता अपना ली गई है जैसे कि (1) निर्यात के लिये ऋण (जहाज द्वारा भेजे जाने से पूर्व व उसके पश्चात्) (2) कृषि आदानों के लिये (उर्वरक और कीटनाशक औषधियां) और (3) ऋण गारंटी संगठन द्वारा गारंटीकृत लघु उद्योग। जहां तक मूंगफली और कुछ अन्य तिलहनों का सम्बन्ध है, सट्टे पर अच्छी फसलों के होने और मूल्यों में उचित गिरावट के कारण चालू वर्ष में नियन्त्रणों को संशोधित कर दिया है। जहां तक अनाजों और दालों का सम्बन्ध है, वर्तमान प्रतिबन्धों को जारी रखना जमाखोरी की प्रवृत्ति को समाप्त करने के विचार से आवश्यक समझा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते।

Fruit cultivation in Nagaland

4644. **Shri Shashibhusan Bajpai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the nature of assistance provided or proposed to be provided by Government for fruit cultivation in Nagaland and also their storage and transportation?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation (Shri Annasahib Shinde): The assistance for fruit cultivation and their storage in Nagaland is provided under the State Plan Scheme. The State Govt. have included the following schemes in their Draft Annual Plan for implementation during 1968-69.

Name of the Scheme	Proposed outlay for 68—69
Hort. Dev. Scheme	1·50
Progeny orchards-cum-nursery	1·50
Fruit Preservation Factory	2·00
Cultivation of Orange and Pineapple	0·60
Cold storage	0·86

There is a special arrangement for financing the Plan of State of Nagaland under which the revenue expenditure is met by Central Grant and capital expenditure is met through loan assistance by the Centre.

Storage Facilities for Foodgrains

4645. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give such facilities to the farmers as may help them in storing foodgrains in the warehouses charging moderate rents for the period during which the speculators maintain the low rates of prices of foodgrains; and

(b) whether Government propose to grant some financial assistance to the farmers till they get remunerative prices for their production ?

The Minister of Stqate in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib. Shinde): (a) and(b) The Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations have constructed a number of warehouses where farmers can store their agricultural produce at reasonable rent. Facilities referred to therefor already exist. The depositors can obtain loans and advances from banks against the warehouse receipts issued to them by the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations.

Bar Council Examination

***4646. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Maharashtra Bar Council has requested the Central Government to exempt such Law Graduates from appearing in the Bar Council Examination as have completed three years' course; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister to the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) and (b) No such request has been received from the Maharashtra Bar Council. But the Secretary, Maharashtra State Lawyers' Association, Akola forwarded on the 17th January, 1968 a copy of the resolutions passed at the meetings of the Maharashtra State Lawyers' Association on the 24th and 25th December, 1966. One of the resolutions suggests discontinuance the Bar Council Examination for Law graduates who have undergone a three year course in law. This category of Law graduates has been exempted from training and examinations by the Admission as Advocates (Training and Examination) Rules, 1968 issued on the 8th March, 1968.

Departmental Examination in P & T Department

4647. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the books prescribed for the Departmental examinations in the Posts and Telegraphs Department are available only in English ;

(b) whether it is also a fact that it has been stated in the Post and Telegraph Manual (Volume IV) that all Departmental examinations would be held in English ;

(c) the reasons for not making the translations of the said books available in Hindhi by now; and

(d) the time by which the said books are likely to be translatednto Hindi ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujal) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Translation and printing of the departmental Manuals in Hindi has been taken up and is in progress.

(d) No precise date can be given but action is in progress to complete the translation work as early as possible. An officer has also been appointed specially for this purpose.

खाद्यान्न सम्बन्धी विचार गोष्ठी

4648. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज की फसल उगाने के बारे में कृषि विशेषज्ञों द्वारा हाल में दिल्ली में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) इस विचार गोष्ठी के निष्कायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली मे 27 जनवरी से 31 जनवरी, 1968 तक सदस्य प्रतिमानों पर जिसमें अनाज की फसलें भी सम्मिलित हैं, एक विचार गोष्ठी संगठित की गयी थी।

(ख) विचार गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रति संलग्न है।

(ग) विचार गोष्ठी की कार्यवाही, विस्तृत सिफारिशों सहित, सभी राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय संस्थाओं को गोष्ठी की सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दी गयी है।

अस्थि-चूर्ण संयंत्र

4649. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने एक अस्थि-चूर्ण सन्यन्त्र का आविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उससे क्या लाभ होने की सम्भावनाएं है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) निर्जीवीकृत अस्थि-चूर्ण के उत्पादन हेतु एक नई रासायनिक विधि का विकास किया गया है। संस्थान में अस्थि चूर्ण की तैयारी के लिये किसी सन्यन्त्र का विकास नहीं किया गया है।

(ख) नई विधि के अनुसार कास्टक सोडा की सहायता से हड्डियों को पूर्ण रूप से पृथक कर दिया जाता है जिसे हाईड्रौलिक एसिड की सहायता से निकाल दिया जाता है।

(ग) इस विधि के लाभ निम्नलिखित हैं:—

(1) इस विधि द्वारा कार्य करने के लिए किसी विशेष सन्यन्त्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती।

(2) इसे आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े स्तर पर लघु उद्योग के लिए काम में लाया जा सकता है।

(3) इस विधि द्वारा कार्य करने के लिए जिन रासायनों की आवश्यकता पड़ती है, वे सस्ते हैं ।

(4) इससे उन खर्चीले स्टीम डाईजैस्टों की आवश्यकता नहीं रहती जिनकी प्राय: जरूरत रहती है ।

(5) इस विधि से जो पदार्थ उपलब्ध होता है वह पूर्ण रूप से निर्जीवीकृत होता है और स्टीम डाईजैस्टिड उत्पादन के प्रतिकूल उसे कुक्कुटों और पशु आहार हेतु काम में लाया जा सकता है ।

बर्मा द्वारा चावल देने का प्रस्ताव

4650. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने अपनी नई फसल में से भारत को चावल देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) बर्मा सरकार द्वारा अपनी नई फसल से दी गई 100,000 मीटरी टन चावल की मात्रा खरीदी गई है और इस खरीद के लिए 7 मार्च, 1968 को एक ठेके पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

द्वितीय सीमेंन्ट मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

4651. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा स्वीकृत द्वितीय सीमेंट उद्योग मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था क्या होगी, इसके सदस्य कौन कौन होंगे तथा इसके कृत्य क्या होंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) इस प्रयोजन के लिये सरकार का कोई विशिष्ट मशीनरी स्थापित करने का विचार नहीं है । पहले की तरह, दूसरे सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा, जो कि सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत "सम्बन्धित सरकारें" हैं, लागू करवाया जा रहा है ।

टेलीफोन केन्द्र

4652. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े नगरों में टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है; और

(ख) टेलीफोन प्रणाली की चालन क्षमता बढ़ाने के लिए तथा अतिरिक्त टेलीफोन लगाने, टेलीफोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने तथा इसी प्रकार के अन्य कामों के अनुरोधों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) देश भर में सभी प्रमुख नगरों में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में देश के सीमित साधनों के अनुसार वृद्धि की योजनाएं बना ली गई हैं। देश के कुछ महत्वपूर्ण नगरों की मौजूदा क्षमता और प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता इस प्रकार है :—

क्रमांक	नगर	30 दिसम्बर, 1967 को एक्सचेंजों की क्षमता	प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता
1	बम्बई	1,06,950	56,250
2	कलकत्ता	1,16,380	52,600
3	दिल्ली	70,875	63,700
4	मद्रास	46,100	18,600
5	हैदराबाद	21,500	4,600
6	बंगलौर	13,900	13,000
7	अहमदाबाद	12,700	8,500
8	कानपुर	8,500	7,500
9	पूना	10,100	6,000
10	नागपुर	8,200	4,500
11	लखनऊ	8,000	2,000
12	आगरा	6,600	1,500
13	वाराणसी	4,500	2,100
14	इलाहाबाद	3,500	4,000
15	मदूराई	4,800	2,400
16	जयपुर	6,500	5,400

(ख) टेलीफोन प्रणालियों की प्रचालन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. शिकायतों की ओर शीघ्र ध्यान देना।

2. टेलीफोन और डायलों की नियतकालिक नेमी जाँच करना।

3. उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा का विशेष निरीक्षण द्वारा नमूने प्रस्तुत करना।

4. सांख्यिकीय प्रकार नियन्त्रण तकनीकों का प्रचलन ।

5. देश भर में मारी परियात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध साधनों द्वारा विभिन्न एक्सचेंजों के उपस्कर में वृद्धि करना ।

6. स्थानीय और ट्रंक सेवाओं में उन्नत तकनीक का प्रचलन करना ।

7. प्रचालन और अनुरक्षण के मानक में सुधार के लिए गहन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

(ख) सहायक संस्थापनों, टेलीफोनों के स्थानान्तरणों और कार्य अन्य आर्डरों पर सर्कल पहले से ही शीघ्र कार्रवाई करते आ रहे हैं, बशर्ते कि तकनीक की दृष्टि से यह सम्भव हो और ऐसे निवेदन विभागीय नियमों के अनुरूप हों ।

(ग) संस्थान टेलीफोन के स्थानान्तरण और इसी प्रकार के अन्य कार्यों सम्बन्धी विभागीय नियमों का हाल ही में पुनर्विलोकन किया गया है और ऐसे मामलों पर शीघ्र ही कार्रवाई करने के लिए उन्हें काफी हद तक सरल बनाया गया है ।

मैक्सिकन किस्म के गेहूं का बोना

4653. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में चालू फसल में कुल कितने क्षेत्रफल में मैक्सिकन किस्म का गेहूं बोया गया है;

(ख) कितनी फसल होने का अनुमान है; और

(ग) अगामी फसल में मैक्सिकन गेहूं कितने क्षेत्रफल में बोये जाने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) रबी, 1967–68 के लिए गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के हेतु अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारत 66.80 लाख एकड़ भूमि के कुल लक्ष्य में से 54.30 लाख एकड़ भूमि में मैक्सिकन किस्में उगाई गई थीं, शेष भूमि में के 68 और गेहूं की अन्य स्थानीय उन्नत किस्मों को बोया जाएगा। वास्तव में कितनी भूमि में बुआई हुई है इस सम्बन्ध में जानकारी समस्त राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु आशा यह है कि मैक्सिकन किस्म के गेहूं को चालू फसल में बोने का जो लक्ष्य बनाया गया था वह पूर्णतया प्राप्त होगा ।

(ख) उपज के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी मौसम की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए इन किस्मों से ½ से 1 टन प्रति एकड़ की अतिरिक्त उपज होने की सम्भावना है ।

(ग) अगामी फसल मौसम के लिए इन किस्मों के सम्बन्ध में बनाए गए लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप न दिया जाना है ।

रेडियो सेटों की लाइसेंस फीस की बकाया राशि के भुगतान की छूट

4654. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेडियो लाइसेंसधारियों तथा अन्य व्यक्तियों को, जिनके पास लाइसेंस के बिना रेडियो तथा ट्रांसिस्टर आदि हैं, उस स्थिति में दण्ड से छूट दे दी है, यदि वे फीस की बकाया राशि का भुगतान करने की बजाय वार्षिक फीस दें तथा नए लाइसेंस के लिये अर्जी दें; और

(ख) यदि हाँ, तो यह छूट दिये जाने के क्या कारण हैं, जिससे लाइसेंस फीस न देने को बढ़ावा मिलने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 30 अप्रैल, 1968 को समाप्त होने वाली तीन माह की अवधि के लिए बिना लाइसेंस के रेडियो और टेलीविजन सेट रख वाले व्यक्तियों को तारीख का प्रमाण और प्राप्त करने का सूत्र बताये बगैर और केवल देय लाइसेंस फीस की अदायगी करने पर लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इसी अवधि के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी जिनके रेडियो लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो गई है, केवल देय लाइसेंस फीस अर्थात् अधिभार दिये बिना अदायगी करने पर अपने लाइसेंसों का नवीकरण कराने की अनुमति भी दी गई है ।

(ख) इस छूट की घोषणा सीमित अवधि के लिए लाइसेंस फीस की लगातार चोरी रोकने की दृष्टि से और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि इसके बाद बिना लाइसेंस के रेडियो रखने वाले व्यक्ति सरकार के लाइसेंस सम्बन्धी अधिनियमों का पालन करेंगे ।

जल वितरण के लिये रूस में बनी मशीन

4655. **श्री अहमद आगा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल के वितरण के लिये रूस में तैयार की गई एक मशीन को भारत में पेटेन्ट किया गया है जिसको चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता नहीं है और यह केवल पानी से ही चल जाती है;

(ख) क्या इसका परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो परीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकमस तथा सहकारिता मंत्रालय को, रूस में बनी किसी ऐसी मशीन को पेटेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Fisheries Programme in Madhya Pradesh

4656 **Shri G C. Dixit**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have asked for a sum of Rs. 7 lakhs for 1968-69 for development of fisheries; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Government of Madhya Pradesh proposed a plan expenditure of Rs. 35 lakhs for the development of fisheries in the State during 1968-69.

(b) An outlay of Rs. 30 lakhs has been approved.

Damage to crops in M.P.

4657. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the crops of gram and other pulses were badly affected by caterpillars in Madhya Pradesh during December, 1967 and an area of 8 lakh acres was effeted;

(b) if so, whether Government propose to chalk out a comprehensive programme in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government of Madhya Pradesh have prepared a scheme for the eradication of gram caterpillar in the endemic areas of Narmada Valley. This scheme is under scrutiny in the Directorate of Plant Protection Quarantine & Storage. It may, however, be pointed out that the Government of India provide as a grant 50% of the expenditure on plant protection measures occurring in the State Plans and, in cases of lage scale pest attacks, have been meeting 100% of the cost of pesticides used in control operations. Besides, operational charges of aircraft used in the spray of pesticides from the air are also subsidised.

Land Moisture and land erosion in Madhya Pradesh

4658. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have approved the non-Plan demand of Rs. 75 lakhs submitted by the Government of Madhya Pradesh for the year 1968-69 for checking land moisture and land erosion; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b) The question apparently relates to Soil & water Conservation Schemes. There is no non-plan demand from the Government of Madhya Pradesh in this regard. The Planning Commission have however, approved an outlay of Rs. 250 lakhs for the Soil & Water Conservation Programme of 1968-69, but the actual budget provision made by the State Government is not known. In addition, the Government of India propose to approve the continuation of the scheme of the Soi & Water Consevation under the Centrally sponsored sector on receipt of detailed proposals which are awaited from the State Government. During 1967-68, the total assistance sanctioned to the State Government for execution of the Centrally sponsored scheme of soil conservation in the catchments of Chambal & Hirakud Projects Rs. 51 lakhs.

Eradication of Kharta Disease

4659. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to issue import licence for the import of medicine from abroad for the eradication of Kharta disease and to sanction foreign exchange for the same; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Freeze drying Machine

4660. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Food and Agticulture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to supply Freeze Drying Machine for manufacturing vaccine under the Poultry Development Programme with a view to save cocks and hens from epidemic; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) In response to a letter to the State Directors of Animal Husbandry requesting them to furnish their requirements of spare parts for the existing freeze drying machines for the production of poultry disease vaccines to be obtained through UNICEF assistance, the Director of Animal Husbandry, Madhya Pradesh in addition to the spare parts, had requested for the supply a new freeze drying machine also.

(b) The list of spare parts received from the Director of Aminal Husbandry has been forwarded to UNICEF for procurement. In addition, foreign exchange to the extent of Rs. 85,000 was also released in January, 1967 in favour of State Department of Animal Husbandry for the procurement of a new freeze drying machine and if essential spare parts for the production of rinderpest vaccine. This machine could also be used for the production of vaccines for poultry.

विदर्भ क्षेत्र में भारी वर्षा से हुई हानि

4661. श्री देवराव पाटिल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 में कुछ दिन तक लगातार वर्षा होने के कारण महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ज्वार, कपास और तुर फसलों को कितनी क्षति पहुंची और उत्पादन में अनुमानत: कितनी कमी हुई; और

(ख) प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दुग्धशाला तथा मुर्गीपालन योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

†**4662. श्री देवराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि 75 प्रतिशत योजना संसाधनों को दुग्धशाला तथा मुर्गीपालन योजनाओं के अधीन सहकारी समितियों के विकास के लिये नियत किया जाना चाहिये और उपरोक्त नियतनों में से 50 प्रतिशत राशि दुर्बल वर्गों के लिये आरक्षित की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हाँ, तो धन नियत का यह सिद्धान्त सभी राज्यों में माना गया है और क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकारों को सहकारिता के आधार पर दुग्धशाला तथा मुर्गीपालन योजनाओं का विकास करने के लिए मोटे तौर पर कुछ सुझाव दिये गये थे। जब चौथी योजना का प्रारूप और 1966-67 की वार्षिक योजना बनायी गयी थी, तब सहकारिता के क्षेत्र में प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं को भी बनाया गया था और विभिन्न राज्यों को परामर्श दिया गया था कि वे ये योजनाएं सहकारी समितियों द्वारा क्रियान्वित करवाएं ? राज्य सरकारों ने दुग्धशाला और मुर्गीपालन का विकास सहकारी समितियों द्वारा करने की सामान्य नीति को स्वीकार कर लिया है।

1966-67 के कुछ राज्यों के बजट में दुग्धशालाओं के विकास की व्यवस्था में सहकारी समितियों का भाग इस प्रकार था :

राज्य का नाम	1966-67 के लिए बजट व्यवस्था	सहकारी समितियों का भाग	बजट व्यवस्था का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)	
आंध्र प्रदेश	75.60	23.18	30
पंजाब	49.51	4.81	9
उत्तर प्रदेश	100.00	100.00	100
गुजरात . .	100.00	44.00	44
बिहार	44.00	11.00	25
मैसूर	42.00	12.00	28
मद्रास	77.56	32.82	42
केरल . . .	21.04	6.18	29

महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, मैसूर, केरल राज्यों में और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी समितियों को जोरदार मुर्गीपालन कार्यक्रम में साथ लिया जा रहा है और उन्हें इस प्रयोजन के लिए आर्थिक सहायता भी दी गयी है ;

जहां तक समाज के गरीब लोगों को सहायता देने के लिए रकम नियत करने की बात का संबंध है, उत्तर प्रदेश में ऐसे आदेश दिये गये हैं कि डायरी सहकारी समितियों के उन सदस्यों को जो अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग और पिछड़े वर्ग के हैं या वे भू स्वामी जिनके पास 3.5 एकड़ से कम जमीन है, को दुधारू जानवर खरीदने के लिए हर सहकारी समिति के पास उपलब्ध धन का 75 प्रतिशत दिया जाना चाहिए, सब राज्य सरकारों को यह प्रणाली अपनाने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के समान पद्धति ही लागू कर दी गयी है।

(ग) उन राज्यों में, जहां अभी दुग्धशाला और मुर्गीपालन सहकारी समितियों का संतोषजनक रूप से विकास नहीं हुआ है, धन नियत करना कठिन है ?

Price List of Food Products

4663. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to prepare any price list or food products manufactured in the country : and

(b) if so by when and the details in regard to its adoption and the expenditure involved therein ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) There is no such proposal under consideration in the Ministry of Food and Agriculture.

(b) Does not arise.

Agricultural Farms

4664. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Government Agricultural Farms in the country at present and the location thereof ;

(b) the nature of assistance provided by the Central Government to the State Governments for opening such farms ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) There are three Central State Farms located at Suratgarh (Rajasthan), Jetsar (Rajasthan) and Jharsuguda (Orissa). No assistance is given by the Central Government to the State Govenments for opening such farms as these are run directly by the Central Government.

There are about 4,000 seed multiplication farms in the country. Regarding their location, attention is invited to the statement placed on the Table of the Lok Sabha on 16-2-68 in fulfilment of an assurance given in reply to Unstarred Question No. 3229 answered in the Lok Sabha on the 5th April 1966. The seed multiplication farms are classified as agricultural production sehemes. The present pattern of assistance provides for 50% Central assistance to State Governments for all approved agricultural schemes. This assistance is given as a part of the total Plan assistance to the State Governments..

There are in addition large number of agricultural farms run directly by the State Governments all over the country for which no assistance is given by the Centrat Government. The Question presumably does not refer to such farm.

कोयला खानों का बन्द होना

4665. **श्री दामनी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कितनी कोयला खानें बन्द हुई हैं ;

(ख) कितने मजदूर बेरोजगार हो गये ; और

(ग) इन खानों से कितने टन तथा किस किस किस्म का कोयला निकाला जाता था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 66।

(ख) 16,335।

(ग) (i) 20 कोयला खानों से 96,490 टन प्रति माह । शेष कोयला खानों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं है।

i) कोयले की किस्म है---ग्रेड दो, तीन, कोयले का चूरा और ऐसा कोयला जो किसी श्रेणी में नहीं आता।

मजूरी बोर्डों की सिफारिशें

4666. **श्री पी० राम मूर्ति :**
श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :
श्री नायनार :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 643 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति द्वारा नियुक्त त्रिपक्षीय समिति ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के मामलों पर इस बीच अपनी सिफारिशें दे दी है।

(ख) यदि हां तो इनका ब्योरा क्या है ;

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन सिफारिशों के कब तक प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जिस समिति का उल्लेख किया गया है वह द्विपक्षीय निकाय है। इसने मजूरी बोर्डों के काम में होने वाली देरी को समाप्त करवाने और उनकी सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति के बारे में सुझाव देने हैं। समिति का विचार-विमर्श अभी जारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) इस समिति को ऐसे मामलों पर विचार करना पड़ता है जिन पर संबंधित पक्षों के विभिन्न मत हैं। समिति की चार बैठकें हुई हैं और आशा है कि यह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

कोयला मजूरी बोर्ड का पंचाट

4667. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नम्बियार :
श्री गणेश घोष :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी कोयला खानों ने अभी तक कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है और उनके नाम क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : 313 कोयला खानों ने, जिनमें इस उद्योग के कुल श्रमिकों के लगभग 14 प्रतिशत श्रमिक काम करते हैं, अभी तक बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति शुरू नहीं की है। एक विवरण, जिसमें इन कोयला खानों के नाम दिए गए हैं, मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 539/68]** :

फिल्म उद्योग में मजूरी ढांचा तथा काम की शर्तें

4668. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अब्राहम :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री फिल्म उद्योग में मजूरी ढांचे तथा काम की शर्तों से संबंधित 15 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-समिति ने प्राप्त हुई टिप्पणियों को दृष्टि में रखते हुए सिफारिशों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). उप-समिति की अन्तिम बैठक 11 मार्च, 1968 को हुई और अब यह अपनी रिपोर्ट दे देगी।

चीनी के दाम

4669. **श्री रमानी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री एस्थोस :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चीनी का उत्पादन करने वाले और चीनी का उत्पादन न करने वाले राज्यों में चीनी के फुटकर दाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : चीनी का उत्पादन जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर, सभी राज्यों में होता है। केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल पांडिचेरी ही चीनी का उत्पादन करता है। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में चीनी के खुदरा भाव बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 540/68]।**

दिल्ली के सुपर बाजारों में अधिकारी

4670. **श्री रमानी :**
श्री अब्राहम :
श्री चक्रपाणि :
श्री एस्थोस :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सुपर बाजारों में कुल कितने अधिकारी काम करते हैं और उनके वेतनों पर प्रति वर्ष कितना खर्च आता है ; और

(ख) इन बाजारों में अन्य कर्मचारी कितने हैं और उनके वेतनों पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 24. उनके वेतनों पर प्रति वर्ष 2,62,488 रुपये व्यय होते हैं।

(ख) 1125. उनके वेतनों पर प्रति वर्ष 23,80,445 रुपये व्यय होते है ।

लोह अयस्क खान मजूरी बोर्ड

4671. श्री रंगनी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी लौह अयस्क खानों की संख्या कितनी है जिन्होंने लोह अयस्क खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है ;

(ख) वे खानें कौन-कौन सी हैं ? और

(ग) इस बात के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जिन खानों ने मजूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों को लागू नहीं किया है, उनकी संख्या 359 है।

(ख) पूरा ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इन सिफारिशों में कोई कानूनी शक्ति नहीं है और इन्हें मुख्यत: अनुनय और परामर्श द्वारा लागू कराया जा रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीन ही के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रयास जारी हैं। बारबिल क्षेत्र के 15 नियोजकों द्वारा सिफारिशें लागू न करने के बारे में एक विवाद को न्याय निर्णय के लिये भेज दिया गया है।

वनस्पति तेल में रंग मिलाना

4672. श्री भगवान दास :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति तेल में रंग मिलाने के बारे में नियुक्त की गई विशेषज्ञों की समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब तक अन्तिम रूप से विचार किये जाने की संभावना है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से संबंधित अन्य मंत्रालयों के विचार की प्रतीक्षा की जा रही है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4673. **श्री भगवान दास :**
श्री नम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री चक्रपाणि:

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 15 फरवरी, 1968 के अतरांकित प्रश्न संख्या 510 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

तिलहन सुधार परियोजना

4674. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में सभी मुख्य तिलहनों के बारे में अनुसन्धान कार्य को तेज करने के लिये एक अखिल भारतीय समन्वित तिलहन सुधार परियोजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में मूंगफली के विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) उपरोक्त परियोजना अनुसन्धान कार्य से सम्बन्धित है। आन्ध्र प्रदेश में मूंगफली, सोयायम और कास्टर सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये चार वर्ष की अवधि सन् 1967-68 से सन् 1970-71 तक 10.37 लाख रुपये की राशि नियत की गई है जिसमें से मूंगफली सम्बन्धी कार्यों के लिये 2.67 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

विकास कार्य के लिये, सन् 1967-68 के दौरान राज्य में मूंगफली के अधिकतम उत्पादन के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 19.77 लाख रुपये का खर्च अलग से अनुमोदित किया गया है और सन् 1968-69 के लिये 15.00 लाख रुपये की राशि अस्थायी रूप से प्रदान की गई है।

खाद्यान्नों का समाहार

4675. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां केवल मिल-मालिकों से खाद्यान्न का समाहार किया जाता है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां केवल किसानों से खाद्यान्न का समाहार किया जाता है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां किसानों और मिल-मालिकों दोनों से ही खाद्यान्नों का समाहार किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति केवल मिल-मालिकों से ही की जाती है।

(ख) गुजरात, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब और हरियाना।

त्रिचुर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

467. **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचूर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि क्वार्टरों के निर्माण-कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 7.4 लाख रुपये की लागत पर 52 क्वार्टरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। आशा है यह काम अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1968-69 के दौरान हाथ में ले लिया जायगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में मछली उद्योग का विकास

4677. **श्री विश्वनाथ मैनन :**
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया ने केरल में मछली उद्योग के विकास के लिये उस राज्य को मछली पकड़ने की कुछ नौकाएं देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। केरल राज्य को सप्लाई करने के लिये युगोस्लाविया ने कोई पेशकश नहीं की थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के कर्मचारी

4678. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के कर्मचारी दिसम्बर, 1967 में श्रम मंत्री से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि सभी कर्मचारियों को रोजगार दिया जायेगा ;

(ग) क्या इस बीच सभी कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । केवल यही आश्वासन दिया गया था कि उनके लिये अन्यत्र नियोजन अवसर खोजने के प्रयत्न किए जाएंगे ।

(ग) रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के 8,170 कर्मचारियों में से लगभग 5,180 लोगों को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम और अन्य निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकार और उसकी एजेन्सियों की मार्फत नियुक्ति सहायता दी जा चुकी है ।

(घ) रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के अतिरिक्त करार दिये कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाने के लिये कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के उप-आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज ने सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों को सूचित किया है कि, जहां भी कोई स्थान हो अथवा भविष्य में ऐसी रिक्तियों की सम्भावना हो, अतिरिक्त करार दिये कर्मचारियो को, यदि वे अन्यथा उपयुक्त हों तो, नियुक्ति के मामले में, जहां तक सम्भव हो, तरजीह दी जाए । अतिरिक्त करार दिये कर्मचारियों का नाम दर्ज करने और इन्हें हर सम्भव नियुक्ति सहायता देने के लिये श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय ने नियोजन कार्यालयों को आदेश दे दिये हैं । कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर और लेबर डाकयार्ड कलकत्ता को नियोजन सेवा के बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने की छूट दे दी गयी है ।

कृषि जिनसों की उत्पादन लागत के आंकड़े

4679. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :
श्री म० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री कृषि जिनसों की लागत के आंकड़ों के बारे में 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस संबंध में स्थायी तकनीकी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख). खाद्य और कृषि मंत्रालय-वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से स्थायी तकनीकी समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों को अर्थात्, (1) देश में मुख्य फसलें उगाने की लागत का अध्ययन; और (2) खेती के काम आने वाले सामान की सूची को भी योजना के भीतर लाने के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इन योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने तक इनके क्रियान्वयन के लिये 1968–69 के बजट मे 5 लाख रुपये की सांकेतिक व्यवस्था की गयी है।

सघन कृषि विकास कार्यक्रम की योजनाएं

4680. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में कितनी सघन कृषि विकास कार्यक्रम की योजनायें चल रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में (एक) सिंचाई, (दो) खादों और (तीन) बीजों पर कितनी धन-राशि व्यय की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) इस समय देश में सघन कृषि जिला कार्यक्रम की केवल एक योजना जारी है जिसे साधारणतः पैकेज कार्यक्रम के नाम से पुकारा जाता है। यह कार्यक्रम कुल 17 जिलों में (प्रत्येक राज्य के एक-एक चुने हुए जिले में) जारी है। केरल में यह कार्यक्रम 2 जिलों में चल रहा है।

(ख) सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के सिंचाई, बीज तथा उर्वरक सम्बन्धी विशेष निवेश के लिये अलग अलग उपलब्ध नहीं किये जाते। इसलिये ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि प्रत्येक राज्य में इन मदों पर अलग अलग कितनी राशि व्यय की जाती है। जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मौसम के बारे में पूर्वानुमान

4681. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम के बारे में सही-सही पुर्वानुमान लगाये जाने के सम्बन्ध में किसानों की मांग पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत म आजकल मौसमी भविष्यवाणी सेवा म निम्नलिखित बातें शामिल हैं : —

(1) मौसमी भविष्यवाणी का एक अखिल भारतीय सार, जो कि स्पष्टतया गैर-तकनीकी भाषा और सामान्य किस्म का होता है।

(2) 5 क्षेत्रीय भविष्यवाणियां ।

(3) प्रेस तथा रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाने वाला "दी फार्मस वैदर बुलिटिन" (आकाशवाणी के 55 से अधिक केन्द्रों द्वारा 22 स्थानीय भाषाओं में)

(4) और सामुदायिक परियोजना अधिकारियों को भेजे गए विशेष सन्देश ।

हवा-पानी के दफ्तर से आकाशवाणी को जब कभी ऐसा बुलिटिन भेजा जाता है जो कि खराब जलवायु के बारे में सतर्क करता है उसको शीघ्र ही आकाशवाणी के विभिन्न प्रादेशिक केन्द्रों पर किसी भी समय प्रसारित किये जाने के भी प्रबन्ध मौजूद हैं ।

हवा-पानी का विभाग ऐसे व्यक्तियों और एजेन्सियों की एक सूची भी रखता है जिन्हें कि भीष्म वर्षा अथवा कोहरे विषयक भविष्यवाणियों की चेतावनी की तारें भेजी जाती हैं ।

मौसमी भविष्यवाणियों के प्रभावित प्रयोग के लिये विस्तार निदेशालय के केन्द्रीय फार्म सूचना यूनिट के ये प्रयत्न रहे हैं कि राजकीय कृषि सूचना यूनिट्स हवा-पानी के दफ्तर के साथ उस मौसमी दित्ते को समझे जो खेतों की फसलों से सम्बन्धित है और व्यवहारिक उपाय करने के लिये किसानों को प्रतिदिन सूचना प्रदान करे । इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य कृषि सूचना यूनिट और पश्चिमी बंगाल राजकीय कृषि सूचना यूनिट के कार्य को बतलाया जा सकता है । इस सुविधा को किसानों तक अन्य राजकीय कृषि इनफोरमेंशन एजेन्सी द्वारा पहुंचाने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

मौसमी भविष्यवाणियों को अधिक गतिमान बनाने के और किसानों के लिये अधिक उपयोगी बनाने के विचार से यह भी निश्चय किया गया है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने ऐसे हवा-पानी के दित्ते का विश्लेषण करने के लिये एक सक्षम सस्य वैज्ञानिक के साथ एक विशेष कक्ष की स्थापना की जाये और वह किसानों को

प्रतिदिन विभिन्न फसलों के लिये विशेष सिफारिशें करे। ऐसी सिफारिशें विभिन्न हवा पानी के कार्यालयों पर निर्भर करेंगी जिनमें वर्षा, भूमि आर्द्रता, मिट्टी का तापमान, ओस, कुहरे का पड़ना, नमी इत्यादि शामिल ह। यह भी निश्चित किया गया है कि भूमि की आर्द्रता और भूमि के तापमान का दित्ता इकट्ठा किया जाय। यह कार्य विभिन्न कृषि-हवा पानी केन्द्रों के मामूली कार्यक्रम का एक रूप होगा। इस कार्य का प्रारम्भ भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली के केन्द्र से करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में राशनिंग विभाग

4682 **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राशनिंग विभाग म कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा दिल्ली म राशनिंग विभाग को सुव्यवस्थित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) फालतू कर्मचारियों को अन्यत्र नौकरी पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितनी बचत होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस समय दो अलग विभाग हैं, एक राशनिंग और दूसरा सिविल सप्लाइज इन दोनों विभागों को एक विभाग में मिलाने का विचार है। इसके अधीन 36 सर्किल राशनिंग कार्यालय रहेंगे। क्षेत्रीय राशनिंग कार्यालयों को बन्द करने का विचार है।

(ग) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से आये सभी प्रतिनिधि नियुक्तों को उनके मूल कार्यालयों में वापिस भेजा जा रहा है। शेष फालतू स्टाफ को प्रशासन के अन्य विभाग में स्वीकृत पदों पर खपाने की कोशिश की जा रही है।

(घ) 9.6 लाख रुपये।

केन्द्रीय फल उत्पाद आदेश

4683. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में केन्द्रीय फल उत्पाद आदेश लागू किया है ताकि गुण-प्रकार पर नियंत्रण रखा जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) फल उत्पादन आदेश अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किया गया है जो कि जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों पर लागू होता है। क्योंकि मूल अधिनियम अभी इस राज्य पर लागू नहीं किया गया है, इस लिये फल उत्पादन आदेश भी इस राज्य पर लागू नहीं होता है।

Filling of vacancies from outside Employment Exchanges

4684. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of such departments of the Central Government which have filled certain vacant posts in these departments from outside the agency of Employment Exchanges during 1966 and 1967 in violation of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959; and

(b) the action taken against such Departments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 provides only for notification of vacancies by employers to specified Employment Exchanges.

(b) Does not arise.

पौधा परिरक्षण निदेशालय

4685. **श्री राम चरण :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौधा परिरक्षण निरोधा और माण्डागारन निदेशालय में विभिन्न श्रेणीयों में अब तक श्रेणी वार कितने कर्मचारी भर्ती किये गये हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारी पंजाब और हरियाना तथा अन्य राज्यों के बाहर से नियुक्त किये गये हैं;

(ख) अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं; और

(ग) विभागीय पदोन्नति के समय अनुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों की वरिष्ठता की उपेक्षा की गई और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : वनस्पति रक्षा संगरोध तथा संचयन निदेशालय लगभग 20 वर्षों से विद्यामान है और इस अवधि में भर्ती हुए समस्त व्यक्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं है क्योंकि कुछ प्रकार के मामलों के विषय में रिकार्ड नहीं रखा

जाता । फिर भी अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की संख्या आदि के बारे में 1 जनवरी, 1968 की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

1-1-68 को कर्मचारियों की संख्या		अनुसूचित जाति के कर्मचारी	अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी
क्लास-1	19	1	—
क्लास-2	41	7	2
क्लास 3	432	48	2
क्लास-4	235	47	4

भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है न कि क्षेत्रीय आधार पर । फिर भी 1-1-68 में हरियाना, पंजाब व अन्य राज्यों के कर्मचारियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जहां तक क्लास 1 व क्लास 2 के राज्य राजपत्रित पदों के लिये भर्ती का संबंध है, यह भर्ती केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है । अन्य पदों पर भर्ती निहित नियमों के अनुसार की जाती हैं और वरिष्ठता निश्चित करने के बारे में समय समय पर नियम बनाये जाते हैं। समस्त कर्मचारियों के मामले, जिनमें अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी भी शामिल हैं, के मामलों का निपटारा इन नियमों के अनुसार किया जाता है।

Retirement of Chief Engineers in P & T Department

4686. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Chief Engineers and other high official in the Telephone Department have sought retirement voluntarily during the last few years ;

(b) if so, their names and designation ; and

(c) the number of those who have sought employment thereafter in private undertakings and rejoined Government Service ?

The Minister of State in the Deparments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Since January 1, 1955 only one officer from the Telecommunications Wing of the P&T Department has applied for voluntarily retirement. His request is under consideration.

(b) Shri A.K. Mullick Deputy General Manager, Telephone District, New Delhi.

(c) Nil.

कोयला खान मजदूरों की छंटनी

4687. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में कोयला खानों में कुल कितने मजदूरों की छंटनी की गई; और

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं तथा उपरोक्त अवधि में कोयला खान से कितने मजदूरों की छटनी की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हथी) : (क) 5077।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 541/68]** ।

कोयला खानों द्वारा खान अधिनियम का उल्लंघन

4688. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 तथा 1967 में खान अधिनियम, तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने के आरोप में किन-किन कोयला खानों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये ; और

(ख) प्रत्येक मामले में मुकदमे चलाये जाने के क्या कारण थे तथा उनके क्या परिणाम रहे?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

डाक्टरी परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये कोयला खान मजदूर

4689 **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 और 1967 में कितने कोयला खान मजदूर डाक्टरी परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये ; और

(ख) वे किन-किन कोयला खानों में काम करते थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

न्यू जैमेहारी खाश कोयला खान

4690. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू जेमेहारी खाश कोयला खान के बारे में कोयला खान मजदूर सभा (ए० आई० टी० यू० सी०) से हड़ताल का कोई नोटिस मिला है ;

(ख) इस कोयला खान के मजदूरों की मांगें क्या हैं ; और

(ग) समझौता कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) कोयला खान मजदूर सभा ने 12 मांगों का एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था। ये मांगे मुख्य रूप से बोनस अधिनियम के अनुसार लाभांश साझा बोनस, परिवर्ती महंगाई भत्ते, कोयला खनन उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी के बकाये की अदायगी और 16 श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में थी।

(ग) सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रानीगंज ने इस मामले में समझौते की कार्यवाही की लेकिन वे कोई समझौता नहीं करा सके।

कोयला खानों द्वारा अनियमितताएं

4691. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965, 1966 तथा 1967 में किन-किन कोयला खानों द्वारा त्रैमासिक लाभांश न दिये जाने, अनियमित रूप से भुगतान किये जाने, उपस्थित पंजियों को गलत ढंग से रखने, बोनस कार्ड तथा माप पर्चियां न दिये जाने के कारण उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये थे; और

(ख) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाहीं की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जिन कोयला खानों के विरुद्ध 1965, 1966 और 1967 में त्रैमासिक लाभांश न देने, अनियमित रूप से भुगतान करने, उपस्थित पंजियों को गलत ढंग से भरने, बोनस कार्ड तथा माप पर्चियां न देने के कारण मुकदमें चलाये गये उनके नाम क्रमशः अनुबन्ध क, ख और ग में दिये गए हैं **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 542/68]**

(ख) विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये मामलों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

अधिनियम	वर्ष	जिन कोयला खानों के विरुद्ध मुकदम चलाए गए उनकी सख्या	मुकदमों के परिणाम		
			दोष सिद्धि	विमुक्ति	अनिणीत
कोयला खान बोनस योजना	1965	177	106	11	60
	1966	204	98	21	85
	1967	81	5	2	74

अधिनियम	वर्ष	जिन कोयला खानों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए उनकी संख्या	मुकदमों के परिणाम		
			दोष सिद्धि	विमुक्ति	अनिर्णीत
मजूरी भुगतान (खान) नियमावली					
	1965	82	47	—	35
	1966	77	35	—	42
	1967	29	6	—	23

टेपिओका का विकास

4692. **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कन्ननूर जिले में टेपिओका की खेती का विकास करने के लिये निशुल्क ट्रैक्टर देने के हेतु सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ट्रैक्टर दिये जा चुके हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) भारत सरकार ट्रैक्टरों को किराये पर देने के केन्द्रों की स्थापना के लिये एक योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत किसान निश्चित राशि देने पर किराये पर ट्रैक्टर प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार इन केन्द्रों के ट्रैक्टरों, औजार तथा अन्य उपकरणों की लागत को कुछ ऋण और कुछ अनुदान के रूप में वहन करने के सम्बन्ध में भी विचार कर रही है। इस योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर बेकार भूमि के सुधार के लिये केन्नानूर जिले को एक यूनिट के नियतन करने पर विचार किया जायेगा। इस यूनिट का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फसलों के लिये भूमि सुधार करना होगा। आजकल टेपिओका उस भूमि पर उत्पन्न किया जा रहा है जो कि इस क्षेत्र में सुधार दी गयी है।

Delhi Milk Scheme

4693. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have decided to open a dairy farm under the Delhi Milk Scheme;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme purchase milk from the open market people and after mixing some powder in it sells it; and

(d) if so, the steps proposed to be taken to overcome the shortage of milk ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Government are of the view that it will not be economic for Department to start a dairy farm. The unit cost of milk production is likely to be higher than purchasing milk from farmers in the milk-shed area. The present system provides a steady market to milk producers. Increase in milk production depends on finding a remunerative market.

(c) Delhi Milk Scheme has to use skim milk powder from time to time to make up for shortage in the availability of milk due to seasonal variations so that the distribution can be maintained at a steady level. Beside, toned and double-toned milk are made by using skim milk powder.

(d) The following steps are being taken to ensure availability of larger quantities of milk to the Delhi Milk Scheme :—

(i) Firm agreements have been made with milk suppliers for supply of specified quantities of milk depending on the season of the year. There is provision of penalty of Rs. 5 per quintal for failure of supply of the stipulated quantity of milk.

(ii) Rate of commission payable to milk suppliers has been increased with effect from January, 1967.

(iii) Area for procurement of milk is being expanded in districts Muzaffarnagar and Muradabad in U.P., Alwar and Bharatpur in Rajasthan and Gurgaon in Haryana.

(iv) Four Intensive Cattle Development Projects have been sanctioned for milk shed of the Delhi Milk Scheme in districts Meerut in U.P., Gurgaon and Karnal in Haryana and Bikaner in Rajasthan, which will step up milk production.

Area under Irrigation through canals and tube-wells

4694. Shri A.S. Saigal : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the percentage of the area under irrigation through canals and tubewells in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : The latest year for which information is available is 1964-65. The total net area irrigated during that year was 26,156 thousand hectares. The area irrigated by canals during the same period was 10,997 thousand hectares. Information on the extent of area irrigated by tube wells is not available, but the area irrigated by wells (including tubewells) during 1964-65 was 7,824 thousand hectares. Thus, the percentage of the area irrigated through canals and wells (including tube wells) during 1964-65 represented about 72 percent of the total irrigated area.

Charge against District Panchayat Officer, Bulandshahr

4695. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Legislators and Members of Parliament of Uttar Pradesh have made a number of complaints regarding misuse and embazzlement of funds against the District Panchayat Officer, Bulandshahr;

(b) whether any Departmental inquiry has been instituted against the said Officer; and

(c) if so, the outcome thereof and the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M.S. Gurupadaswamy): (a) The State Government have reported that no such complaints have been received.

(b) and (c). The State Government, hare, however intimated that enquiry into a complaint received from a Member of Parliament against the Officer's alleged partisan attitude showed that the complaint was unfounded.

खाद्य पदार्थ तथा अचार बनाने के कारखाने

4696. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थ तथा अचार बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां हैं और उनके पते क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने ने कितने मूल्य के माल की बिक्री की ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में टिनों में खाद्य पदार्थ तथा अचार बन्द करने में स्वच्छता तथा शुद्धता का अपेक्षित स्तर न रखने के कारण किन-किन कारखानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में खाद्य पदार्थ तथा आचार बनाने के कारखाने

4697. श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में खाद्य पदार्थ तथा अचार बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों में हैं तथा उनके पते क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने की बिक्री कितनी थी ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने कारखानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि विकास परियोजना के लिये पश्चिमी जर्मनी से सहायता

4698. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मण्डी तथा नीलगिरि योजनाओं के अतिरिक्त एक बड़ी कृषि विकास परियोजना के लिये पश्चिम जर्मनी की सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का नाम, स्थान तथा अन्य ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसके आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) जर्मन के संघीय गणतन्त्र ने इण्डो-जर्मन खाद्य कृषि संगठन परियोजना, अलमोड़ा, उत्तर प्रदेश को चालू करने के लिये 5,10,438 रुपया मूल्य-भाडा-बीमे की लागत के उर्वरकों को उपहार में देने की पेशकश की है ।

इस सुझाव के अन्तर्गत जर्मन के संघीय गणतन्त्र द्वारा दिया जाने वाला उर्वरक केन्द्रीय उर्वरक पूल प्राप्त करेगा और वह इसको रिजर्व बैंक में एक खाता खोल कर जमा करेगा। ये निधियां उत्तर प्रदेश एग्रो-इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन द्वारा परियोजना को दी जायेंगी। उर्वरक पूल राज्य के सामान्य कोटे के अतिरिक्त राज्य सरकार को उर्वरकों की उपरोक्त मात्रा भी देगा। ये उर्वरक परियोजना क्षेत्र में कृषकों को बेचे जाते हैं और इसकी आय आगामी वर्षों में सहाय्य संसाधन उपलब्ध करने के लिए एक परिभ्रमणशील निधि में चली जाती है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों तथा अन्य सहाय्य उपायों जैसे उन्नत बीजों, सिंचाई, उन्नत कृषि औजारों और मशीनरी, फसल उत्पादन सामग्री आदि का सुयोग्यतापूर्ण तथा पर्याप्त उपयोग द्वारा फसल उत्पादन को बढ़ाना है।

इस परियोजना का उद्घाटन 4 मार्च, 1968 को हुआ था।

Sugar Production

4699 Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to effect reduction in the prices of sugar in view of its increased production during the current year; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b) The prices of levy sugar produced in 1967-68 season were fixed on 8th December, 1967, on the basis of estimates of recovery and duration then available. These prices will be reviewed after the crushing season is over in the light of working results achieved and will be revised where necessary.

ग्रामीणों की ऋण ग्रस्तता

4700. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता का पता लगाने के लिये हाल में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी नहीं। गत सर्वेक्षण भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण 1961-62 था ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चूंकि भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है, अतः कोई सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं है ।

मनीपुर में चावल मिल

4701. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में इस समय कुल कितने चावल मिल हैं ;

(ख) क्या इन सभी चावल मिलों को चलाने के लिए बिजली तथा अन्य सुविधाऐं दी जा रही हैं ; और

(ग) कितने चावल मिलों को अभी तक बिजली नहीं दी गई है और उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत सेवक समाज (मनीपुर शाखा)

4702. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज की मनीपुर शाखा का दिवाला निकल गया है और वह अब काम नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या समाज की इस शाखा को उस बकाया राशि का कोई भुगतान करना है जो इसे कराये गये काम के लिये नियुक्त श्रमिकों को देनी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री) : श्री एस० एस० गुरुपद-स्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उर्वरकों का नियतन

4703 **श्री को० सुर्यनारायण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को सिन्दरी उर्वरक कारखाने से नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का कितना नियतन किया गया तथा वास्तव में कितनी मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई की गई ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष में अधिक मात्रा में उर्वरक नियत किये जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 543/68]**

(ख) और (ग) कृषकों द्वारा सल्फेट आफ अमोनिया के प्रति विशेष रुचि दिखाने पर राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1967 में सिन्दरी से इस उर्वरक की कुछ मात्रा के नियतन की मांग की । इस उर्वरक की तुरन्त मांग की पूर्ति के लिये 6-2-68 को सिन्दरी से राज्य सरकार को 5,000 मेट्रिक टन सल्फेट आफ अमोनिया का नियतन किया गया । कारखाने को राज्य सरकार से उर्वरक भेजने के अनुदेश प्राप्त होने पर इस मात्रा को भेजने का प्रबन्ध करने के लिये कहा गया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने पूर्व नियतन किए हुए डाइ-अमोनियम फोस्फेट और अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर 25,000 मैट्रिक टन कैलशियम अमोनियम क्लोराइड के नियतन की मांग की थी । उर्वरकों के सीमित आयात को दृष्टि में रखते हुए और डाइ-अमोनियम फोस्फेट के नियतन के स्वीकार करने के विचार से राज्य सरकार को ई० आई० डी० पैरी, एफ० ए० सी० टी० और कोरोमन्डल फर्टिलाइजर्स से अमोनियम फोस्फेट की प्राप्ति की संभावना का पता लगाने के लिये कहा गया है । फिर भी, राज्य सरकार की तुरन्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये अप्रैल-जून, 68 की अवधि के लिये अग्रिम आवंटन के रूप में 23-2-68 को रूरकेला से 20,000 मैट्रिक टन कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का नियतन किया गया ।

खान सुरक्षा उपकरण

4704. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान उपकरण सलाहकार बोर्ड ने खान सुरक्षा उपकरणों का देश में निर्माण करने के बारे में एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इस समिति ने इस विषय से सम्बन्धित मूल सूचना, अर्थात् मांगों के प्राक्कलन, उपकरण की प्राप्यता तथा उपकरण के वास्तविक और कार्य-क्षम निर्माताओं के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की । इस उप-समिति ने अपेक्षित सूचना संकलित कर ली है और यह आशा की जाती है कि यह उप-समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट मुख्यसमिति कर ली है और यह आशा की जाती है कि यह उपसमिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट मुख्यसमिति को प्रस्तुत कर देगी ।

असमर्थ हो गये खनिकों को रोजगार दिलाना

4705. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असमर्थ हो गये खनिकों तथा उनको रोजगार दिलाने की समस्या पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समिति ने नियोजकों और श्रमिकों तथा तकनीशनों के संगठनों से समिति के विभिन्न विचारार्थ विषयों पर अपने विचार भेजने की प्रार्थना की है । इस विषय से सम्बन्धित सूचना को संकलित और एकत्र करने के लिए, जिसमें विदेशों में प्रचलित पद्धतियां भी शामिल हैं, दो उप-समितियां भी नियुक्त की गई हैं । आशा है कि ये उपसमितियां शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट मुख्य समिति को प्रस्तुत कर देंगी ।

श्रव्य मीन (ग्राडिबल फिश)

4706. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के पश्चजल (समुद्र की खाड़ी) में "श्रव्य मछली" पाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन मछली का निर्यात करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ग) किन किन देशों ने इस मछली को खरीदने की पेशकश की है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुछ मछलियाँ जिन्हें प्रायः क्रोकरस, ग्रन्टर्स तथा ड्रमर्स कहा जाता है अपने शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से रगड़ कर तथा एयर-ब्लैडर आदि के कम्पन द्वारा विशेष प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करती हैं । ये मछलियाँ केवल केरल में ही नहीं अपितु चट्टानी तल के अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं ।

(ख) इन किस्मों की मछलियों को निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में ऐसी कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) यदि इस प्रकार की मछली की कुछ माँग बढ़ाई जाये तो भी यह आशा नहीं की जा सकती कि इससे कोई विशेष विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी ।

चीनी का आंशिक विनियंत्रण

4707. **श्री नंजा गोडर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह चीनी के वर्तमान आंशिक विनियन्त्रण पर पुनर्विचार करे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) गुजरात सरकार ने 15-12-1967 को अर्थात चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू होने के कुछ सप्ताहों के अन्दर-अन्दर जबकि खुले बाजार में चीनी के भाव बहुत ऊंचे थे, इस पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) राज्य सरकार को सूचित किया गया कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य गिर गये हैं और इस योजना में परिशोधन का विचार करने से पूर्व स्थिति पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तब से खुले बाजार में चीनी के मूल्य लगभग 1.50 रुपये प्रतिक्विंटल तक गिर गये हैं और गन्ना क्षेत्र में हो रही कमी को रोकने और चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने के जिस उद्देश्य से इसे लागू किया गया था उसे भी प्राप्त करने की सम्भावना है।

मैसूर में सहकारी चीनी कारखाना

4708. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में 1967 से अब तक सहकारी आधार पर चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये सरकार को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्रों को स्वीकार किया गया है; और

(ग) इनको स्वीकार करने में विलम्ब होन के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) मैसूर राज्य में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने के लिए 1967 से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

4709. **श्री श्रीकान्तन नायर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के कुल कितने खाते योजना के अन्तर्गत लाये गये;

(ख) गत तीन वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल कितने कर्मचारी थे; और

(ग) क्या उस योजना के अन्तर्गत लाये गये कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न प्रादेशिक दफ्तरों में खोले गये खातों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

1965–66	28.68 लाख
1966–67	31.33 लाख
1967–68	32.63 लाख (30-11-1967 को)

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक दफ्तरों के कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या इस प्रकार थी :—

1965–66 . .	4,032
1966-67 . .	4,185
1967–68	4,448 (30-11-1967 को)

(ग) खातों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि क्रियान्विति के लिये प्रतिष्ठानों की संख्या के आधार पर और खातों के लिये खातों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति दी जाती है।

अनाज के समाहार के लिये लाभांश

4710. श्री नरसिम्हा राव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उन राज्यों को लाभांश दिया है जिनका चावल-गेहूं के समाहार में हिस्सा था ;

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य को कितना लाभांश दिया गया है;

(ग) क्या इस राशि को कृषि के विकास के लिये खर्च करने के लिये राज्यों को कोई हिदायतें दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से पंजाब सरकार को केवल गेहूं पर प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकारों को बोनस मुख्यतः कृषकों के हितार्थ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दिया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में डाकघर बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र

4712. **श्री बेधर बेहरा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि म उड़ीसा राज्य के देहाती क्षत्रों में कितने डाकघर बचत बैंक तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कटक जिले में कितने डाकघर, तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है तथा किन-किन स्थानों में ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) डाक-तार विभाग की चौथी योजना अभी तक पूरी नहीं बनाई जा सकी। फिर भी विभागीय मानकों के पूरा होने और फण्ड के उपलब्ध होने की शर्त पर उड़ीसा राज्य के देहाती क्षेत्रों में 1966-1971 के पांच वर्षों के समय के दौरान 600 डाकघर 109 तारघर और 19 टेलीफोन एक्सचेज खोले जाने की सम्भावना है। सभी विभागीय डाकघर बचत बक का काम करने के लिए प्राधिकृत हैं। इन पांच वर्षों की अवधि के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को बचत बैंक का काम सौपने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) इसी अवधि के दौरान कटक जिले के देहाती क्षेत्रों में 102 डाकघरों 7 तारघरों और 2 टेलीफोन एक्सचेंजो के स्थापित किये जाने की सम्भावना है। इन में से 32 डाकघरों और 1 टेलीफोन एक्सचेज की पहले ही 1 अप्रैल, 1966 से व्यवस्था की जा चुकी है। ऐसे कुछ स्थान जहां विभागीय मानकों के पूरा होने और फंड प्राप्त होने पर भविष्य में डाकघर तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की सम्भावना है ये हैं:—

डाकघर :—नया बटडा, अरिलो अनन्तपुर, उलतारा, रघुनाथपुर, देलीसाही, निधिपुर, कोलीपुर, भीरांगा, बादिलो, बेगुनिया, फोखरियापदा, अनूरी, मालपारा, राधाकृष्णपुर, अमीपाल, सराना, चंडीताल, बलीतीर्थ, अम्बिका, पालिमी, बालीधरी, धारबिल, मधुपुर, गुजराजपुर, पार्वतीपुर, वीरताल, कोलर्ड, नुआगनग्राम, कांचीगांव, काकुरीकुदा, केरुआ, जाहना, अंतिया, बगोई, गलतदारी, घासीपुट, और माला अनन्तपुर।

तारघर : नियाली, अलनाहट, सुन्दरगां, गिरिया, पानी कोयली, पंकापल तथा तुलसीपुर।

टेलीफोन एक्सचेंज :—जगतसिंह पुर।

दिल्ली में मकान निर्माण सहकारी समितियां

4713. **श्री अ० चि० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी मकान निर्माण सहकारी समितियों के वर्ष 1966-67 के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी सहकारी समितियों के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण नहीं किया गया है ;

(ग) क्या हाल में दिल्ली प्रशासन के सहकारिता विभाग ने ऐसी किसी समिति अथवा समितियों के बैंक खातों को अवरुद्ध कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की कुल 284 मकान निर्माण सहकारी समितियों में से 9 समितियों के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी और 77 समितियों का निरीक्षण नहीं किया जा सका ।

(ग) और (घ) 15 फरवरी 1968 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 644 के (क) व (ख) भागों के दिए गए उत्तरों की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसकी एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 544/68]**

Ratna Sugar Mills (U.P.)

4714. **Shri Nageshwar Dwivedi** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar produced by the Ratna Sugar Mills, Shahganj (Uttar Pradesh) during the period from October, 1966 to May, 1967;

(b) the stock of sugar with the said mill as on the 22nd November, 1967;

(c) the quantity of sugar procured by Government from the said mill on the 23rd November, 1967 and the quantity thereof left with the mill for sale to the whoesalers at the open market rates;

(d) the quantity of sugar produced by the mill before May, 1967 and after that separately out of the sugar sold by the Ratna Sugar Mills to the wholesalers during the period from December, 1967 to February, 1968; and

(e) the rates at which sugar was given to the wholesalers by the said mill after December 1967 for selling it in the open market ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) 3,648 tonnes.

(b) 314 tonnes.

(c) The quantity of sugar for which orders were issued by Government on 23rd November, 1967, for procurement of sugar from the said mill, was 198 tonnes. The balance left with the mills was not released for sale to wholesalers in the open market.

(d) The quantity of sugar produced by the mill before May during 1966-67 was 3,648 tonnes and no further sugar during that season was produced by the mill thereafter. In 1967-68, the sugar produced by the mill was 6286 tonnes upto the end of February, 1968. The quantity of sugar released to the Ratna Sugar Mills for sale to whoesalers in the open market out of the production of 1967-68 from 23rd November, 1967 to 23rd February 968 was 965·1 tonnes.

(e) The sugar released to the mill for free sale was sold by it at varying rates, ranging between Rs. 360 and Rs. 485 per quintal.

गैर-सरकारी मोटरकार ड्राइवर

4715. **श्री वेवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों, औद्योगिक फर्मों तथा सरकार द्वारा रखे गये ड्राइवरों को छोड़कर मोटरकारों के मालिकों के निजी ड्राइवरों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होता है और इसके परिणामस्वरूप उनकी नौकरी और उनके वेतन की कोई सुरक्षा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) यह सही है कि मोटर कारों के मालिकों के निजी ड्राइवरों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू नहीं होता ।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम को उसमें परिभाषित "उद्योग" शब्द के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों में नियुक्त श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों पर लागू करने का विचार नहीं है ।

I.C.A.R.'S Journal 'Pashupalan'

4716. **Shri Onkar Lal Bohra** . Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a few years back, the Indian Council of Atricultural Research had brought out a quarterly Journal Pashupalan which was proving very useful to the Hindi knowing persons; and

(b) the reasons for which the publication of this journal was discontinued ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculure, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) The Estimates Committee of the Lok Sabha in its 75th Report *inter alia*, recommended that Indian Council of Agricultural Research should examine the need to reduce multiplication of outlets for scientific information by discontinuing/Combining the existing journals or readjusting their frequencies to avoid wasteful expenditure. A Committee of Secretaries appointed by the Government of India also recommended, for the same reason that amongst others, the quarterly journal 'Pashupalan' should be merged with the monthly journal 'Kheti'. On acceptance of the recommendation, the quarterly journal Pashupalan' has been discontinued from January, 1966 and ever since such matter relating to Animal Husbandry subjects as was being brought out in the 'Pashupalan' is being published in the Council Monthly Journal 'Kheti'.

Cooperative Sugar Mills

4717. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the total number of cooperative sugar mills functioning in the country, the places where they are situated and the extent to which they have succeeded in achieving the aim of cooperation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M.S. Gurupadaswamy): The total number of cooperative sugar factories functioning in the country is 55. A list of the places where they are situated is appended. [Placed in Library *see*. No. LT-545/68]. Their aim is to promote the economic interest of their grower members and, generally, the sugar cooperatives are achieving the aim satisfactorily.

जम्मू में चनाब नदी पर बांध

4717—**श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जम्मू में वर्षा ऋतु में चनाब नदी में बाढ़ आ जाने से प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी पाकिस्तान को बहकर चली जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इमारती लकड़ी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए बांध बनाने का है ,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दो जंगलों का एक सैट तैयार हो रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

18 मार्च, 1968 को दिल्ली में शान्तिपूर्ण जलूस पर लाठी चार्ज करना और अश्रु गैस छोड़ना

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Speaker, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

> "Police Lathi-charge and tear-gassing on a peaceful procession taken out by the Congress Party in Delhi on the 18th March, 1968 to protest against the demolition of Jhuggis and several arrests made in that connection."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 13 मार्च, 1968 को दिल्ली प्रशासन को सूचित किया था कि उसने सीमापुरी और नांगलोई बस्तियों के लोगों की बुरी हालत की ओर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये 18 मार्च, 1968 को एक जुलूस निकालने का निर्णय किया है । जुलूस को जामा मस्जिद थाने के मटिया महल और चितलीकबर क्षेत्रों से भी होकर गुजरना था । कांग्रेस कमेटी के लोगों से कहा गया कि वे इन क्षेत्रों से जुलूस लेकर न जायें क्योंकि ये अत्यधिक घने बसे क्षेत्र हैं किन्तु जलूस का आयोजन करने वालों ने इस बात को नहीं माना । जिला अधिकारियों ने 17 मार्च, 1968 को स्थिति पर पुनर्विचार किया और उन्होंने यह महसूस किया कि कमला मार्केट, जामा मस्जिद, हौज काजी और दरियागंज थानों के संवेदनशील

क्षेत्रों में लोगों को भारी संख्या में इकट्ठा होने की अनुमति देना ठीक नहीं होगा। तदनुसार 17 मार्च की शाम को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया जिसमें उन क्षेत्रों में प्रदर्शन करने और जलूस निकालने पर रोक लगा दी गई।

18 मार्च को प्रदर्शनकारियों का एक ट्रक पहाड़गंज से आया और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अजमेरी गेट स्थित कार्यालय के सामने आकर रुक गया। उन्हें निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 11.30 बजे 3,000 लोगों की भीड़ ने अजमेरी बाजार में घुसने की कोशिश की किन्तु उन्हें पुलिस ने रोका। भीड़ ने पुलिस पर कुछ पत्थर फेंके जिससे 8 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई। जब यह स्पष्ट हो गया कि भीड़ जबरदस्ती घुसना चाहती है और उन्हें रोकने के लिये पुलिस कर्मचारी कम हैं तो सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया। इससे भीड़ तितर-बितर हो गई।

रिपब्लिकन पार्टी के म्यूनिसिपल कौंसलर डा० जैड अब्बास मलिक ने जामा मस्जिद क्षेत्र में लगभग 400 व्यक्तियों के एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस में शामिल व्यक्ति जब पंडित श्यामलाल रोड पर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस दल के ऐसे छोटे छोटे जुलूस जामा मस्जिद थाने के क्षेत्र से निकले और जब वे बाहर खुले स्थान पर आये तो उन्हें रोक लिया गया : कुल मिलाकर 699 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उन पर जेल में ही मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 15 दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया। किन्तु इन सभी लोगों के दण्ड को उप राज्यपाल ने माफ कर दिया।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, the hon. Minister of Home Affairs has not mentioned certain fact in his statement. More than two lakhs Jhuggi Jhonpri dwellers are being uprooted from Delhi. The Delhi Administration had announced that those Jhuggi Jhonpri dwellers, who were in occopation of these Jhuggis since 1960, will not be disturbed. In case, they are uprooted they will be given alter native accommodation. Thirdly these people would be allotted plots of 80 yds. each. Fourthly, there will not be any temporary shifting and all the civic amenities would be provided in Seemapur. But all these assurances have not been fulfilled and these people have been uprooted.

Moreover, the procession was proceeding very peacefully but it was lathi charged. The hon. late Prime Minister, Shri Shastri. had assured that these people will not be uprooted unless they are allotted alternative accommodation. Will the hon Minister make an enquiry into the whole matter and assure the House that unless the Jhuggi Jhonpri dwellers are not alltotted alternative accommodation and civic amenities provided they will not be uprooted ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वस्तुत: यह एक अत्यन्त गंभीर समस्या है जिसका हल आसान नहीं है। यह समस्या केवल दिल्ली में ही नहीं ह अपितु समस्त बड़े बड़े नगरों में है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि इन लोगों की शिकायतें उचित हैं और इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। मैंने संम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर कई बार चर्चा की और इस समस्या की छानबीन करने के लिये अधिकारियों तथा दूसरे लोगों का एक अध्ययन दल नियुक्त कर दिया है। हमें अपने इस वचन का पालन करना चाहिये कि इन लोगों को तभी हटाया जाय जब उनके लिये कोई दूसरी व्यवस्था हो जाय। मेरी उन लोगों से, जिनका इस समस्या से संबध है, यह प्रार्थना हैं कि वे इस बारे में आन्दोलन का रवैया न अपनायें।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : केवल दिल्ली में ही नहीं, अपितु सारे देश में धारा 144 का उल्लंघन करना और जुलूस निकालना एक आम बात हो गई है। प्रश्न यह है कि जब जुलूस शांतिपूर्ण था और इन लोगों ने अपना इरादा पहले ही बता दिया था तो जुलूस में शामिल लोगों के साथ इतनी सख्ती क्यों बरती गई। दूसरा प्रश्न यह है कि गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों को हटाने के मामलों में अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। जमुना बाजार से झुग्गियां तो हटा दी गई हैं परन्तु पक्के मकानों को रहने दिया गया है। यह भेदभाव क्यों किया गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, इसको वस्तुतः जाँच करने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में पता लगाऊंगा कि क्या कुछ अमीर लोगों के पक्के मकानों को रहने दिया है हालाँकि वे अवैध थे। जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वे स्थिति को केवल एक पहलू से न देखें। यह एक शांतिपूर्ण जुलूस हो सकता था। परन्तु कठिन परिस्थिति में संवेदनशील क्षेत्रों में एक शांतिपूर्ण जुलूस के कारण भी गड़बड़ हो सकती है। यह तो निर्णय करने की बात थी और हमने यह निर्णय किया कि जुलूस की अनुमति देना ठीक नहीं होगा।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Keeping in view the agitations being made in Delhi in connection with the uprooting of Jhuggi Jhonpri dwellers, it is evident that this is an important question. Even the Congressmen are forced to agitate against the Master Plan framed by their Government. Twenty-five thousand Jhuggi Jhonpri dwellers of Jamuna Bazar have been uprooted and sent to Simapuri. The condition there is pitiable. Civic amenities have not been provided there at all. The woman residing in Jamuna Bazar complained that while uprooting them from there they were beaton, manhandled, abused and their belongings were thrown out. Will Govt. make an enquiry about this ? Whether a Parliamentary Committee would be formed to look upto the conditions there were anti-Jan Sangh slogans were made in the procession ? If so does it mean that the Jan Sangh people have a hand in getting these Jhuggi and Jhonpri dwellers uprooted from their places ? Will the hon. Member give a reply to each of their questions?

श्री **यशवन्त राव चव्हाण** : मैं संसद् सदस्यों की समिति की नियुक्ति से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं स्वयं इस मामले की जाँच कर सकता हूं। कुछ सदस्य वहाँ गये थे और उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिये हैं। जहां तक जनसंघ का संबंध है, दिल्ली में जनसंघ का प्रशासन है।

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker the hon. Minister has given an incomplete reply. It is not a fact that the clearance of jhuggi and jhonpri is a reserved subject and it does not come under the Jan Sangh administration.

अध्यक्ष महोदय : प्रशासन तो जन संघ का है परन्तु प्रश्न यह है कि इसके लिये जनसंघ उत्तरदायी है या नहीं ? क्या श्री रामावतार शास्त्री का यही प्रश्न था ?

Shri Ramavatar Shastri : Is the Jan Sangh administration in Delhi is also responsible for the uprooting of these jhuggi-jhonpri dwellers ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि यह संविधि की व्याख्या का प्रश्न है, तब तो यह एक अलग बात है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलन) : आप एक सीधा उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सीधा उत्तर ही दे रहा हूं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या जन संघ ने झुग्गी झोंपड़ियों के गिराने की बात का कभी विरोध किया है ?

Shri Shashi Bhushan Bajpayee (Khargone) : These Jan Sangh people have thrown out Mohammedans residing nearby Sadar Bazar in Delhi. This is all a political matter.....

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Atal Behari Vajpayee : This type of question was asked yesterday in Rajya Sabha also. If you allow me, I would like to read the reply of Minister of Home Affairs. This is quite improper that such type of allegation is being levelled against our party.

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अटल बिहारी बाजपेयी को नहीं पुकारा है। वह बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री रवि राय।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : क्या मंत्री जी को सभा को जानबूझकर गलत सूचना देने का अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य का यह विचार है कि मंत्री जी सभा को गलत सूचना दे रहे हैं, तो ऐसे मामलों में नियमों में व्यवस्था है और माननीय सदस्य उसका सहारा ले सकते हैं।

Shri Rabi Ray (Puri) : The Jhuggi-Jhonpari dwellers of Delhi who started an agitation have been lathi-charged by the Police but the anti-social elements go scot-free.

The Chief Executive Councillor Shri Vijay Kumar Malhotra in one of his statements stated that so far as the question of providing tenements for the Jhuggi-Jhonpari dwellers is concerned, it is the responsibility of the Centre. The Lt. Governor of Delhi in one of his speeches reported in the newspapers had said that the only proposal announced by him was the likely construction of 2,000 tenements for the uprooted hut-dwellers.

I want to know about the programme the Central Government have in mind for rehabilitating these dwellers.

Government have remitted the sentence of these agitators. Why the persons belonging to the opposition parties who have been sentenced in connection with agitations are acquited.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास ये सब आँकड़े नहीं हैं जिनका माननीय सदस्य ने हवाला दिया है। मुझे इस बारे में पूर्ण सूचना चाहिये। जहाँ तक इन लोगों की सजा माफ करने का प्रश्न है, आन्दोलन वापस लिये जाने के बाद उन्हें बन्द रखना अच्छा नहीं होता और नगर में तनाव बना रहता।

मैं किसी काल्पनिक मामले के बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : The Jhuggi-Jhonpari dwellers who were shifted to Seemapuri were compelled to take recourse to this agitation which was completely peaceful and was launched in a disciplined way. When the administration refuses to listen to their grievances, there is no other course open to them than to launch this peaceful agitation. The Home Minister should assure the House that they will be shifted only when alternative accommodation can be made available to them.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक वहाँ जाने तथा उस क्षेत्र का दौरा करने का प्रश्न है, मैं सदैव इसके लिये तैयार हूं। मेरे सहयोगी निर्माण, आवास तथा पूर्ति उपमंत्री वहाँ पर एकसे अधिक बार गये हैं। मुझे इस बारे में सूचनाएं भी मिलती रहती हैं।

उन्हें हटाने के बारे में मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि अन्य व्यवस्था किये जाने के बाद ही उन्हें अन्यत्र ले जाया जायेगा।

वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में उस क्षेत्र का दौरा करने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में जारी किये गये अध्यादेश

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाँक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या XII) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 21 दिसम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) कलकत्ता थिका पट्टेदारी कार्यवाहियों का रोका जाना (अस्थायी उपबन्ध) दूसरा अध्यादेश, 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या I) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 5 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) पश्चिमी बंगाल भू-गृहादि पट्टेदारी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या II) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 6 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(चार) कलकत्ता थिका पट्टेदारी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या VI) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 9 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 525/1968]।

(2) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 526/68]।

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत भारतीय मक्का (हरियाणा में भाण्ड के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनाँक 8 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 479 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 527/68।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० र० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनाँक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 8 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) चौथा संशोधन नियम, 1967 जो दिनाँक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 74 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 528/68]।

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

बावनवां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : मैं शिक्षा मंत्रालय—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 101 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 52वाँ प्रतिवेदन पेश करता हूं।

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में संकल्प और पश्चिम बंगाल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

Resolution Re: Proclamation in relation to West Bengal and West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Bill.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

"कि विधियाँ बनाने की पश्चिमी बंगाल राज्य के विधानमण्डल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री श्रीनिवास मिश्र : (कटक) : नियम 70 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों के अन्तर्गत इस विधेयक के साथ ज्ञापन का होना जरूरी है। उसके बिना इसे पेश नहीं किया जा सकता।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मंत्री महोदय को विधेयक के बारे में भाषण आरम्भ करने से पहले व्यवस्था के प्रश्न का समाधान करना चाहिये। विधेयक के साथ ज्ञापन का होना अनिवार्य है। इसलिये उसके बिना मंत्री महोदय को विधेयक को पेश करने नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक द्वारा केवल विधायिनी शक्तियों का प्रत्यायोजन ही किया जा रहा है। इसमें अन्य कोई उपबन्ध नहीं है। यदि इसके साथ ज्ञापन का लगाया जाना अनिवार्य है तो उसे लगा दिया जायेगा और बाद में इस पर चर्चा आरम्भ की जा सकती है। तब तक हम इस संकल्प पर तो चर्चा कर ही सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि राज्य सभा ने इसे पास कर दिया है। हो सकता है कि वहाँ पर किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया हो। जो भी हो यदि हम कार्यवाही चलते रहने देना चाहते हैं तो इस पर चर्चा होने दी जाये और बाद में इसके साथ ज्ञापन लगा दिया जाये।

श्री नाथ पाई : आपका सुझाव रचनात्मक होते हुए भी मुझे इसमें आपत्ति है। एक ही सप्ताह में यह दूसरा मामला है। यदि राज्य सभा में इस की ओर ध्यान नहीं गया है तो यह कोई कारण नहीं है कि इस गलती को यहाँ भी दोहराया जाये। सरकार को इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देकर हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञापन सदस्यों में 2 बजे तक परिचालित कर दिया जायेगा और तब हम इस पर चर्चा करेंगे :

श्री विद्याचरण शुक्ल : पश्चिम बंगाल राज्य में संविधान के उपबन्धों के अनुसार सरकार चलाना असंभव हो गया था इसलिये ऐसी स्थिति में कोई निणय लिया जाना जरूरी था। ज्यों ही राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हुई यह निश्चय किया गया कि हमें वहाँ की विधान सभा का विघटन करना चाहिय और मध्यावधि चुनाव का आदेश देना चाहिये। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के जारी किय जाने के तुरन्त बाद विरोधी दलों ने यह मांग की कि मध्यावधि चुनाव यथाशीघ्र कराये जायें। हम भी यही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायें। हमारी यह भी इच्छा है कि चुनाव शांति और अहिंसा के वातावरण में पूरे हों। चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था ठीक तरह से बनाए रखना सबसे पहली आवश्यकता है जिससे कि जनता को अपना मत व्यक्त करने की पूरी पूरी आजादी मिल सके। विरोधी दलों के नेताओं को हमें इस मामले में अपना पूरा पूरा सहयोग देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस संकल्प को अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : राष्ट्रपति की उदघोषणा के जारी होने से पश्चिम बंगाल में संसदीय संस्थाओं के अराजकतापूण दुरुपयोग और उल्लंघन का अन्त होता है। बंगाल की जनता के कष्टों का कारण राजनीतिज्ञों की गंभीर तथा बार-बार जानबूझ कर की हुई गलतियाँ हैं। इसमें सन्देह नहीं कि साम्यावादी अन्दरूनी कानून तथा व्यवस्था को जानबूझ कर और योजनाबद्ध ढंग से भंग करके विदेशी राष्ट्रों की सहायता से बंगाल में वियतनाम जैसी स्थिति पैदा करके बंगाल पर अपना कब्जा जमाने पर तुले हुए हैं। यह बड़े दुख की बात है कि संयुक्त मोर्च के अन्य घटक सत्ता के लालच के शिकार हो गये और उन्होंने संगठित रूप से आँतरिक शांति को भंग करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की बात मान ली। परिस्थिति की वास्तविकता के सामने श्री अजय मुकर्जी को अराजकता की यह स्थिति समाप्त करने का साहस नहीं था। म श्री अजय मुकर्जी के पत्र से एक दो उद्धरण देता हूं।

> "इन दलों की गतिविधियों तथा मान्यताओं से यह स्पष्ट है कि वे संसदीय लोकतन्त्र में आस्था नहीं रखते और उनका मुख्य उद्देश्य मंत्री पद तथा विधान सभा की सदस्यता का लाभ उठा कर अपने दलों को मजबत बनाना है।"

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं साफ साफ कहता हूं कि ऐसा कोई पत्र मौजूद नहीं है। यदि माननीय सदस्य का यह दावा है कि श्री मुकर्जी ने ऐसा पत्र लिखा था तो माननीय सदस्य को उसे प्रमाणीकृत करने तथा सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यह सारे भारत में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। श्री दाँडेकर समाचारपत्र से ही पढ़ कर सुना रहे हैं। माननीय सदस्य जब उन्हें बोलने का अवसर मिले श्री दाँडेकर के वक्तव्य का खण्डन कर सकते हैं?

श्री नारायण दांडेकर : जहाँ तक बाहरी मामलों का संबंध है श्री अजय मुकर्जी ने कहा था :

"इससे भी अधिक गड़बड़ी पैदा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वामपंथी साम्यवादी चीन समर्थक हैं। वे चीन की सहायता से खूनी क्रांति लाने के लिये जोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी में लड़के तथा लड़कियाँ चीनी भाषा में 'माओ त्से-तुंग लाल सलाम, लाल चीन लाल सलाम" के नारे लगा रहे हैं।

अन्त में उन्होंने कहा है :

"वामपन्थी साम्यवादी दल तथा उससे सम्बद्ध दल को मन्त्रिमंडल की सदस्यता के माध्यम से देश को बर्बाद करने के लिये और एक दिन का भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। इसे दृष्टि में रखते हुए मैं दुख के साथ मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिये बाध्य हो गया हूं।"

दो बहादुर व्यक्तियों ने बंगाल को इस संकट से बचाया। एक हैं राज्यपाल धर्मवीर और दूसरे श्री अजय मुकर्जी। उन्होंने इस संकट को संवैधानिक ढंग से समाप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न किये परन्तु खेद है कि संयुक्त मोर्चे ने उनके प्रयत्नों को विफल कर दिया, वहाँ पर विद्रोह की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की गई है और कांग्रेस को एक संवैधानिक सरकार चलाने में जबरदस्त बाधा डाली है सर्वश्री अतुल्य घोष और आशु घोष ने एक सिरफिरे अध्यक्ष की सहायता से इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई।

इस स्थिति में राष्ट्रपति का आदेश जारी करना पड़ा और उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। किन्तु अब क्या किया जाये ? हमें वहाँ पर सबसे पहले चुनाव कराने चाहियें। इसके लिये वहाँ पर शांति स्थापित करना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण 2 बजे जारी रखे।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re assembled after Lunch at fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*].

श्री नारायण दांडेकर : हम बंगाल के बारे में दो बातों को बहुत महत्व देते हैं। एक तो यह है कि भौगोलिक दृष्टि से बंगाल की स्थिति ऐसी है कि हम उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने की जोखिम

नहीं उठा सकते । दूसरे हमें इससे सबक लेना चाहिये कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं वाली मिली जुली सरकारें सफल सिद्ध नहीं हो सकतीं । सबसे जरूरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति सामान्य होने दी जाये ।

किसी राज्य के लिए जनसंख्या, खाद्य फसलों की कमी, औद्योगिक बेरोजगारी और पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों को बसाने की समस्याएं गम्भीर होती हैं लेकिन बंगाल में समस्यायें इतनी जटिल हैं कि उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ पर शाँति होगी और स्थिर सरकार बन जायेगी ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यदि साम्यवादी दल को सत्ता दे दी गई तो साम्यवादी लोग इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे । साम्यवादियों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाना बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है । इसलिए साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । प्रतिबन्ध लगाने पर ये लोग दूसरे दलों में अवश्य प्रवेश कर जायेंगे किन्तु उन की शक्ति इस प्रकार क्षीण करने से वे लोग इतने खतरनाक नहीं रह जायेंगे ।

बंगाल में राष्ट्रपति शासन केवल छः से आठ महीने तक ही लागू रहना चाहिये । बंगाल में स्थिति अस्तव्यस्त रही तो यह बंगाल या भारत के हित में नहीं होगा । इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिये । उस राज्य में एक शाँतिपूर्ण तथा अच्छी सरकार होनी चाहिये । काँग्रेस दल को आत्म-निरीक्षण करना चाहिये और अपनी बुराईयों को दूर करना चाहिये तभी बंगाल के लिए कुछ आशा बंध सकती है ।

Shri Madhyu Limaye (Monghyr) : I want to raise a point of order. My point of order is that 4 ordinances were issued by President about West Bengal uptill now. Under article 356 of the Constitution, the President may by Proclamation assume to himself all or any of the functions of the Government of the State and all or any of the powers vested in or exercisable by the Government or any body or authority in the State other than the Legislature of the State.

Further, under article 356(b) of the Constitution, the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament.

The Parliament have not conferred on the President the power to make laws. Therefore President is not authorised to enact laws. President has the power to promulgate ordinance only when both Houses of Parliament are not in session. Now when the Parliament is in Session, the President is not empowered to promulgate ordinance, President has the power to make laws only after the Bill has been passed. By both the Houses of Parliament and approved by the President.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे संदेह है कि माननीय सदस्य ने कार्य सूची को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है । इस मे लिखा है कि निम्नलिखित अध्यादेशों की एक प्रति, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अधीन राज्यपाल द्वारा, न कि राष्ट्रपति द्वारा, जारी किया गया है, को सभा पटल पर रखा गया है । राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई । ये सभी उद्घोषणायें राज्यपाल द्वारा जारी की गई हैं । पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी को एक उद्घोषणा जारी की गई है । माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणाएं जारी की गई हैं ।

एक अन्य सदस्य ने नियम 70 के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । यह विशेष विधेयक जो हमारे विचाराधीन है, राज्यसभा में आरम्भ हुआ था । इसलिए माननीय सदस्य का आरोप विधिमान्य नहीं है ।

एक और प्रश्न यह उठाया गया है कि प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन विधेयक के साथ संलग्न किया जाना चाहिये यदि अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान के लिए कोई उपबन्ध है तो अधीनस्थ विधान का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इस विशेष खण्ड को हटा दिया गया है । विधेयक के साथ इसी कारण उस विशेष ज्ञापन को संलग्न नहीं किया गया ।

इस के बावजूद, हम आवश्यक ज्ञापन परिचालित करने के लिए सहमत हो गये हैं और हम इसे परिचालित करेंगे । ज्ञापन की प्रतियां माननीय सदस्यों में परिचालित कर दी जायेंगी ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में सरकार के इस संकल्प का समर्थन किया जाना चाहिये । पश्चिम बंगाल ने हमारे संसदीय लोकतन्त्र के लिए भारी खतरा पैदा कर दिया है । राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले पश्चिम बंगाल में जो घटनायें हुई थीं उनमें केन्द्रीय सरकार अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रही है । नक्सलबाड़ी की घटनाओं के दौरान जब यह सिद्ध हो गया कि साम्यवादी दल के कुछ लोगों ने हमारे दो शत्रुओं के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया है तो उस समय केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये थी । इसके अलावा जब अजय मुखर्जी एक निश्चित तारीख को विधान सभा का सत्र बुलाने को राजी हो गये थे तब इस की तारीख को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिये था । इस प्रकार हमने एक सुनहरा अवसर हाथ से निकाल दिया और पश्चिम बंगाल की तथा देश की जनता के प्रति हम ने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया । मध्यावधि चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहियें ।

साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये । क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्त्तव्य है कि वह जनता के बीच काम करे और जनता के समक्ष अपनी स्थिति पेश करे । यदि इस दल पर प्रतिबन्द लगा दिया गया तो वे दूसरे दलों में प्रवेश कर जायेंगे जो कि देश के लिए खतरनाक होगा ।

Shri Bani Shankar Sharma (Banka) : The proclamation of President 's rule in Bengal was the only to take the State out of chaotic conditions. In fact it should have been done much earlier.

The United Front Government should have tendred resignation when it had lost majority support in the Assembly. But the lust of power prevented it from doing so. This had to be condemned in the strongest terms.

According to the Constitution, the President's Rule had to be ended as early as possible and a popular Government had to be set up there. For this purpose mid-term elections should be held soon... If the present atmosphere in the State was not peaceful efforts had to be made in that direction.

It was of utmost importance that the State was rid of subversive and anti-national elements which were very active at present. Arms and ammunitions were being openly sold in the market. This had to be stopped.

It was also necessary that the food problem of the State was solved. Since it was a deficit State the centre should supply foodgrains to them. The problem of unemployment had also to be tackled as the political parties exploited the young job seekers for their selfish ends.

The presence of Pro-Pakistani elements in the State was a big danger for peace and Security. They always incited people to fight with one another and created communal tension. Such elements should be completely eliminated.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो अव्यवस्था पैदा हो गई थी वह राष्ट्रपति शासन लागू करने से समाप्त हो गई है । राष्ट्रपति शासन की काफी जरूरत थी और इसे उचित समय पर लागू किया गया । पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी । संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल साम्यवादी लोगों तथा कुछ विदेशी तत्वों के बीच, जो भारत के शत्रु हैं ; कुछ सांठ-गांठ थी । इसके परिणामस्वरूप नक्सलबाड़ी की घटनायें हुई जबकि कानून और व्यवस्था की अवहेलना की गई ।

उस समय इस सभा में मैंने सरकार से कहा था कि साम्यवादी दल पर तत्काल प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये । लेकिन अब मैंने अपने विचार बदल लिये हैं । मैं समझता हूं कि इस समय साम्यवादी दल की क्रांतिकारी शक्ति समाप्त हो चुकी है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता चुनाव में कांग्रेस को ही विजय दिलवायेगी । अभी साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये । आठ महीने के अन्दर ही पश्चिमी बंगाल में जनता के फैसले का पता चल जायेगा । यदि हम लोगों के दुखों को दूर करने के लिये कुछ नये तरीके अपनाये जायें तो कांग्रेस अपने ही बूते पर सरकार बना सकेगी । मैं किसी दल के साथ मिलकर मिली-जुली सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हूं ।

पश्चिमी बंगाल के सामने सबसे पहली समस्या उन लाखों लोगों की विपदा को दूर करने की है, जो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल भागकर आते हैं । पश्चिमी बंगाल में इस समय अराजकता की स्थिति बनी हुई है । पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगों को रोजगार न मिलने के कारण वहां बेरोजगारी अधिक बढ़ गई है । वामपंथी दलों ने वहां ऐसा वातावरण बना दिया है कि सब लोग परेशान हैं । वहां पर जनता स्थिर सरकार चाहती है । आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिमी बंगाल में जनता को अनाज और रोजगार उपलब्ध हो, वहां शान्ति व्यवस्था कायम की जाये और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायें ।

पश्चिमी बंगाल में खाद्य समस्या ने जो विकट रूप धारण कर रखा है उसका कारण था केन्द्र से कम अनाज सप्लाई होना और जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों की गतिविधियां श्री अजय मुखर्जी के मुख्य मंत्री रहते समय इन असामाजिक तत्वों को दबाया नहीं गया । मैं श्री धर्मवीर को बधाई देता हूं कि वह इन लोगों से सख्ती से पेश आये । डा० पी० सी० घोष ने पश्चिमी बंगाल में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया । परन्तु इसी बीच कांग्रेस के दल में कुछ अस्थिरता आई और डा० घोष की सरकार भी समाप्त हो गई । फिर भी हम किसी की भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं । हम मध्यावधि चुनाव के लिये भी तैयार हैं । हमें ऐसा प्रयास करना चाहिये, जिससे पश्चिमी बंगाल में शान्ति व्यवस्था स्थापित हो, लोगो को रोजगार मिले, वहां उत्पादन बढ़े और विघटनकारी तथा विनाशकारी तत्व नष्ट हो जायें ।

श्री त्रिदब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू करके सरकार ने एक उपयुक्त कदम उठाया है, क्योंकि वहां दलबदलुओं की सरकार बन गई थी। संयुक्त मोर्चे की सरकार को 21 नवम्बर को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि उसे बहुमत प्राप्त नहीं है। मैं पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे वह कपटपूर्ण साठ-गांठ समाप्त हो गई है जो राज्य में दलबदलुओं का रिश्वतखोरों का शासन बनाये रखने के लिये की गई थी। साथ ही मैं श्री दांडेकर जी के इस सुझाव का विरोध करता हूं कि पश्चिमी बंगाल में तीन या चार साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहे। शायद उसका यह विचार है कि इस बीच उनका स्वतंत्र दल सत्ता में आने की स्थिति में हो जायेगा। परन्तु स्वतंत्र दल पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाने में समर्थ नहीं होगा।

पश्चिमी बंगाल में घटी घटनाओं से जिन संवैधानिक जटिलताओं का पता चला है, उनका अध्ययन किया जाना चाहिये, अन्यथा अन्य इसी प्रकार के संकट उपस्थित हो जायेंगे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि संविधान की भाषा इस प्रकार की रखी गई है कि उसकी किसी भी प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। राज्यपाल तथा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में तो इस सभा को गंभीरता से विचार करना चाहिये और निर्धारित करना चाहिये कि राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं और अध्यक्ष की क्या। राज्यपाल ने जिस ढंग से पश्चिमी बंगाल में कार्य किया है उससे राज्यपाल की शक्तियों के सम्बन्ध में भी संदेह होता है। संयुक्त मोर्चे की सरकार को 21 नवम्बर को बर्खास्त कर दिया गया जबकि मंत्रिपरिषद् 18 दिसम्बर को विधान सभा का सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण के लिये तैयार थी। इसके पश्चात् एक अल्पमत सरकार को सत्ता सौंप दी गई। इससे राज्यपाल की तानाशाही का परिचय मिलता है। यह लोकतंत्र के एक दम विपरीत था। पश्चिमी बंगाल के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अल्पमत सरकार को बर्दाश्त नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सब दल इस बात पर सहमत हैं कि पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायें। अन्त में मेरा यह सुझाव है कि श्री धर्मवीर को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल पद से हटा दिया जाये क्योंकि पिछले दो-तीन महीनों में जिस ढंग से काम किया गया है उससे स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है। निस्संदेह वह अच्छा प्रशासक है, परन्तु उसमें राजनैतिक सूझबूझ का अभाव है। पश्चिमी बंगाल का शासन अब उसके हाथ में नहीं रहना चाहिये और उसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिये जो पश्चिमी बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करे और वहां मध्यावधि चुनाव स्वस्थ वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से सम्पन्न हो जायें।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : जब से पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हुई और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब से वहां शान्ति तथा व्यवस्था कायम

[श्री हिम्मत सिंहका]

हो गई है। जो कारखाने बन्द थे उन्होंने काम करना शरू कर दिया है और अनेक बेरोज़गार लोगों को रोजगार मिल गया है। यह कहना गलत है कि पश्चिमी बंगाल में दंगे हुए। वहां पर विभिन्न बस्तियों में छुरेबाजी आदि की छुट-पुट घटनायें हुई थीं। ये घटनाएं कुछ ऐसे लोगों पर रंग फेंकने के कारण हुई, जो रंग का खेल पसन्द नही करते थे। यह सुझाव कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को वापिस बुलाया जाये, मानने योग्य नहीं है। राज्यपाल ने वहां कोई गड़बड़ नहीं की। वहां स्थिति सुधर गई है और कानून-व्यवस्था को पसन्द करने वाले सब लोग प्रसन्न हैं।

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए]
[Shri G.S. Dillon *in the Chair*]

कुछ सदस्यों ने कहा है कि अल्पमत सरकारों का समर्थन किया जाता है परन्तु यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि अल्पमत सरकारों का समर्थन करने की चाल विपक्षी दलों ने शरू की थी। अन्त में मेरा निवेदन यह है कि पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव नवम्बर में नहीं होने चाहिये क्योंकि उस समय फसल खड़ी होगी और हर स्थान पर जीप तथा अन्य गाड़ियां न पहुंच सकेंगी। मेरा सुझाव है कि मध्यावधि चुनाव फरवरी या जनवरी के अन्तिम सप्ताह में करवाये जायें। साथ ही ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये जिससे राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनी रहे और निर्वाचन शान्त वातावरण में सम्पन्न हों।

श्री कंडप्पन (मैसूर) : पश्चिमी बंगाल की वर्तमान स्थिति और वहां होने वाले मध्यावधि चुनाव के विषय पर चर्चा हो रही है। चौथे आम चुनाव में कुछ नई शक्तियों (दलों) के उभरने के बाद कांग्रेस ने जो रुख अपनाया है वह लोकतंत्रीय प्रणाली के लिये हितकर नहीं है। यदि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है और लोकतंत्र के सिद्धान्तों का सम्मान करना चाहती है, तो उसे राज्य में कठपुतली मंत्रिमंडलों का समर्थन नहीं करना चाहिये, जैसा उसने बिहार, बंगाल, पंजाब राज्यों में किया है। बहुमत का शासन तभी कायम रखा जा सकता है जबकि दलबदलुओं की सरकार को समर्थन न दिया जाये। आज कांग्रेस सत्ता की भूखी है। उसे अपने नये भाग्य के साथ समझौता करना चाहिये। उसे उन राज्यों में संकट पैदा नहीं करने चाहिये जहां ग़ैर कांग्रेसी सरकारें हैं।

मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया तो वहां के मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी थी कि विधान सभा भंग कर दी जाये। इसके विपरीत पश्चिमी बंगाल में जब अजय मकर्जी ने विधान सभा का सत्र बुलाने के लिये केवल 20 दिन का समय मांगा तो राज्यपाल ने उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की और इसके परिणामस्वरूप सरकार का पतन हो गया। क्या राज्यपाल मुख्य मंत्री को इस बात के लिये बाध्य कर सकता है कि वह अमुक समय पर विधान सभा बुलवाये। संविधान में व्यवस्था यह है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक समय नहीं बीतना चाहिये। इसे ध्यान में रखते हुए यह कहना उचित है कि राज्यपाल ने तानाशाह के रूप में कार्य किया। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी को संदेह न हो और जो वहां के सभी दलों को स्वीकार हो, वर्तमान राज्यपाल के स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिये।

लोकतंत्र के संचालन के हित में पश्चिम बंगाल में स्वस्थ वातावरण बनाया जाना आवश्यक है ।

कांग्रेस के कुछ सदस्य साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में हैं । इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि यदि सरकार के पास कुछ कागज़ात हैं या ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि वह देशद्रोही है तो निश्चय ही सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है । मैं गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि वास्तव में वे यह महसूस करते हैं कि साम्यवादी आंदोलन में कुछ गड़बड़ है तो उन्हें कम से कम हमें यह बताना चाहिये कि वे लोग ऐसे कौन से कार्य कर रहे हैं जो हमारे देश के विरुद्ध हैं । यदि यह बात ठीक है तो सरकार उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकती है । परन्तु यदि सरकार उनके दल को मान्यता देती है तो उन्हें लोकतंत्रीय दल के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : I agree that the problem will not be solved simply by banning the Marxist Communist Party. We should educate the people that we can discuss the propriety of their activities in Parliament and in other agencies with an open mind and see whether their activities are in the interest of our country or not. In this connection I may point out that it is not always documentary proof which can be rlied upon to find out-the real culprits. In my opinion all the political parties should keep the interest of the country above the level of party interest. I want to say that whatever steps are taken by the opposition parties against the Congress party, those steps should also be taken against a party that indulges in anti-national activities . I would suggest that even left Communist party should not provide cover to such persons who indulge in such activities but they are not playing this role honestly.

It is said that Congress party is forming puppet Governments. I would like to point-out that first of all opposition parties have stated this game in Haryana, U. P., Madhya Pradesh Bihar, and West Bengal. The Governments of United Front are being toppled down not because of the attempts of Congress party but because of the friction amongst themselves. Shri P. C. Ghosh is criticised for the same thing that is done by the United Front. They are observing double standards. There should be only one yard stick.

In so far as I am concerned I call a spade a spade. I agree that inspite of the activities of opposition parties congress should have not given any assistance in forming such Ministries. The Congress party should play a constructive and examplary role as an oppositin party.

I would suggest the opposition parties that instead of criticising congress now and then, it would be better if they keep the interest of the country in view. If we continue toppling down Ministries like this, the democracy will meet its tragic end. In view of this position all the political parties should put their heads together and find a way out to this problem. Today there is already sufficient hatred for the politicians amongst the people. All the political parties should come forward, admit their mistakes frankly and then make concerted efforts to save the principles of democracy.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राष्ट्रपति का शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लोकतन्त्रीय शासन का स्थान नहीं ले सकता ।

हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य की जनता को एक बार फिर अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाये। स्वतन्त्र पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चे की सरकार की काफी आलोचना

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

की है। नक्सलबाड़ी की घटनाओं तथा घेराव आदि की भी काफी निन्दा की गयी है। बात यह है कि 21 नवम्बर, 1967 को संयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल अपदस्थ हुआ और 20 फरवरी, 1968 को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हुई थी तो इस कालावधि में न संयुक्त मोर्चा सरकार थी, न घेराव थे और न नक्सलबाड़ी की घटनाएं हुई थीं। परन्तु पश्चिम बंगाल में इन तीन महीनों में सामूहिक विद्रोह होता रहा। वहाँ की जनता कृत-संकल्प थी कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल को संविधान का उल्लंघन करने की छूट नहीं देगी और अल्पसंख्यक सरकार को नहीं चलने देगी। इसी दौरान 18 व्यक्तियों की जानें गयीं और 15000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और सैकड़ों युवकों को तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ीं। इसके लिए वामपक्षी साम्यवादियों की निन्दा की जा सकती है परन्तु पश्चिम बंगाल के जनसाधारण के लिये कुछ नहीं कहा जा सकता जिन्होंने इतना बलिदान किया है। वास्तव में काँग्रेस मध्यावधि चुनावों से बचना चाहती थी और इसीलिये वह श्री पी० सी० घोष के मन्त्रिमण्डल को समर्थन दे रहे थे। परन्तु हम भी इस बात पर कटिबद्ध थे कि श्री घोष के मन्त्रिमण्डल को कार्य नहीं करने देंगे क्योंकि हम उसे अवैध मानते हैं। अन्त में जनता ने विजय प्राप्त की।

जहाँ तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का सम्बन्ध है वहाँ पर चुनाव होने तक वहाँ के शासन की बागडोर उनके हाथ में है। परन्तु वहाँ के राज्यपाल गृह-कार्य मन्त्रालय के आदेशानुसार शासक दल के हित का ध्यान रखते हैं। यदि चुनाव के पूर्व सामान्य तथा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाया जाना है तो वहाँ के राज्यपाल को वापिस बुलाना होगा। उनके पश्चिम बंगाल में रहने से वहाँ की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वह वहाँ पर बैठे दोहरी चाल चल रहे हैं। एक ओर तो उन्होंने मुकर्जी मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ किया है और दूसरी ओर वह श्री पी० सी० घोष की सरकार को अधिक से अधिक समय तक बनाये रखने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, वहाँ स्वतन्त्र पार्टी का कोई स्थान नहीं है। परन्तु इस सभा में किये गये भाषणों से पता चलता है कि उनकी विचारधारा काँग्रेस के साथ मिलती जुलती है। एक सदस्य का कहना है कि साम्यवादियों का दमन किया जाये और दूसरे का कहना है कि उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। उनका विचार यह है कि चुनाव से पूर्व साम्यवादी दल के प्रभावशाली कार्यकर्ताओं का दमन किया जाये जिससे वे मतप्राप्त करने के लिये जनता के पास न जा सकें। गृह-कार्य मन्त्रालय में साजिश चल रही है बहाना ढूंढने के लिये उत्तेजनाएं फैलाई जा रही हैं।

यदि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अमरीकी गुप्तचर विभाग के राजनीतिक नेताओं और प्रति-रक्षा अधिकारियों के सम्पर्क के बारे में गृह-कार्य मन्त्रालय को प्रस्तुत की गई पूरी रिपोर्ट स्टेट्समैन के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की जा सकती है तो गृह-कार्य मन्त्रालय में इस सम्बन्ध में की जा रही कार्य-वाही के सम्बन्ध में हमें भी कुछ जानने का अधिकार है ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

राष्ट्रपति के शासन की घोषणा के पश्चात् दुर्भाग्य से वहाँ साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे हैं। इसका हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें कुछ पाकिस्तानी एजेन्टों का हाथ है। यदि इस प्रकार की स्थिति जारी रही तो फौज की सहायता लेनी पड़ेगी।

प्रधान मन्त्री ने यह उल्लेख किया था कि कलकत्ते में गुण्डों के विरुद्ध विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का प्रयोग किया जाना विचाराधीन है । इसके अगले दिन से ही इन दंगों में अस्थायी तौर पर कमी हो गई थी । इसका श्रेय मैं श्रीमती इन्दिरा गाँधी को नहीं देता । ऐसा हो सकता है कि सेना को बुलाने पर बहुत अधिक ज़ोर दिया गया हो ।

मेरे विचार से इन दंगों का उद्देश्य राजनीतिक है और यह नवम्बर में होने वाले चुनाव की एक साज़िश है ।

मोर्चे में फूट पैदा करने और साम्यवादियों को किसी न किसी बहाने से चुनाव के समय के आस पास गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है ?

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 48 राजनीतिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । यदि लोकतन्त्रात्मक वातावरण पैदा करना है तो इन व्यक्तियों को चुनाव से पूर्व रिहा किया जाना चाहिये ।

आगे खाद्यान्नों की कमी और कठिनाई होनी है । मुझे पता लगा है कि पश्चिमी बंगाल में विभिन्न स्तरों पर खाद्य और राहत समिति का पुनर्गठन किया गया है । उन समितियों ने उन दलों के प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं किये हैं जिन्होंने उगाही, नियन्त्रण, काला बाजार और जमाखोरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के विरोध को जाहिर नहीं किया है ।

बहुत से कारखानों के मालिकों ने अपने कारखाने जानबूझ कर बन्द कर दिये हैं । इसके परिणामस्वरूप हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं और वे सरकार पर कुछ शर्तें स्वीकार करने के लिये दबाव डालना चाहते हैं । इन कारखानों को खोला जाना चाहिये ।

मन्त्रणा समिति की सदस्य संख्या बढ़ा दी जानी चाहिये ताकि इस समिति में पश्चिमी बंगाल के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो पश्चिमी बंगाल विधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जा सके ।

संसद् द्वारा पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में कोई अधिनियम पारित करने से पूर्व इस समिति की स्वीकृति ले लेनी चाहिये । अन्यथा यह नियम निरर्थक रहेगा ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): We have to see the reasons for imposing President's Rule in Bengal. Taking into consideration the situation in Bengal, no party had opposed President's Rule in West Bengal.

The Communists talk of democracy when it serves their purpose. But they were the people who believed in an ideology that was against democracy. It is surprising to hear the pleas for democracy from those who have enacted Naxalbari, encouraged gheraos, got an S.S.P. leader murdered and created chaotic conditions in West Bengal, in an effort to establish a rule based on their ideology at the cost of democracy. They are now pleading for Mr. Ajoy Mukerjee whom they used to criticise because that suited their interest. During the six months of their rule in West Bengal, the U.L.F. did nothing to improve the lot of common man. The guiding principle behind all their actions is pushing forward their ideology irrespective of the consideration of the country's security and unity. You should bring socialism in the country.

[Shri Onkar Lal Bohra]

When Russia and China are fighting each other, where is international communism ? If for a little of its nationalism China can stake its friendship with India, can the communists of India not think of their nation. If they do not apply their ideology with full faith in democracy and if they do not believe in nationalism, they can not prosper in this country. I am afraid that it may not be the final solution if a Government, which acts against national interests and integration of the country, is returned after the mid-term elections.

Whichever party may rule, it should have one slogan, 'our country is one, our nation is one'. Until and unless the communists put the country above their ideology, they cannot win the confidence of the people. The Congress has taken up its new role very pleasantly in the States where non-Congress Governments have been formed. I can claim that our leaders have firm faith in the integration and unity of the country. We will endeavour in all circumstances to uphold its integrity. I will appeal to my communist friends that if they have no faith in nationalism and democratic ways, they should not participate in the elections. Do not betray the nation and divide the country.

उपाध्यक्ष महोदय : सवेरे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी। अब ज्ञापन परिचालित कर दिया गया है। श्री शुक्ल प्रस्ताव पेश करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधियां बनाने की पश्चिम बंगाल राज्य के विधान मण्डल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Deven Sen (Asansol) : Mr. Deputy Speaker, Sir. had the Governor of West Bengal accepted the advice of Chief Minister to summon the Assembly on 18th December and had he not acted with political discrimination there would have been even no need for imposition of President's Rule in the State and the present Bill. There was going to be no harm at all if the Governor had waited for a few days more and allowed a clear picture to emerge as to who enjoyed the majority. But he deliberately precipitated a crisis which only goes to prove that a conspiracy was being hatched to topple the United Front Ministry headed by Shri Ajoy Mukerjee, the Governor is not expected to take sides.

In West Bengal Calcutta is the capital of Birla's business empire and a large amount of British capital in India is invested in West Bengal. British capital is invested in some 2.50 quarries, 300 to 350 tea plantations and in many other units. Apart from it the steel monopolists also reside in Calcutta. This is the background of the conspiracy. It can be divided in two parts, one is non-official in which Atulya Ghosh, P.C. Ghosh and Ashutosh Ghosh were the chief actors whereas on the official side Dharam Vir and the Home Minister played the leading role. These five men enacted a drama in West Bengal. There is no provision in the Constitution to support the dismissal of the Mr. Ajoy Mukerjee's Ministry. It could not be dismissed unless and until it was decided in the West Bengal Assembly that the Ajoy Ministry no more enjoyed the majority support. I will like to cite the case of Mr. Pitt who continued as Premier of England though in minority since it could not settled whether he enjoyed majority in the House of not.

The people of West Bengal cannot forget Lord Curzon and the partition as well as the arrest of 25,000 people and killing of 19 persons during the brief period of office of Ghosh Ministry. As regards the present Bill, first the President was bypassed and now there is a conspiracy to enforce dictatorial rule through this Bill bypassing the Parliament.

We are not afraid to face the poll. But the first pre-requisite for holding free and fair elections is to recall Shri Dharam Vir from there. Secondly, all the arrested persons should be released forthwith and the cases pending against them should be withdrawn. I can not support the move for a lean or communist party. I oppose the Bill.

श्री चित्तरंजन राय (जमनगर) : यद्यपि हम इस बात से प्रसन्न हैं कि पश्चिम बंगाल में भी पी० सी० घोष की सरकार समाप्त हो गई है, जिस के शासन काल में पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत सी परेशानियां और दमन-चक्र का सामना करना पड़ा, फिर भी हम इस विधेयक और संकल्प का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कांग्रेस दल द्वारा आरम्भ किया गया गन्दा खेल इनके द्वारा जारी रखा जा रहा है । उन्होंने संयुक्त मोर्चे की सरकार को इसके स्थापित होने के बाद से ही गिराने का प्रयत्न किया । इसके लिये उन्होंने हमारे देश में स्थापित की गई लोकतन्त्र की सभी परम्पराओं और सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है इन सबको ताक पर रख कर उन्होंने वहां पर दल बदलुओं की सरकार को सत्तारूढ किया । इसलिये वे इस विधेयक और इस संकल्प का समर्थन कर सकते हैं ।

हम जानते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करने का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार के कारनामों पर पर्दा डालना था । कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था । यह किसने उत्पन्न किया ? यह कृत्रिम गतिरोध कांग्रेस दल ने केन्द्रीय सरकार के सहयोग से राज्य में फिर से सत्ता हथियाने के लिये श्री धर्मवीर के माध्यम से उत्पन्न किया । कांग्रेस दल जनता में अपनी लोकप्रियता न केवल बंगाल अपितु अन्य राज्यों में भी खो बैठा है, गत आम चुनावों से यह साबित हो गया है । यदि सरकार के एकतन्त्री रवैये को और संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग को न रोका गया तो भारतीय राजतन्त्र का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the Chair*]

पंजाब में संवैधानिक घटनाओं के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

Discussion on statement made by Home Minister Re : Constitutional Deve-velopments in Punjab

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): I am raising a discussion on the statment made by the hon. Home Minister regarding Punjab on 20th March. This statement is based on the information supplied by the Gill Ministry, which is no more than a statement of the accused who does not hesitate in telling lies.

What happened in the Punjab Vidhan Sabha on 18th March? These are certain indisputable facts. It is indisputed that Policemen in plain clothes entered the House under the orders of the Chief Minister even before the arrival of the Speaker and took positions at such places where they could not be observed. When the opposition raised a point of order they moved out of the house in a line but remained in lobbies awaiting the orders of Chief Minister and D.I.G. C.I.D. Has any Chief Minister the right to call the police inside the Chamber? After all who is the master of the House, Speaker or the Chief Minister? Can Police be ordered into this House by the Prime Minister.

The false pride in saying that as compared to our neighbours we have kept the flame of democracy burning in our country during the last 20 years. But whatever happened in Punjab Vidhan Sabha on 18th March, 1968 is unprecedented in the functioning of democracy in our country for the last 2) years. It is a blot on democracy in India and a warning bell for the future of democracy in the country.

Much before the scheduled sitting of the Assembly on 18th operation Gill" was launched on 16th 17th March four M.L.As were arrested and warrants of arrests against many other M.L.As were issued. Some of them sought the protection of the speaker, who took them in his own car to the Assembly building. The police stopped the car of the Speaker, who was himself at the stairring, and tried to drag these M.L.As out of the car of the Speaker.

A meeting was held in the Assembly building at 1·00 p.m. wherein it was decided that dicipline and decorum will be maintained in the House and that the ruling of the Speaker will be binding on all and final.

Could the Speaker declare as void the ordinance issued by the Governor ? We have to examine this point in the light of rules of procedure and conduct of business of Punjab Vidhan and it also becomes necessary to see if the ordinance issued by the Governor was in accordance with the constitution and the rules. Constitution gives the authority to the Governor to issue an ordinance provided both the Houses are not in session. The claim of the members of the oppostion in Punjab that the order of the Governor proroguing the Assembly takes effect from 18th March, 1968 and not 14th March is correct. According to Rule 7 the Rules of Procedure for conduct of Business in Punjab Assembly the Secretary has to inform the Member about the proragation through a notification in the Gazette. Signing of the prorogation by the Governor is not enough. That order has got to be communicated to the members, who got the intimation only on 18th. When the Assembly was in session the Governor could not promulgate an ordinance on this ground the validity of the ordidance was challenged in the Assembly. If we see rule 112(1) of the Rules of Procedure of the Assembly, a point of order can be raised about the ordinance if it related to the procedure for conduct of business in the House.

The Speaker gave his ruling that the prorogation took effect from 18th March and the Ordinance dated 14th March was not binding on the House or the Members, thereafter, the Speaker left, the ruling of the Speaker could be challenged as it was final. Whatever took place there after that is a matter of shame for the Indian democracy. A shameless drama was enacted in the Assembly. Many Members transgressed the limits of their rights. Mr. Speaker, Sir, it cannot be disputed that the employees of Punjab Legislative Assembly were forcibly brought into the Chamber. Similarly it can also not be disputed that the Secretary to the Assembly was dragged by the Chief Minister himself to the Houses from the Speaker's chamber. A ladder was brought to force entry of the police inside the House. Now it is claimed that it is brought for removing the portrait of Mahatma Gandhi. Some 200 policemen, goondas in plain clothes force their entry into the House and manhandled the members of the opposition. The democracy was butchered, rules were thrown to the walls and within 15 minutes the budget was passed with the use of police force. The Budget passd on that day cannot be treated as a legally passed budget.

The budget has been authenticated by the Deputy Speaker. He is the same person who stood in support of the no-confidence motion against the Speaker on being asked to do so by the Chief Minister. Article 199(4) of the constitution is very clear on this point. The power to authenticate a money bill is rested exclusively in the Speaker. The Deputy Speaker can not certify a money bill. The Home Minister should feel us whether the Punjab Legislative Council considered the Appropriation Bill as money-bill or as an ordinary bill. If they considered it a a money bill then the proceedigs are not in order and their decision can be challenged in a court of law.

Similar situation may arise here in this House also. Therefore, I demand that the Attorney General should be called to the House to clarify whether the Deputy Speaker can authenticat ea money bill.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैंने यह कभी नहीं कहा कि उपाध्यक्ष को अधिकार है। मैंने तो यही कहा था कि यह मामला मुझे स्पष्ट नहीं है।

Shri A. B. Vajpayee : Such a situation might arise elsewhere also. It is, therefore essential to settle this question once for all. The plea that the question of legality of the budget can be settled in a court of law if the opposition Members in Punjab are not satisfied, is not

proper. The Home Minister should think of the consequences that bill follow if it is decided by the court after 31st March that the budget was not legally passed. There will be a serious financial crisis.

It is a question of constitutional propriety, morality and law. Should the Chief Minister, who called the police inside the Assembly Chamber, be allowed to continue ? Do not the morality, constitution and democracy demand that the Chief Minister should be dismissed ? There may be two opinions about the propriety or impropriety of the conduct of the Speaker but he has acted within the four corners of the Constitutions. But whatever happened thereafter was against the Constituion and all democratic and rural principles. The policy of Congress leaders at the centre to support minority governments in States is a serious threat to our democratic structure. It should be the endeavour of all of us to try to defend democracy. The only way left to save democracy in Punjab is dissolution of the Assembly and imposition of President's rule. It should be followed by mid-term poll.

श्री आ० ना० मुल्ला : (लखनऊ) : पंजाब की घटनाएं एक राजनीतिक संघर्ष नहीं अपितु एक आपराधिक घटना है। मैं आज न्यायाधीश नहीं हूं। परन्तु मैं यह सोच रहा था कि यदि मैं पंजाब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता, तो क्या मैं इस सारे मामले में स्वत: विधान सभा में सभी घटनाओं की जाँच करने का निर्देश दे सकता था। हमें किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रिक के रूप में विचार करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यदि ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया, तो क्या हमारे लोकतन्त्र का अन्त नहीं हो जायेगा। ये घटनाएं संगठित हिंसा की पराकाष्ठा की और लोकतन्त्रीय मर्यादा और प्रक्रिया को पालन करने की अधोतम सीमा थीं। मेरी तो यही राय है कि इस समस्या को सबके संयुक्त प्रयास से ही हल किया जा सकता है।

गिल मन्त्रिमण्डल के दामन पर इतने अधिक दाग हैं कि पवित्र गंगा का सारा जल भी उन्हें नहीं धो सकता है। काँग्रेस सरकार यह कहकर कि दूसरा दल इसके लिये उत्तरदायी है और हम इस हिंसा की निन्दा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। बिना किसी बड़े दल के समर्थन के 17 आदमियों का दल ऐसी हिंसा नहीं कर सकता था।

मैं पहले ही अपनी राय बता चुका हूं कि पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष ने विधान सभा को दो महीनों के लिये स्थगित करके अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। मेरी यह भी राय है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वैध था और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल शपथ लेता है कि वह संविधान की रक्षा करेगा। इसलिये यदि कोई संविधान का उल्लंघन करता है, तो संविधान के मूल सिद्धान्तों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करना राज्यपाल का कर्त्तव्य हो जाता है। संविधान का उल्लंघन इतना गम्भीर अपराध माना जाता है कि इसके परिणामों से राष्ट्रपति भी नहीं बच सकता है। संसद सदस्य उन पर भी महाभियोग चला सकते हैं। मुख्य मन्त्री राष्ट्रपति से ऊपर नहीं हो सकता है। मुख्य मंत्री पर महाभियोग चलाने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत मुख्य मन्त्री राज्यपाल की इच्छा रहने तक अपने पद पर काम करेगा इसलिये राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह मुख्य मंत्री द्वारा संविधान का उलंघन किये जाने पर उसे दण्ड दे। जब एक मुख्य मन्त्री सभाकक्ष में बड़ी संख्या में पुलिस को बुला लेता हैं और बाहर गुंडों को तैनात कर देता है, तो इससे अधिक प्रत्यक्ष मामला और क्या होगा।

ऐसी स्थिति में यह राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह मुख्य मंत्री को संविधान के रक्षक के रूप में स्वीकार करे या नहीं या विधान सभा को भंग करे और मुख्य मंत्री की बर्खास्तगी की सिफारिश करे ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : मैं बताना चाहती हूं कि पंजाब के संवधानिक संकट ने हमारे समक्ष बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित कर दिये है । पहला प्रश्न अध्यक्ष के बारे में है । क्या कोई अध्यक्ष जो लोकतन्त्र का पालन करने की शपथ लेता है जो सभा की मर्यादा और अधिकारों का रक्षक होता है और जिसका परम कर्तव्य सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना होता है, सभा को ऐसे समय पर स्थगित कर सकता है जब इसे बजट को पास करना है और सरकार को अपना कार्य चलाना है ? मेरी यह प्रार्थना है कि इन मामलों पर विचार करने के लिये अध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलाया जाये ।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या जिस अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है वह बदला लेने के लिये क्रोध और ईर्ष्या के आवेश में सभा को इतनी लम्बी अवधि के लिये स्थगित कर सकता है या नहीं । जो व्यक्ति सभा के कार्य-संचालन का जिम्मेदार है क्या वह एक तानाशाह की तरह सभी शक्तियां स्वयं ग्रहण करके विधान सभा के कार्य को ठप्प कर सकता है और प्रशासन की समस्त शक्तियां ग्रहण कर सकता है ? क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया जाना चाहिये ?

प्रश्न तो यह है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाय तो इसका मतलब यह होता है कि लोगो की जड़ें अपने आप ही समाप्त हो गई ? हम लोग देश की जनता के प्रतिनिधि हैं । क्या हमें अपनी शक्तियां ऐसे अध्यक्षो के लिए त्याग देनी चाहियें जो जनता के प्रतिनिधियों के कार्यों में बाधा डालते हैं और सभा की शक्तियों को कम करके सभी शक्तियां स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उपाध्यक्ष को विधान सभा का कार्य-संचालन करने का अधिकार नहीं है और वह भी ऐसे समय में जब अध्यक्ष का पद रिक्त घोषित नहीं किया गया है और जब अध्यक्ष अपने पद पर कार्य कर रहा है उस समय क्या उपाध्यक्ष को बजट पास करने की शक्ति ग्रहण करने का अधिकार नहीं है ? यह एक कानूनी प्रश्न है जिस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

फिर प्रश्न यह आता है कि क्या किसी मुख्य मंत्री को सदन के परिसर में पुलिस बुलाने का अधिकार है ? यदि मुख्य मंत्री ने ऐसा किया है तो यह गलत है और पुलिस को किसी भी हालत में सभा में नहीं आने देना चाहिये था । किन्तु मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि उन्होने पुलिस नहीं बुलाई और उन्ह पुलिस बुलाने का कोई अधिकार नहीं है और पुलिस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा ही बुलाई गई थी और उन्हें ही इसका अधिकार है ।

मुझे इस बात की खुशी है कि श्री बलराज मधोक ने मुझे इस बात की याद दिलाई है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में एक संकट पदा हो गया हैं और हमारा जो कि विधान मण्डलो के सदस्य

है और जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है और जिन्होंने संविधान में निष्ठा की शपथ ली है अपनी बातों में विश्वास नहीं रह गया है। इसका कारण विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा अपने अपने दलों को छोड़ कर अन्य दलों में जाना है ।

जब विभिन्न राज्य अपनी अपनी सरकारों का स्वरूप बदल रहे हैं जब एक के बाद एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है तो कांग्रस दल के वे ऊंचे आदर्श कहां गये जिनका पालन करने को वह दल हमसे आशा करता है। इस दल को पहले स्वयं उन आदर्शों पर चलना चाहिये। इस दल को अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिये और जो शक्तियां देश में लोकतन्त्र और स्थायी सरकारें कायम रखना चाहती हैं उनके साथ सहयोग करना चाहिये ताकि हम अपने देश में स्वस्थ लोकतन्त्री परम्परायें स्थापित कर सकें। मेरी कांग्रेस से प्रार्थना है कि वह विरोधी दलों के बहकावे में न आये क्योंकि विरोधी दल एक के बाद एक लोकतन्त्र का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं और संसदीय लोकतन्त्र से सम्बन्धित पदों के कार्यों के महत्व को कम कर रहे हैं ।

इन परिस्थितियों में मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से अपील करूंगा कि वे कांग्रेस के हाथों को मजबूत करें। कांग्रेस को अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिये और देश में लोकतन्त्र की समर्थक शक्तियों के सहयोग से काम करना चाहिये ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : जिस समय मैंने यह कहा था कि श्री चव्हाण भारत में लोकतन्त्र के हत्यारे बन रहे हैं तो कुछ सदस्यों ने मेरे इस कथन पर सन्देह व्यक्त किया था। पंजाब की घटनाओं को ध्यान में रख कर अब उन सदस्यों ने अपने विचार अवश्य बदल दिये होंगे ।

गृह मंत्री ने अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। लेकिन पंजाब के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया। पंजाब में स्थिति यह है कि सरदार गिल को वहां पर मुख्य मंत्री बनाया गया किन्तु उनके केवल 17 समर्थक थे और वे सभी मंत्री बन गये । क्या इससे गृह मंत्री की शिष्टता की भावना को ठेस नहीं पहुंची। जब कांग्रस दल ही एक सब से बड़ा दल था तो वे कांग्रेसी लोगों से उनके साथ मिलने के लिये कह सकते थे। जैसा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कोशिश की थी। यह कम अशिष्टता होती

पंजाब में मंत्रियों और उनके समर्थकों का अध्यक्ष के प्रति व्यवहार शिष्टतापूर्ण नहीं था। अध्यक्ष के प्रति ऐसा अभद्र व्यवहार करके और ऐसा लोकतन्त्र विरोधी तरीका अपनाकर वे लोकतन्त्र के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करने में असफल रहे हैं। यदि हम भी इस प्रकार का व्यवहार करने लग जायें तो यह कितनी बड़ी अशिष्टता होगी।

हमारा विचार था कि लोकतंत्र का उल्लंघन केवल साम्यवादी ही करते हैं। हम बंगाल के साम्यवादी नेताओं से नाराज हुए और गृह मंत्री की इसलिये आलोचना की कि उन्होंने समय पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की। किन्तु क्या पंजाब के कांग्रेसी लोग और यहां पर उनके समर्थक पश्चिम बंगाल के उन साम्यवादियों से किसी भी तरह अच्छे हैं ?

जो कुछ भी घटित हुआ है उससे हमारी सबकी गर्दन शर्म से झुक गई है। लोकतन्त्री देश में ऐसा होना वस्तुतः अत्यन्त शर्म की बात है। सब से अधिक दोषी व्यक्ति गृह मंत्री है क्योंकि उचित स्तर निर्धारित करना उनका काम है। उन्होंने आसाम में मंत्रालय को बर्खास्त नहीं किया जिसने एक पूरे दिन तक काम नहीं किया।

पंजाब में जो हुआ उसके बारे में कई सदस्यों ने बताया है। और किसी वजह से नहीं तो कम से कम उन घटनाओं को रोकने में उनकी असफलता के कारण तो मंत्रिमंडल को अवश्य ही बर्खास्त कर देना चाहिये था और जिन पुलिस अधिकारियों का उन दंगों से कोई सम्बन्ध था उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ढंग से उन्होंने बजट पास किया क्या वह संवैधानिक है? यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में भी अवश्य उठाया जायेगा। अब हमें इस समस्या को हल करने के लिये मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना चाहिये। राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिये और बजट को सभा में शिष्टतापूर्ण ढंग से पास करना चाहिये। फिर भी जब तक वामपंथी और दक्षिण पंथी साम्यवादी पंजाब में शरारतें करते रहेंगे तब तक वहां पर लोकतन्त्रीय शासन नहीं चल सकेगा। गृह मंत्री को यह कहने का नैतिक साहस कभी भी नहीं होगा कि वे लोकतन्त्र को समाप्त करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री जो० भा० कृपालानी (गुना) : पंजाब की जैसी स्थिति पहले पश्चिम बंगाल में भी उत्पन्न हुई थी। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय क्यों किया? केन्द्रीय सरकार का पहिला कर्त्तव्य यह था कि वह यह निर्णय करे कि अध्यक्ष के अधिकार क्या हैं और क्या अध्यक्ष विधान सभा के अधीन कर्मचारी है या सभा का स्वामी है। किन्तु सरकार ऐसा निर्णय नहीं करती है और उसने पंजाब की यह हालत कर दी है।

कांग्रेस ने बंगाल में कुछ महीने तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली और तब तक स्थिति बिगड़ गई। कांग्रेस वहां पर उस मंत्रिमंडल को अपना सहयोग दे सकती थी जो उसी के समर्थन से बना था। बिहार में संयुक्त मोर्चा छोड़ कर दल बदलने वाले सभी व्यक्तियों को मंत्री बना दिया गया था। क्या यह लोकतन्त्र है? क्या यह संविधान का पालन हो रहा है?

समय बहुत बदल गया है। कांग्रेस का यह सोचना कि वह अकेले ही राष्ट्र को नियंत्रण में रख सकती है, गलत है। जब तक कांग्रेस यह समझती रहेगी कि वह सब कुछ कर सकती है और उसे दूसरे दलों से मिलने की आवश्यकता नहीं है तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अन्य दलों को भी यह अनुभव करना चाहिये कि कांग्रेस की स्थिति चाहे कुछ भी हो और चाहे वह कितनी ही अलोकप्रिय क्यों न हो वह बहुत से राज्यों में सब से बड़ा दल है। विरोधी दलों को यह समझ लेना चाहिये कि उनका काम कांग्रेस के बिना नहीं चल सकता और कांग्रेस को भी यह महसूस करना चाहिये कि उसका काम भी समान विचार वाले विरोधी-दलो के बिना नहीं चल सकता। इस लिये सभी को मिल कर इस देश में कुशल प्रशासन कायम करना चाहिये। जनता यही चाहती है।

इतने अधिक मिल और कारखानों की स्थापना और नदी घाटी योजनायें मत तैयार कीजिये । उनको एक ईमानदार और कुशल सरकार चाहती है ।

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : श्रीमन् पंजाब की राजनैतिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है जब कि देश के अन्य भागों में हुई घटनाओं की तुलना में वहां पर कोई असाधारण बात नहीं हुई है । मैं जस्टिस मुल्ला का बहुत सम्मान करता हूं ।

इस पूरे प्रश्न पर दो महत्वपूर्ण पहलुओं से विचार किया जा सकता है । पहला तो यह कि यह गड़बड़ी किस कारण से हुई और बाद में जब इस स्थिति अथवा संवैधानिक प्रश्न पर विधान सभा में विभिन्न सदस्यों ने अपने ही तरीके से वाद-विवाद किया तो अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनिर्णय तथा मौके पर विद्यमान शासी और अन्य अधिकारियों का आचरण क्या होना चाहिये था ।

गड़बड़ी तब शुरू हुई जब अचानक एक कांग्रेसी सदस्य ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया । प्रस्तावक का यह बड़ा अदूरदर्शितापूर्ण कार्य था क्योंकि सभा में कई बातें होती हैं और यदि किसी मामूली सी बात को लेकर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो अध्यक्ष की बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है । किन्तु अध्यक्ष को भी उत्तेजित नहीं होना चाहिये था । 102 सदस्यों में से 56 सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध खड़े हुए और अध्यक्ष ने उत्तेजना में आकर सदन को स्थगित कर दिया ।

इसके बाद स्थिति यह थी कि सभा की कार्यवाही को कैसे चलाया जाय जब कि बजट सदन के विचाराधीन था । मैं गिल सरकार और कांग्रेस के गठजोड़ का समर्थन नहीं करता हूं परन्तु एक बात अवश्य है कि चाहे यह गठजोड़ उचित था अथवा अनुचित, बहुमत सरकार के साथ था और अध्यक्ष सदन को स्थगित करके सदन की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते थे । अध्यक्ष के विरुद्ध विचार प्रकट किया गया था किन्तु सदन के स्थगन के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी ।

यदि अध्यक्ष की यह धारणा होती कि सदन का स्थगन असंवैधानिक है और राज्यपाल का अध्यादेश गैर कानूनी है तो वह कार्यसूची को छोड़ कर और कोई रुख अपना सकते थे किन्तु सदन की कार्यवाही सामान्य ढंग से शुरू हो गई थी । सब से पहले उस व्यक्ति के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा गया जिसने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा अध्यक्ष ने अपनी तरफ से दो बातें और जोड़ कर वह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को सौंपा । फिर अध्यादेश को अस्वीकार करने का नियमित प्रस्ताव पेश किया गया । कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने वाले सभी विषय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सम्मिलित होते हैं और उनकी मुहर लगती है । यदि अध्यक्ष का ऐसा विचार होता कि अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता तो इस समस्त प्रक्रिया का पालन न किया गया होता ।

यह सामान्य प्रक्रिया है कि सदस्यों, सभा तथा सभा-भवन की सुरक्षा 'वाच एण्ड वार्ड' लोगों की जिम्मेदारी है । सशस्त्र सारजेन्ट का एक काम यह है कि वह सभा भवन के अन्दर कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार है । जब मैं इस सभा में आ रहा था तो मुझे बताया गया

कि सशस्त्र सारजेन्ट को आदेशानुसार बुलाया गया था । अध्यक्ष के चले जाने के बाद तथा उपाध्यक्ष के आने से पहले यह घटना हुई । इस बात की कानूनी जांच की जानी चाहिये कि क्या अजनबी या 'वाच एण्ड वार्ड' कर्मचारियों या काम पर सिपाहियों को वहां जाने की अनुमति किसी अधिकारी ने दी थी । इस का सत्यापन अभिलेखों से किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष के बारे में संविधान में उपबन्ध है कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सभापति तालिका में उलिखित व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है । उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए 'वाच एण्ड वार्ड' के कर्मचारियों को सदन खाली कराने का आदेश दिया । इस सम्बन्ध में जांच कराई जानी चाहिये कि क्या वास्तव में ऐसा कोई आदेश दिया गया था । किन्तु प्रश्न यह है कि जब अध्यक्ष ने कार्य करने से इन्कार कर दिया था तो और उपाय ही क्या रह गया था । इस प्रश्न पर इस सभा में बिना किसी दलीय पक्षपात के विचार किया जाना चाहिये । लोक-सभा के अध्यक्ष को इस दिशा में कदम उठाने चाहिये ।

श्री विश्वनाथन (वांडीवाश) : हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र संक्रमण काल से गुजर रहा है । संवैधानिक सकट राजनीतिक संकट और अस्थिरता का ही परिणाम है । जब केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को चुनौती दी जाती है तो वह किसी भी दल में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति या अल्पमत वाली सरकार का समर्थन करने लगता है ।

पंजाब विधान सभा में जिस ढंग से इतिहास में पहली बार साधारण कपड़े पहने हुए पुलिस वालों और कुठ गुडों को बुलाया गया उस की निन्दा की जानी चाहिये । नगरपालिकाओं और पंचायतों में भी पुलिस को नहीं आने दिया जाता है ।

पंजाब में विधान सभा के अध्यक्ष का पद खाली नहीं हुआ है । अतः जब अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया था तो उपाध्यक्ष विधान सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे । विधान सभा स्थगित कर दी जाने के बाद की गई सारी कार्यवाही असंवैधानिक है में यदि अध्यक्ष की कार्यवाही अनुचित है तो उपाध्यक्ष की कार्यवाही अवैध है । संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि उपाध्यक्ष किसी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है । अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के बिना धन विधेयक दूसरे सदन में नहीं ले जाया जा सकता है । अतः विधान परिषद् ने पंजाब में जो बजट पास किया है वह असंवैधानिक है ।

हमें इस समय अध्यक्ष की तटस्थता पर विचार करना चाहिये । हमें अध्यक्ष को निर्विरोध चुनने की ब्रिटिश प्रणाली पर विचार करना चाहिये । लोक सभा के अध्यक्ष को अध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये और उस में अध्यक्षों के सामने उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिये और कोई सर्वसम्मत हल निकाला जाना चाहिये ।

राज्यपालों की शक्तियां भी स्पष्ट नहीं की गई हैं । यह मामला उच्चतम न्यायालय या विधिवेत्ताओं की किसी समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

पंजाब में हुई इन घटनाओं के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी हो गया है । हम समझते हैं कि इस से पंजाब के लोग निर्वाचित सरकार से वंचित हो जायेंगे । लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है ।

मैं मंत्री महोदय से आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल दल बदलने की प्रवृति को बढ़ावा नहीं देगा और दलबदलू भी प्रोत्साहित नहीं किये जायेंगे ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The recent happenings in the Punjab Vidhan Sabha were a serious set-back to Parliamentary democracy in our country. It was really regrettable that the Home Minister had not condemned those happenings. Since the Punjab Chief Minister enjoyed the support of the Home Minister, the Central Government could not escape its responsibility in the matter.

The opposition MLA's were being harassed in Punjab. Warrants of arrests had been issued against 37 MLA's. Why did not the Home Minister intervene ?

Under the Constitution the Speaker had the exclusive right to certify a Money Bill. The Deputy Speaker had no such right.

The Gill Ministry should be dismissed. President's Rule should be imposed in Punjab. The Central Government had imposed President's Rule in a number of States why should they feel hesitant to do so in Punjab. After President Rule is imposed, elections should be held in Punjab. The Congress had lost the support of the people in Punjab. It could not survive by supporting the Gill Ministry.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : There are no two opinions about the fact that we all are distressed over the happenings in Punjab. But it is improper to balance the Congress for that. The Congress Party is not responsible for these incidents. The happenings there are a challenge to all of us.

The Speaker is the Custodian of the rights and privileges of the House. He Protects these rights and upholds the Constitution. It the Speaker tried to transgress his rights and destroyed democracy, then it is really a great threat to our parliamentary system.

All of us should put our heads together to consider the steps which should be taken to remove the lacunae in the provisions governing the working of our legislatures. We should ensure smooth functioning of our legislatures.

All the political parties should set their houses in order with a view to save democracy in the country. It is no use criticising one another on petty and narrow considerations.

It was not proper to have brought a motion of no-confidence against the Speaker. But if the member had committed a mistake by bringing that motion, the Speaker had committed a greater mistake by adjourning the House to evade that motion. The attempt of the Speaker to gag the Assembly was against the principles of parliamentary democracy.

We should consider this issue rising above party considerations . We should look upon the problems as a challenge to parliamentary democracy and try to remove the lacunae wherever those were found.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The developments in Punjab raised a number of constitutional and legal questions. Under Rule 7 of the Rules of Procedure of the Punjab Assembly, the Secretary had to inform the Members about the prorogation by issuing a notification. The relevant provisions of the Punjab General Clauses Act were also attracted in this matter. If it is conceded that the prorogation became effective from 18th March, 1968 then the question is whether the summoning of the assembly was constitutional or unconstitutional ?. It has also to be considered as to whether the promulgation of ordinance by the Governor was against Article 2 13 or not?

Another question that arose was whether proceedings of the Assembly were conducted in accordance with the ordinance. The ordinance of the Governor did not make the rules of the Assembly governing the passage of the Budget in operative. According to the rules, the General Discussion and discussion on the Demands and Appropriation Bill had to take place separately.

Under Article 199(4), the speaker had to certify a Money Bill. That power could not be exercised by the Deputy speaker when speech is holding the office. The Attorney General should be called to the House to give his opinion on the question as to whether the Deputy speaker could certify a Money Bill in the prssence of Speaker. It would be better if President's Rule is imposed in Punjab and the Assembly is kept in animated suspension. The opinion of the Supreme Court should then be sought under Article 143 on constitutional issues involved in the developments in Punjab. Further action should then be taken in the light of the Supreme Court's opinion.

We should give a fresh thought to the powers of the President, Vice-President, the Speaker and the Governor in order to save democracy in our country.

The authority of the Speaker in our country was wider than that of any other speaker in the world. We should consider this matter seriously. We should accept the principle that the speaker should appear to be impartial. All the speakers should resign membership of their parties after being elected to that office. The rights of the House, which were at present being exercised by the speaker, should be restored to the House.

Office of the Governor should not be utilised by the Central Government for furthering their own interests. In order to strengthen democracy, we should lay down healthy conventions for the President, the Speaker and the Governor. It is essential to do so in the long-term interests of the functioning of democracy in our country.

All the speakers should relinquish membership of their parties after being elected to the office of Speaker. The powers and rights of House which are at present being exercised by the speaker should be given back to the House.

So far as the office of Governor is concerned, it should not be utilised by the Central Govt. for furthering their interests. In order to strengthen democracy, we should lay down healthy conventions for the President, the Speaker and the Governor. It is essential to do so in the long-term interests of the functioning of democracy in our country.

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर) : आज हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वह सब कांग्रेस दल के कार्यों का परिणाम है । कांग्रेस ने अपने पिछले अनुभवों से कोई सबक नहीं सीखा है । उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये हमेशा नियमों को तोड़ा मरोड़ा है और संविधान का मनमाने ढंग से अर्थ लगाया है । शासक दल के निरन्तर शोरगुल के कारण ही पंजाब में ये सब घटनाएं हुई । अध्यक्ष ने आधे घंटे के लिये सभा को स्थगित किया और वह अपने चैम्बर में चले गये । इसी दौरान षड्यंत्र रचा जा रहा था । दल बदलुओं के नेता श्री लक्ष्मण सिंह गिल कांग्रेस दल के नेता के पास गये और उनसे विधान सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का आग्रह किया । कांग्रेस दल के नेता ने उनका यह आग्रह स्वीकार नहीं किया । फिर वह श्री मोहन लाल के पास गये और उन्होंने भी उनकी बात को नहीं माना । संविधान विशेषज्ञ श्री वृषभान भी इस बात को मानने से इन्कार कर गये । अकस्मात् श्री प्रबोध चन्द्र जो कभी भी अपने नेताओं के प्रति वफादार नहीं रहे, श्री गिल की बात को मान गये । फिर एक सदस्य कैप्टेन रणजीत सिंह ने आगे आकर कहा कि वह इस प्रस्ताव को पेश करेंगे । इस प्रकार एक या दो गैर जिम्मेदार सदस्य अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को सहमत हुए ।

जब आधे घंटे बाद सभा पुनः समवेत हुई तो बड़ा शोरगुल हुआ और कार्यवाही चलाना असंभव हो गया । इसलिये अध्यक्ष ने सभा को स्थगित कर दिया । उसके बाद जो घटनाएं घटीं उनसे हम सभी परिचित हैं ।

सभा की बैठक होने से पहले ही पंजाब में कानून वा शासन समाप्त हो गया था । 22 सदस्यों के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये । कुछ सदस्यों को विधान सभा भवन में नहीं आने दिया गया । पुलिस वालों ने जीप खड़ी करके रास्ता रोक दिया था । फिर अध्यक्ष उन सदस्यों को अपने संरक्षण में विधान सभा भवन में ले जाने के लिये सहमत हुए लेकिन अध्यक्ष की कार भी रोक ली गई थी हालांकि उस पर झंडा लगा हुआ था और उस पर "स्पीकर" शब्द लिखा हुआ था । उस समय अध्यक्ष महोदय स्वयं कार चला रहे थे । जिस सिपाही ने कार को रोका था उसको भी बता दिया गया था कि वह अध्यक्ष की कार है । परन्तु उसने कुछ सुनने से इंकार कर दिया । उसने अध्यक्ष की कार का दरवाजा खोला और सदस्यों को बाहर खींचने की कोशिश की । तब अध्यक्ष ने कार की गति तेज कर ली । इस तरह सदस्य इमारत के अन्दर पहुंचे । तभी विपक्षी दल के एक सदस्य ने सूचना दी कि सभा में कुछ अजनबी बैठे हैं और उन्होंने यह बात अध्यक्ष को बताई । वे लोग पंजाब पुलिस के थे । अध्यक्ष ने उन्ह सभा से चले जाने के लिये कहा । जब वे सभा से चले गये तो वे इमारत से बाहर नहीं गये । वे लाबी में चले गये और सोफों पर फैल गये ।

तत्पश्चात् कार्यवाही शुरू हुई । विपक्ष के नेता श्री गुरनाम सिंह ने अध्यादेश की मान्यता पर आपत्ति करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया । अध्यक्ष ने इस पर विचार करने के लिये 20 मिनट का समय मांगा । इसके बाद उन्होंने फैसला दिया और सभा को स्थगित कर दिया मुख्य मंत्री श्री गिल नें आवाज दी "कुर्सी पर कब्जा कर लो" और बहुत से सदस्य उसकी ओर भागे इससे हाथापाई शुरू हो गई । सैंकड़ों सफेद कपड़े पहने पुलिस कर्मचारी चारों ओर से सभा में आ गये और उन्होंने सभा को अपने अधिकार में ले लिया । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वहां पर उपस्थित नहीं थे । एक घंटे तक हाथापाई, लड़ाई, मारपीट और प्रहार होने के बाद पुलिस की सहायता से उपाध्यक्ष महोदय को वहां पर लाया गया । इसके बाद भी एक घंटे तक लड़ाई होती रही । इस अवधि के दौरान यह घोषणा की गई कि बजट पारित हो गया है ।

गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि सभा में अजनबी विराजमान थे । इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पास किया गया बजट वैध है । ये दो बातें एक साथ हुईं । हम जानना चाहते हैं कि क्या सभा अजनबियों विशेष कर पुलिस की उपस्थिति में कोई कार्यवाही कर सकती है ? ऐसी कार्यवाही वैध नहीं हो सकती । इसलिये बजट वैध रूप से पारित नहीं किया गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिनकी यह नीति है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाये जिससे लोकतंत्र समाप्त हो जाये और वे निरंकुश सरकार बना सकें । गृह मंत्री लोक तंत्र के इन बीमार तथा दुःखी बच्चों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं ।

कई माननीय सदस्यों ने राज्यपाल की कार्यवाही की आलोचना की है । परन्तु सब से अच्छी कानूनी राय यह है कि उन्होंने जो अध्यादेश जारी किया है वह विधि मान्य है इसी तरह की राय से अध्यक्ष अपनी शक्तियों की सीमा से बाहर चले गये । वास्तव में अध्यक्ष ने न केवल एक बार अपितु दो या तीन बार अत्यन्त अविवेकपूर्ण ढग से काम किया । वे उन व्यक्तियों के हाथों की कठपुतली बन गये जो ससदीय लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं ।

विरोधी दलों की राय में पंजाब के मुख्य मंत्री दलबदलू हो सकते हैं लेकिन वह लोकतंत्र के रक्षक हैं । उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है । अब भी बहुमत उनके साथ है । कुछ सदस्यों ने विधान सभा में अजनबियों की उपस्थिति की बात कही है । लोक-सभा के अनुभव से ही मैं कह सकता हूं कि सदस्यों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी है क्योंकि यदि सदस्य अध्यक्ष का आदेश पालन करने से इंकार कर दे और उनके बार-बार कहने पर भी सदन त्याग न करे तो उस अवस्था में सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता से ही ऐसे आदेश का पालन कराया जा सकता है । ऐसे व्यक्तियों को गुण्डों की संज्ञा दिया जाना मैं सहन नहीं कर सकता । पंजाबी गुण्डे नहीं होते । वे बहादुर व्यक्ति हैं और जो चीज वे करना चाहते हैं वे खुले तौर पर करते हैं ।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तब तक कोई आवश्यकता नहीं है जब तक बहुमत शासक दल के साथ है ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : जब कांग्रेस दल स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहा था तो उसके सामने कुछ आदर्श थे । उन आदर्शों से जनता को भी प्रेरणा मिली और दल को कुछ अच्छे व्यक्ति नेता के रूप में मिल गये । दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की नीतियों के कारण लोग उसके विरुद्ध हो गये हैं और पिछले चुनावों में इस दल को बड़ा धक्का लगा । इस पर विचार करने की बजाय कांग्रेस को केवल यह चिन्ता है कि उन राज्यों में जहां कांग्रेस हार गई है सत्ता प्राप्त की जाय इस के लिए उन्हें चाहे कैसे ही तरीके अपनाने पड़ें । ऐसा उन्होंने बंगाल, बिहार, पंजाब अगर कुछ अन्य स्थानों पर भी किया है । अब इस दल का कोई सिद्धान्त नहीं है । उनका लक्ष्य किसी न किसी तरह सत्ता तथा पद प्राप्त करना है ।

यदि कांग्रेस दल पंजाब में सत्तारूढ दल की नीतियों का विरोध करना चाहता था तो वह लोगों के पास जा सकता था और उस सरकार की गलतियों के बारे में उन्हें बता सकता था । लेकिन उन्होंने जनता की राय लेने का साहस नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि पंजाब सरकार की नीतियां जनता की आकांक्षाओं और हितों के अनुकूल हैं ।

वे केवल यह कर सकते हैं कि कुछ दलबदलुओं को पकड़ा जाये, उन्हें सत्ता पर आसीन किया जाये और उनके माध्यय से अपनी नीतियों का पालन कराया जाये । परन्तु कांग्रेस दल बंगाल और बिहार में सफल नहीं हुआ और पंजाब में भी अपने इन हथकण्डों में सफल नहीं होगा । यदि उनके इरादे नेक हैं तो विधान सभा भंग कर दी जाये और नये चुनाव कराये जायें अन्यथा सांठगांठों को जनता द्वारा कुचल दिया जायेगा । यह पंजाब के लोगों का जीवन मरण का प्रश्न है और अन्ततोगत्वा उन्होंने ही इस मामले में अन्तिम निर्णय करना है । यदि कांग्रेस अब भी नहीं चेती तो उसे जल्दी ही मुंह की खानी पड़ेगी ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : पिछली बार जब इस मामले पर यहां पर चर्चा हुई थी तो पंजाब में लोकतंत्र का गला घोटा जाने वाला था। हमें आशा थी कि सभी दलों द्वारा एकमत व्यक्त किये जाने के बाद सुमति आ जायेगी। हमें आशा थी कि पीठासीन अधिकारियों की बैठक का अच्छा परिणाम निकलेगा। परन्तु इस सब के बावजूद वहां पर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। अब तो हम केवल शव परीक्षा कर रहे हैं।

इस मामले के दो पहलू हैं एक संवैधानिक और दूसरा राजनीतिक। जो गिल सरकार का समर्थन करना चाहते हैं वे कहेंगे कि राज्यपाल ने जो कुछ किया है वह वैध तथा संवैधानिक है। कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनका अध्यादेश के पक्ष में हवाला दिया जा सकता है।

अतः सब से अच्छी बात यह होगी कि इन मामलों को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाये। प्रश्न यह है कि क्या अध्यादेश की उदघोषणा उचित थी, क्या सभा का सत्र विधिमान्य था, क्या राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई थी, और क्या यह जरूरी है कि इन सभी मामलों की किसी न्यायाधिकरण या उच्चतम न्यायपालिका द्वारा जांच कराई जाये ? सभा में बताये गये तथ्य विवादास्पद हैं।

राजनीतिक पहलू यह है कि सदस्यों को गिरफ्तार किसने करवाया ? यही कहा जा सकता है कि सत्तारूढ मंत्रीमंडल ने विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार करवाया। वहां की सरकार की सबसे अधिक अविवेकपूर्ण बात यह थी कि अध्यक्ष की कार को रोका गया। अध्यक्ष वास्तव में उस इमारत का मालिक है। इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि अध्यक्ष की कार को रूकवाने के लिये विपक्षी सदस्यों ने गुण्डों को नियुक्त किया था। गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वे निगरानी तथा देखरेख अधिकारी थे। उन्हें विपक्षी सदस्यों ने नियुक्त नहीं किया था। फिर उन्हें किसने नियुक्त किया था ? क्या उन्हें अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को बाहर निकालने के लिये तैनात किया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हां, आप वक्तव्य पढ़िये।

श्री श्रीनिवास मिश्र : श्री चव्हाण कहते हैं कि वे निगरानी तथा देखरेख अधिकारी थे। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये अधिकारी अध्यक्ष ने तैनात किये थे और इन्हीं अधिकारियों ने उन्हें बाहर निकाला था।

दो महीने के लिये अध्यक्ष द्वारा सभा के स्थगन की बात का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू यह है कि एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था और अध्यक्ष को इसका फैसला करना था। इसलिये उन्होंने आधे घंटे के लिये सभा स्थगित कर दी। इस दौरान मंत्रीमण्डल की मदद करने के लिये षडयंत्र रचा गया। उन लोगों ने सरकार के बजट पारित करने के लिये एक अध्यादेश जारी करने की सलाह दी जो यह चाहते थे कि अध्यक्ष वहां पर मौजूद न हों और वे ही व्यक्ति सदस्यों को भी गिरफ्तार करवाना चाहते थे।

जब सभा वास्तव में समवेत हुई तब अध्यक्ष को सभा की राय माननी चाहिये थी किन्तु उन्होंने यह नही किया और सभा स्थगित कर दी और बड़ी सतर्कतापूर्ण ढंग से सारा दोष पुलिस पर डाल दिया गया। कहा गया है कि कुछ अजनबी लोग वहां पर एक सीढी लाये। उपाध्यक्ष को उस सीढी की सहायता से सभा-पीठ तक पहुंचाया गया। इस प्रकार लोकतन्त्र की हत्या की गई और उसके लिए गृह-मंत्री जिम्मेदार हैं।

श्री यशिवन्तराव चव्हाण : इस समस्या के तीन पहलू हैं। पहला संवैधानिक और विधि सम्बन्धी पहलू है, दूसरा यह कि अध्यक्ष के जाने के बाद और उपाध्यक्ष द्वारा व्यवस्था ठीक करने से पहले सभा मे क्या हुआ। तीसरा पहलू है पंजाब की सामान्य राजनीतिक समस्या और इसके सम्बन्ध में जो आलोचना की गई या सुझाव दिये गये उन पर विचार किया जा सकता है।

अनुच्छेद 174 जो कि सत्रावसान के प्रश्न के सम्बन्ध में है बहुत स्पष्ट है। इस अनुच्छेद के खण्ड 2(क) में कहा गया है कि राज्यपाल समय-समय पर सभा के सत्र का अवसान कर सकते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं रखी है।

संविधान में जहां यह अपेक्षित है कि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की कार्यवाही को अधिसूचित किया जाये ताकि वह पूरा हो वहां संविधान में इसका विशेष रूप से संकेत दिया गया है। यहां सत्रावसान संविधान के अन्तर्गत किया गया है और इसके पूर्ण होने के लिये यह जरूरी नहीं है कि किसी द्वारा इसका सत्यापन किया जाये। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी सत्रावसान के आदेश पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो सत्रावसान का वह आदेश अपने आप में पूर्ण हो जाता है।

विधान सभा के नियम 1 की शब्दावलि इस तरह है :

> "जब विधान सभा के किसी सत्र का सत्रावसान किया जयेगा तो सचिव सदस्यों की सूचना के लिये राजपत्र में इसके सम्बन्ध मे एक अधिसूचना जारी करेंगे।"

यह भी किया गया है। यद्यपि सत्यापन जरूरी नहीं है तथापि मुख्य सचिव ने ऐसा किया और 13 तारीख की अधिसूचना में, जिस पर सचिव (विधान मण्डल) ने हस्ताक्षर किये, कहा गया कि विधान मंडल के सदस्यों की सूचना के लिये इसे पुनः प्रकाशित किया जाता है। नियमों के अधीन यह कार्य विधानमंडल के सचिव को सौंपा गया था, जिसे उन्होंने पूरा किया।

अतः सत्रावसान 11 तारीख को पूरा हो गया और अध्यादेश की उद्घोषणा के लिये आवश्यक शर्तें पूरी हो गई थीं। अनुच्छेद 213 के अधीन जब दोनों सदनों की बैठकें न होती हों तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 11 तारीख को एक सभा के सत्रावसान के बाद उन्होंने 13 तारीख को अध्यादेश अपने जारी किया जो उन्होंने संवैधानिक अधिकारों के अन्दर ही किया था। अतः अध्यादेश की उद्घोषणा मान्य है।

इस विशेष मामले में सामान्य खण्ड अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि वास्तव में यहां अधिसूचनायें अपेक्षित नहीं है।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि 1967 में कांग्रेस चुनावों में हार गई और उसने सरकारों को गिराना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी सरकारें गिरने लगीं और ये सभी कांग्रेस सरकारें थीं। हमने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। किन्तु इसके बाद कुछ गैर-कांग्रेसी सरकारें भी गिराई गईं। उन्हें हमने नहीं गिराया। वे अपनी ही कठिनाइयों के कारण गिर गईं।

उत्तर प्रदेश की सरकार श्री चरन सिंह द्वारा गिराई गई। उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था। बिहार सरकार के गिरने का कारण यह था कि कुछ लोगों ने संसोपा को त्याग दिया और बंगाल सरकार कुछ लोगों के बंगला कांग्रेस छोड़ने के कारण गिर गई। पंजाब सरकार कुछ कांग्रेसियों के दल-परिवर्तन करने के कारण नहीं बल्कि अकाली दल के आपसी मतभेदों के कारण गिरी थी। इसमे मेरा दोष नहीं है।

मैं समझता हूं कि कोई भी दल इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसमें दल बदलने वाले सदस्य नहीं है। यह रोग कुछ न कुछ अंश मे सभी दलों मे विद्यमान है। आज लोकतंत्र को सुरक्षित बनाये रखने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलजुल कर देश के हित की बात सोचें और विचार विमर्श करें। हमे आज यह सोचना है कि दल बदलने की इस बीमारी को कैसे रोका जाये। हम यह तभी कर सकते हैं जब सभी दल बैठ कर इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। प्रत्येक बात के लिये कांग्रेस को ही दोषी बताना उचित नहीं है।

हम अब तक इस बात को नहीं समझ सके कि पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों रखा गया। यदि यह प्रस्ताव न रखा जाता तो यह संकट ही पैदा न होता। लेकिन दूसरी ओर हम अध्यक्ष की कार्यवाही के बारे मे विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने दो महीने के लिये विधान सभा को ही स्थगित कर दिया। वास्तव में लोकतंत्र का स्वरूप यह है कि जनता के प्रतिनिधि विधान सभा तथा संसद् में कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पीठासीन होने की हैसियत से इस अधिकार का गलत प्रयोग करता है और सभा को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर से वंचित करता है तो वह प्रजातंत्र का पहला शत्रु है। यदि इस अधिकार का गलत प्रयोग न किया जाता तो यह पूरा संकट आसानी से टल सकता था। यदि वहां पर पुलिस को सभा के अन्दर बुलाया गया है अथवा पुलिस ने सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है तो यह निन्दनीय है।

मैं नहीं समझता कि प्रत्येक जानकारी को ही वास्तविक जानकारी मान लिया जाये। मैं इस सम्बन्ध में अधिक गहराई मे भी नहीं जाना चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye: It should be known whether the proceedings of the Legislative Assembly were according to your Ordinance.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इसके बारे में तो पीठासीन अधिकारी ही बता सकता है। उस समय उपाध्यक्ष महोदय विधान सभा मे थे इसलिये उनके शब्द ही अन्तिम शब्द माने जा सकते हैं। जहां तक सभा की घटनाओं का सम्बन्ध है, वास्तव में इसका अन्तिम साक्ष्य सभा का रिकार्ड है। हमें यह सूचना मिली है कि इस दौरान जो कुछ हुआ वह अवश्य ही निन्दनीय है किन्तु अन्ततः वहां के उपाध्यक्ष ने सभा मे व्यवस्था की।

जहां तक वित्त विधेयक के प्रमाणीकरण का सम्बन्ध है, वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का प्रयोजन विधेयक को वापस भेजने के सम्बन्ध मे राज्यपाल तथा विधान परिषद् के अधिकार सीमित हैं जैसा कि अनुच्छेद 199 में उपबन्ध है। विधान परिषद् तथा राज्यपाल किसी वित्त विधेयक को वापिस नहीं कर सकते। यदि उपाध्यक्ष की सिफारिश को स्वीकार न किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि विधान परिषद् इस पर सामान्य विधेयक की तरह विचार करेगी।

Shri S.M. Joshi : Was it justified to continue the proceedings of the House by the Deputy Speaker when the Speaker had already adjourned the House?

श्री यशवन्तराव चव्हाण। मेरा विचार यह है कि जो कुछ किया गया है वह उचित है। विधान सभा के सभापति का भी यही निर्णय है। उन्होंने कहा है कि प्रमाणीकरण न होने से उस विधेयक पर विधान परिषद् का विचार करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। मेरा विचार भी यही है। राज्यपाल के अध्यादेश के अनुसार वित्तीय कार्य पूरा होने से पहले सभा सदन की अनुमति के बिना स्थगित नहीं की जा सकती।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या सभा की कार्यवाही वैध है, इस सम्बन्ध में राज्यपाल ने दो कार्य किये। उन्होंने सभा का सत्रावसान कर दिया और अध्यादेश की भी उद्घोषणा कर दी। राज्यपाल के ये दोनों कार्य संवैधानिक है और कानूनी रूप से ठीक हैं। राज्यपाल का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना था। जब अध्यक्ष ने अपने मन-माने, अवैध तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य से सभा का मुंह बन्द कर दिया तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जनता के प्रतिनिधि कारगर ढंग से कार्य करें।

मैं समझता हूं कि मैंने सभी आरोपों का उत्तर दे दिया है। मैं लोक-सभा के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सभा के अधिकार तथा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे मे देश की अन्य विधान सभाओं के अध्यक्षों के साथ मिल कर विचार करें तथा इस सभा तथा देश से सिफारिश करें कि अध्यक्ष के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति सभा के स्थगन के द्वारा लोकतंत्र का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अहित करने से कैसे रोका जा सकता है जब कि उनसे बड़े बड़े कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 22 मार्च, 1968/2 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, March 22, 1968/Chaitra 2, 1890 (Saka)